सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन
(राजस्व क्षेत्र)
31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या–3

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
(राजस्व क्षेत्र)

31 मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

उत्तर प्रदेश सरकार
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या–3

विषय–सूची

विवरण	सन्दर्भ	
	प्रस्तर	पृष्ठ सं0
प्राक्कथन		iii
विहंगावलोकन		v
अध्याय–I: सामान्य		
परिचय	1.1	1
प्राप्तियों का रुझान	1.2	1
राजस्व के बकाये का विश्लेषण	1.3	5
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन–सारांशीकृत स्थिति	1.4	7
लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया	1.5	8
लेखापरीक्षा के परिणाम	1.6	9
प्रतिवेदन के इस भाग का आच्छादन	1.7	9
अध्याय–II: राज्य आबकारी		
कर प्रशासन	2.1	11
लेखापरीक्षा के परिणाम	2.2	11
आबकारी सामग्री के उपभोग की मात्रा छिपाने के कारण राजस्व एवं उस पर ब्याज की वसूली न होना	2.3	12
दुकानों के व्यवस्थापन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क (बे0अ0शु0)/अनुज्ञापन शुल्क (अ0शु0) तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता	2.4	15
आबकारी नीति 2018–19 में विसंगति के कारण अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की हानि	2.5	16
अध्याय–III: बिक्री, व्यापार आदि पर कर		
कर प्रशासन	3.1	19
लेखापरीक्षा के परिणाम	3.2	19
टर्नओवर का कर निर्धारण से छूट जाना	3.3	21
कर की गलत दर का लगाया जाना	3.4	22
फार्म 'सी' के विरूद्ध क्रय किये माल पर अनियमित रियायत की अनुमन्यता	3.5	24
व्यापारियों को अननुमन्य आई0टी0सी0 की अनुमन्यता	3.6	25
स्रोत पर काटे गये कर का विलम्ब से जमा किया जाना	3.7	27

अध्याय–IV: स्टाम्प एवं निबन्धन फीस		
कर प्रशासन	4.1	29
लेखापरीक्षा के परिणाम	4.2	29
अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के संग्रहण, आवंटन व लेखाकरण में प्रणालीगत कमियाँ	4.3	30
स्टाम्प शुल्क को ₹ पाँच लाख तक सीमित करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	4.4	32
आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन	4.5	33
पट्टा विलेखों से सम्बन्धित अनियमितितायें	4.6	34
अध्याय–V: खनन प्राप्तियाँ		
कर प्रशासन	5.1	37
लेखापरीक्षा के परिणाम	5.2	37
जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (जि0ख0फा0न्या0) के निर्माण के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना	5.3	38
अवैध खनन के लिये अर्थदण्ड से संबंधित नियमों में संशोधन करने में राज्य सरकार की विफलता	5.4	41
परिवहन प्रपत्र के बिना निष्पादित किये गये कार्यों के लिये ठेकेदारों से खनिज का मूल्य नहीं वसूला गया	5.5	45
खनिजों का अनधिकृत उत्खनन	5.6	46
प्रतिभूति की धनराशि एवं रॉयल्टी की किश्त को विलम्ब से जमा करने के कारण पूर्व बोली बयाना धनराशि जब्त नहीं किया जाना	5.7	48
ईंट भट्ठा स्वामियों से रॉयल्टी एवं अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क की वसूली नहीं किया जाना	5.8	48
विलम्बित भुगतान पर ब्याज प्रभार्य न किया जाना	5.9	49
अध्याय–VI: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर		
कर प्रशासन	6.1	51
लेखापरीक्षा के परिणाम	6.2	51
शासकीय प्राप्तियों का गबन	6.3	52
जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित न किया जाना	6.4	54
अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड का अनारोपण	6.5	55
राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण न किया जाना	6.6	56
परिशिष्टियाँ		**59–93**

प्राक्कथन

मार्च 2019 को समाप्त हुए वर्ष के लिये इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाने के लिये तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के अर्न्तगत उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों जिसमें राज्य आबकारी, वाणिज्य कर, स्टाम्प एवं निबन्धन, भूतत्व एवं खनिकर्म और परिवहन विभाग शामिल हैं के अनुपालन लेखा परीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वर्णित दृष्टान्त वे हैं जो 2018–19 की अवधि के लिये किये गये नमूना लेखापरीक्षा के दौरान प्रकाश में आये साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान प्रकाश में आये, परन्तु जिन्हें विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किया जा सका। 2018–19 के बाद की अवधि से सम्बन्धित दृष्टान्त भी जहाँ आवश्यक था, शामिल किये गये हैं।

भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप ही लेखापरीक्षा सम्पादित की गई है।

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में राज्य आबकारी, बिक्री, व्यापार आदि पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, खनन प्राप्तियाँ तथा वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर से सम्बन्धित 23 प्रस्तर शामिल हैं। लेखापरीक्षा निष्कर्षों में कुल ₹ 1,881.32 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है, जिसमें से सम्बन्धित विभागों द्वारा ₹ 36.91 करोड़ के प्रेक्षणों को स्वीकार किया गया है। कुछ मुख्य निष्कर्षों को नीचे वर्णित किया गया है:

अध्याय–I: सामान्य

वर्ष 2018–19 के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की कुल प्राप्तियाँ ₹ 3,29,977.51 करोड़ थी जिसमें से राज्य की अपनी प्राप्तियाँ ₹ 1,50,222.57 करोड़ (45.53 प्रतिशत) थी। भारत सरकार ने ₹ 1,79,754.94 करोड़ (54.47 प्रतिशत) का योगदान दिया, जिसमें विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश ₹ 1,36,766.46 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 41.45 प्रतिशत) तथा सहायता अनुदान ₹ 42,988.48 करोड़ (कुल प्राप्तियों का 13.03 प्रतिशत) शामिल था। वर्ष 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान राज्य के अपने कर राजस्व तथा केंद्रीय करों में राज्य के अंश में वृद्धि हुई।

वर्ष 2018–19 के दौरान राजस्व के विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व में व्यापक भिन्नता इंगित करती है कि बजट अनुमानों को यथार्थ आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि वित्त विभाग को अपने बजट अनुमानों को और अधिक यथार्थवादी बनाने हेतु अपनी बजट तैयार करने की विधियों का पुनरीक्षण करना चाहिये।

(प्रस्तर 1.2)

31 मार्च 2019 को बिक्री, व्यापार आदि पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर, राज्य आबकारी एवं मनोरंजन कर का राजस्व बकाया की धनराशि ₹ 30,285.43 करोड़ थी, जिसमें से ₹ 13,129.57 करोड़ का बकाया पाँच वर्षों से अधिक का था। विभागों ने अदत्त बकाये का कोई केन्द्रीकृत डेटाबेस नहीं बनाया था। लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर सम्बन्धित विभागों द्वारा अदत्त बकाये के आंकड़ों को प्रतिवर्ष क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित किया गया था।

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि विभागों को लम्बित बकाये हेतु एक ऐसा केन्द्रीकृत डेटाबेस बनाना चाहिए जो डेटा की विश्वसनीयता के मुद्दे को संबोधित करे तथा बकाये की प्रगति की आवधिक रूप से निगरानी करे। बकाये के संचय के कारणों का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए एवं बकाये के संचय के अग्रेतर रोकथाम के लिये तंत्र/प्रक्रियाएं विकसित की जानी चाहिए।

(प्रस्तर 1.3)

अध्याय–II: राज्य आबकारी

आबकारी विभाग 2013–14 से 2016–17 की अवधि में निर्धारिती द्वारा उपभोग की गयी इनपुट की मात्रा तथा निर्मित परिणामी उत्पाद की प्रभावी निगरानी करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,646.04 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

लेखापरीक्षा संस्तुतियाँ करता है कि:

1. **सरकार निर्धारिती से माँग किये जाने और उसकी वसूली करने के लिए तत्काल कार्यवाही कर सकती है।**
2. **सरकार निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचनाओं का प्रतिसत्यापन अन्य कराधान प्राधिकारियों को प्रस्तुत सूचनाओं से करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को उचित निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।**
3. **सरकार इस बात की जाँच करने पर विचार कर सकती है कि कैसे मूल्यांकन अधिकारी, जो निर्धारिती के परिसर में स्थापित हैं, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे, जिसके कारण निर्धारिती द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व को छिपाया गया। जिम्मेदारी उपयुक्त रूप से तय की जा सकती है।**

(प्रस्तर 2.3)

दुकानों के व्यवस्थापन पर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क एवं अनुज्ञापन शुल्क समय पर जमा करने के लिये लोक लेखा समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर कार्यवाही करने में विभाग असफल रहा। इन्होंने नियमों के उल्लघंन पर व्यवस्थापन के निरस्तीकरण एवं अनुज्ञापन शुल्क/बेसिक अनुज्ञापन शुल्क (₹ 8.41 करोड़) और प्रतिभूति (₹ 6.88 करोड़) की कुल धनराशि ₹ 15.29 करोड़, के समपहरण की कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि विभाग को राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा के लिये, अधिनियम/नियमों के प्रावधानों और लोक लेखा समिति द्वारा की गयी संस्तुति का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये।

(प्रस्तर 2.4)

आबकारी नीति 2018–19 में विसंगति के कारण भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 3.58 करोड़ छोटी बोतलों पर ₹ 4.01 करोड़ के अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की हानि हुई थी।

(प्रस्तर 2.5)

अध्याय–III: बिक्री, व्यापार आदि पर कर

वाणिज्य कर विभाग एवं आयकर विभाग में व्यापारी द्वारा दाखिल अभिलेखों का लेखापरीक्षा ने प्रतिसत्यापन किया और पाया कि उसके द्वारा ₹ 21.85 करोड़ मूल्य के माल का टर्नओवर का विवरण छिपाया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.17 करोड़ के कर एवं ₹ 9.51 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ।

लेखापरीक्षा संस्तुतियाँ करता है कि:

1. **विभाग राजस्व के हितों की रक्षा के लिए वाणिज्य कर विभाग को प्रस्तुत की गई कार्यवाही योग्य सूचनाओं का अन्य कराधान प्राधिकारियों के साथ प्रतिसत्यापन के लिए एक प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर सकता है।**
2. **विभाग चार्टर्ड एकाउन्टेंट फर्मों के विरूद्ध गलत प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने हेतु भारत के चार्टर्ड एकाउन्टेंटस का संस्थान के साथ चर्चा करके कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है।**

(प्रस्तर 3.3)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 23.07 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री पर कर की दरों को सत्यापित किये बिना कर विवरणियों में उल्लिखित दरों के अनुसार स्वीकार किया। इस प्रकार ₹ 1.95 करोड़ की धनराशि का कर कम/नहीं आरोपित किया गया।

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि विभाग को कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों की उच्च स्तर के प्राधिकारियों द्वारा आवधिक समीक्षा करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना चाहिए।

(प्रस्तर 3.4)

व्यापारियों ने घोषणा पत्र फार्म 'सी' के विरूद्ध कर की रियायती दर से ₹ 14.32 करोड़ के मूल्य का माल क्रय किया जो कि उनके पंजीयन प्रमाणपत्रों से आच्छादित नहीं था अथवा उनका प्रयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु किया गया जिस हेतु पंजीयन प्रमाणपत्र प्रदान किया गया था। तथापि, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा ₹ 2.48 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि विभाग यह सुनिश्चित करे कि कर निर्धारण को अन्तिम रूप से पारित करते समय पंजीयन प्रमाणपत्र एवं उपयोग प्रमाणपत्रों, जहाँ ऐसी रियायतों पर विचार करते हैं, का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें।

(प्रस्तर 3.5)

व्यापारियों ने ₹ 2.88 करोड़ की धनराशि की इनपुट टैक्स क्रेडिट का त्रुटिपूर्ण दावा किया जिसे कि कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा अनियमित रूप से अनुमन्य किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 4.52 करोड़ की इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्याज सहित अनुत्क्रमित रही।

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि विभाग को ऐसे संव्यवहारों का सावधानीपूर्वक परीक्षण एवं सत्यापन करना चाहिये जहाँ कि व्यापारियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया जा रहा है और कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुमन्य किया जा रहा है।

(प्रस्तर 3.6)

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने स्रोत पर काटे गये कर ₹ 8.15 करोड़ की धनराशि को विहित समय के अन्दर जमा न करने पर व्यापारियों पर ₹ 16.29 करोड़ के अर्थदण्ड की धनराशि को आरोपित नहीं किया था।

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि व्यापारियों/ठेकेदारों द्वारा स्रोत पर काटे गये कर को विलम्ब से जमा किये जाने के मामलों में विभाग को अर्थदण्ड का आरोपण सुनिश्चित करना चाहिए।

(प्रस्तर 3.7)

अध्याय–IV: स्टाम्प एवं निबन्धन फीस

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 के धारा 39 के अर्न्तगत, अचल सम्पत्ति जो किसी 'विकास' क्षेत्र में स्थित हो के अन्तरण के लेखपत्र पर दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क अरोपित की जायेगी। समस्त धनराशियाँ जो अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की तरह संग्रहित की गयी थी, में से आनुषांगिक व्यय, यदि कोई हो, काटने के बाद, राज्य सरकार द्वारा स्वविवेकानुसार, या तो केवल विकास प्राधिकरण को, या विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् और नगर महापालिका या नगर पालिका परिषद जैसी भी स्थिति हो, को ऐसे अनुपात में जो समय–समय पर निर्धारित किया जाय आवंटित एवं भुगतान किया जायेगा।

अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के लेखाकरण हेतु उप–शीर्ष के अभाव में, 'विकास' क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में सम्पत्ति के अन्तरण में स्टाम्प शुल्क की आरोपित राशि को 'विकास' क्षेत्र में स्थायी सम्पत्ति के अन्तरण पर संग्रहीत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के साथ मिला दिया जा रहा है। इसलिए, वर्तमान में यह सुनिश्चित कर पाना सम्भव नहीं है कि एक 'विकास' क्षेत्र के अन्दर अचल सम्पत्तियों के अन्तरण के प्रकरण में दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से सम्बन्धित विशेषतया कितनी धनराशि सरकारी खाते में प्राप्त हुई। अग्रेतर, चूंकि अस्थाई सम्पत्तियों के पट्टा एवं बन्धक पर संग्रहित अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को स्याहा (फीस पंजिका) में स्टाम्प शुल्क के अर्न्तगत दर्ज किया जाता है और अलग से अंकन अथवा लेखाकरण नहीं किया जाता है, यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बन्धक एवं पट्टा से सम्बन्धित संग्रहीत किये गये ऐसे अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशियों को संस्थाओं को स्थानान्तरित/आवंटित किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा संस्तुतियाँ करता है कि:

1. **अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के बजट अनुमान एवं लेखाकरण में पारदर्शिता लाने के लिये सरकारी लेखे में उनके आरोपण एवं संग्रहण के लेखाकरण हेतु एक अलग उप–शीर्ष खोला जाये।**
2. **अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का लेखाकरण करते समय यह सुनिशिचित कर लिया जाय कि इस श्रेणी के अधीन सभी प्राप्तियां यथा हस्तांतरण विलेख, पट्टे एवं बन्धक इसमें शामिल हैं।**

(प्रस्तर 4.3)

बन्धक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क को ₹ पाँच लाख तक सीमित करने के परिणामस्वरूप ₹ 8.82 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 4.4)

2.03 लाख वर्गमीटर आवासीय भूमि को गलत ढंग से कृषि दर पर ₹ 37.74 करोड़ में निबन्धित किया गया था। आवासीय दर पर सही मूल्यांकन ₹ 125.43 करोड़ आगणित होता है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.66 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि विभाग को प्रेरणा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके तथा जहाँ पर एक ही आराजी (भूमि जोत संख्या) से भूमि की बिक्री आवासीय दर से एक निश्चित अवधि में की गयी हो की अनिवार्य भौतिक सत्यापन उप निबन्धक अथवा तहसीलदार/पटवारी द्वारा कराने के बाद सम्पत्ति का सही मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए।

(प्रस्तर 4.5)

₹ 1.47 करोड़ की स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ चूंकि सेवाकर/माल एवं सेवा कर की धनराशि को प्रतिफल धनराशि में सम्मिलित नहीं किया गया जिस पर स्टाम्प शुल्क की गणना की गयी थी।

(प्रस्तर 4.6.1)

56 खनन पट्टा विलेखों के प्रतिफल में जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास में देय अशंदान को शामिल नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप ₹ 6.53 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ।

(प्रस्तर 4.6.2)

अध्याय–V: खनन प्राप्तियाँ

राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 266(1) और 204(3) का उल्लघंन करते हुये, जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास का गठन किया, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में न्यास निधि को बनाये रखा और शासी परिषद तथा प्रबंध समिति को बिना पूर्व विधायी प्राधिकार के व्यय करने की अनुमति दी।

लेखापरीक्षा संस्तुतियाँ करता है किः

1. **न्यास में अंशदान की जाने वाली रॉयल्टी की धनराशि, राज्य के सरकारी खाते का भाग होना चाहिए। सरकार कोडल प्रावधानों के अनुसार व्यय–भार को अधिकृत करने के लिए लोक लेखे के अर्न्तगत एक जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास निधि का निर्माण करे। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठा सकती है कि लोक लेखे में रखे गये जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास निधि को केवल इच्छित उद्देश्यों के लिये स्थानांतरित एवं उपयोग किया जाये।**
2. **सरकार राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास, जहाँ संघ सरकार ने इस सम्बन्ध में संगत नियमों में संशोधन को प्रभावी कर दिया था, की तर्ज पर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास निधि की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक द्वारा करवाये जाने की व्यवस्था करे।**

(प्रस्तर 5.3)

राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टों की स्वीकृति से संबंधित शास्ति प्रावधानों में संशोधन करने की विफलता के कारण एक अजीब स्थिति बनी, जहाँ पट्टाधारक को वैध खनन के लिये देय राशि के विपरीत अवैध खनन के लिये कम अर्थदण्ड देना पड़ता है।

लेखापरीक्षा संस्तुतियाँ करता है किः

1. **सरकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित/पुनः परिभाषित करना चाहिए कि खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम की धारा 21(5) के संदर्भ में नीलामी द्वारा पट्टा किये गये क्षेत्र की 'खनिज मूल्य' और रॉयल्टी में क्या निर्धारित हो।**
2. **सरकार उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 में अवैध खनन को हतोत्साहित करने के लिये प्रावधानित देय अर्थदण्ड की धनराशि की समीक्षा और संशोधन करे।**

(प्रस्तर 5.4)

विभाग ने बिना वैध प्राधिकार के खनिजों के उठान के 904 मामलों में ₹ 116.85 करोड़ की धनराशि के खनिज मूल्य तथा देय अर्थदण्ड सिविल कार्य के ठेकेदारों से वसूल नहीं किया।

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि खनन विभाग को सिविल कार्य कराने वाली कार्यदायी संस्थाओं के साथ समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ठेकेदारों ने खनिजों को वैध पट्टाधारकों से लिया है, और ऐसे खनिजों के परिवहन के लिये वैध एम0एम0–11/प्रपत्र सी था।

(प्रस्तर 5.5)

पर्यावरण मंजूरी के बिना 35,319 घन मीटर उप खनिजों के उत्खनन पर चार पट्टाधारकों से उत्खनित खनिज मूल्य ₹ 2.99 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

(प्रस्तर 5.6.1)

खनन योजना में निर्धारित सीमा से अधिक खनिज के उत्खनन पर एक पट्टाधारक से खनिज के मूल्य ₹ 79.20 लाख की धनराशि वसूल नहीं की गयी।

(प्रस्तर 5.6.2)

बिना खनन योजना के खनिजों के उत्खनन पर चार पट्टाधारकों से खनिज मूल्य ₹ 1.44 करोड़ की धनराशि वसूल नहीं की गयी।

(प्रस्तर 5.6.3)

प्रतिभूति की धनराशि एवं रॉयल्टी की किश्त ₹ 12.96 करोड़ को विलम्ब से जमा करने पर विभाग पूर्व बोली बयाना धनराशि ₹ 1.05 करोड़ को जब्त करने में असफल रहा।

(प्रस्तर 5.7)

ईंट भट्ठा स्वामियों से 570 मामलों में, रॉयल्टी ₹ 7.38 करोड़, अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क ₹ 9.32 लाख एवं जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास की धनराशि ₹ 94.06 लाख की वसूली नहीं की गयी, यद्यपि वह सभी एक मुश्त समाधान योजना में विनिर्दिष्ट थे।

लेखापरीक्षा संस्तुति करता है कि विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि राज्य में सभी ईंट भट्ठा स्वामी दिये गये भट्ठा वर्ष (अक्टूबर से सितम्बर) में लागू एक मुश्त समाधान योजना के प्रावधानों का पालन करें। दोषी ईंट भट्ठा स्वामियों से बकाया रॉयल्टी वसूल किये जाने के प्रयास भी किये जाने चाहिए।

(प्रस्तर 5.8)

रॉयल्टी/अपरिहार्य भाटक विलम्ब से जमा करने के कारण 38 पट्टाधारकों पर ₹ 2.78 करोड़ का ब्याज एवं 281 भट्ठा स्वामियों पर ₹ 90.13 लाख का ब्याज प्रभारित नहीं किया गया।

(प्रस्तर 5.9)

अध्याय–VI: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

शासकीय प्राप्तियों के जमा न किये जाने के कारण ₹ 9.48 लाख का गबन।

(प्रस्तर 6.3)

निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित 557 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना बसों पर ₹ 4.98 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण न किया जाना।

(प्रस्तर 6.4)

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना बसों पर अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर ₹ 9.48 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण।

(प्रस्तर 6.5.1)

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बसों पर अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर ₹ 4.46 करोड़ का अर्थदण्ड का अनारोपण।

(प्रस्तर 6.5.2)

राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण कराये बिना सड़क पर संचालित पाये गये 778 माल वाहनों से समेकित एवं प्राधिकार फीस की धनराशि ₹ 1.36 करोड़ की वसूली न किया जाना।

(प्रस्तर 6.6)

इंगित की गई त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। इसलिए यह जाँच करने के लिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सकने हेतु एक प्रणाली को स्थापित करने के लिए शासन/विभाग सभी इकाईयों का व्यापक पुनरीक्षण कर सकते हैं।

अध्याय–I: सामान्य

1.1 परिचय

यह अध्याय उत्तर प्रदेश सरकार (उ0प्र0स0) के राजस्व प्राप्तियों के रूझान, दोनों कर एवं करेतर तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों के पृष्ठभूमि के विरूद्ध संग्रह के लिए लम्बित राजस्व के बकाये के विहंगावलोकन को प्रदर्शित करता है।

1.2 प्राप्तियों का रुझान

1.2.1 वर्ष 2018–19 के दौरान उ0प्र0स0 द्वारा उगाहा गया कर एवं करेतर राजस्व, राज्य को आवंटित विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों में राज्य का अंश, भारत सरकार (भा0स0) से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के तदनुरूपी आँकड़े **सारणी–1.1** में दर्शाये गये हैं।

सारणी–1.1
राजस्व प्राप्तियों का रुझान

(₹ करोड़ में)

क्र0सं0	विवरण	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19
1	**राज्य सरकार द्वारा उगाहा गया राजस्व**					
	• कर राजस्व	74,172.42	81,106.26	85,965.92	97,393.00	1,20,121.86
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**11.40**	**9.35**	**5.99**	**13.29**	**23.34**
	• करेतर राजस्व	19,934.80	23,134.65	28,944.07	19,794.86	30,100.71
	गत वर्ष के सापेक्ष वृद्धि की प्रतिशतता	**21.19**	**16.05**	**25.11**	**(–)31.60**	**52.06**
	योग	**94,107.22**	**1,04,240.91**	**1,14,909.99**	**1,17,187.86**	**1,50,222.57**
2	**भारत सरकार से प्राप्तियाँ**					
	• विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की शुद्ध प्राप्तियों का अंश	66,622.91	90,973.69	1,09,428.29	1,20,939.14	1,36,766.46[1]
	• सहायता अनुदान	32,691.47	31,861.34	32,536.87	40,648.45	42,988.48[2]
	योग	**99,314.38**	**1,22,835.03**	**1,41,965.16**	**1,61,587.59**	**1,79,754.94**
3	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियाँ (1 एवं 2)**	**1,93,421.60**	**2,27,075.94**	**2,56,875.15**	**2,78,775.45**	**3,29,977.51**
4	**3 से 1 की प्रतिशतता**	**49**	**46**	**45**	**42**	**46**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे।

ऊपर की सारणी यह इंगित करती है कि 2014–19 की अवधि के दौरान कर राजस्व एवं करेतर राजस्व की औसतन वार्षिक वृद्धि क्रमशः 12.67 प्रतिशत एवं 16.56 प्रतिशत रही थी।

---

1 विवरण हेतु कृपया उत्तर प्रदेश सरकार के वर्ष 2018–19 के वित्त लेखों में लघु शीर्षो द्वारा राजस्व के विस्तृत लेखे का विवरण संख्या–14 देखें। इस विवरण में वित्त लेखों में 'अ – कर राजस्व' के अन्तर्गत मुख्य लेखा शीर्ष–0005–केंद्रीय माल एवं सेवा कर, 0008–एकीकृत माल एवं सेवा कर, 0020–निगम कर, 0021–निगम कर से भिन्न आय पर कर, 0028–आय तथा व्यय पर अन्य कर, 0032–धन पर कर, 0037–सीमा शुल्क, 0038–संघीय उत्पाद शुल्क, 0044– सेवा कर एवं 0045 वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क, लघु शीर्ष–901–राज्यों के समुदेशित शुद्ध प्राप्तियों के हिस्सों के आँकड़े को राज्य द्वारा उगाहे गये राजस्व से निकाल दिया गया है तथा 'विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य के हिस्से' में शामिल किया गया है।

2 माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन से उत्पन्न राजस्व हानि के लिये ₹ 308 करोड़ की क्षतिपूर्ति सम्मिलित है।

वर्ष 2018–19 में राज्य की राजस्व प्राप्तियों के अलग–अलग विवरण को प्रतिशतता के रूप में **चार्ट–1.1** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट–1.1

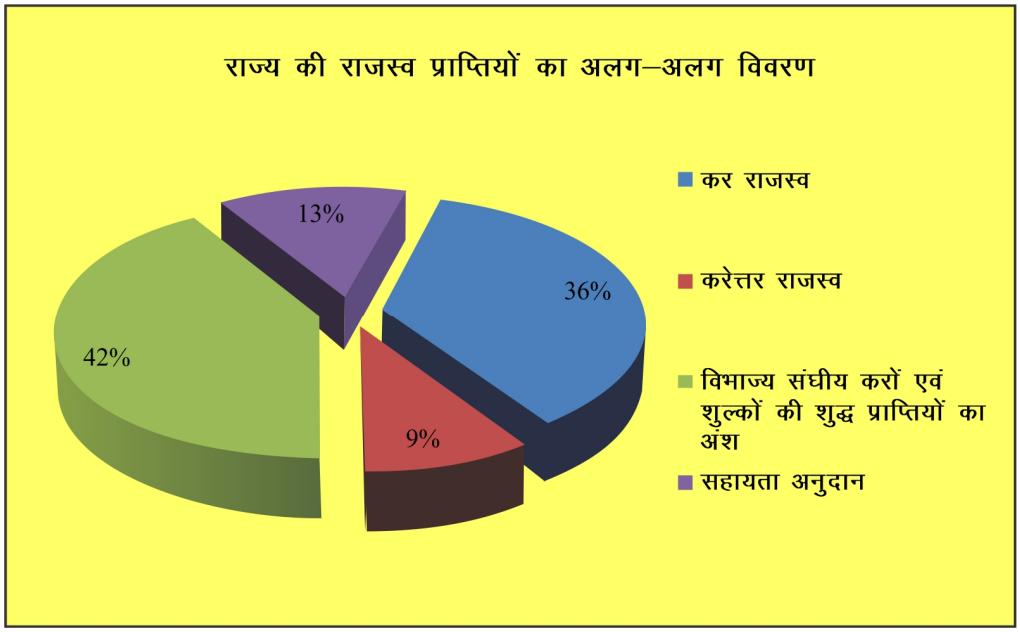

1.2.2 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान उगाहे गये कर राजस्व के विवरण **सारणी–1.2** में दिये गये हैं।

सारणी–1.2
कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	की तुलना में वर्ष 2018–19 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2018–19 के ब0अ0	2017–18 के वास्तविक
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	47,497.92 42,931.54	52,670.69 47,692.40	57,940.30 51,882.88	36,397.30 31,112.52	22,078.00 23,797.84	(+) 7.79	(–) 23.51
	राज्य माल एवं सेवा कर (रा0मा0से0क0)				28,602.70 25,373.96	49,422.00 46,108.03	(–) 6.71	(+) 81.71[3]
2	राज्य आबकारी	14,500.00 13,482.57	17,500.00 14,083.54	19,250.00 14,273.49	20,593.23 17,320.27	23,000.00 23,926.66	(+) 4.03	(+) 38.14
3	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	12,722.67 11,803.34	14,836.00 12,403.72	16,319.60 11,564.02	17,458.34 13,397.57	18,000.00 15,733.03	(–) 12.59	(+) 17.43
4	वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर (0041 एवं 0042)	3,950.00 3,797.58	4,658.00 4,410.53	5,123.80 5,148.37	5,481.20 6,403.69	7,400.00 6,930.02	(–) 6.35	(+) 8.22
5	अन्य[4]	2,327.34 2,157.39	2,250.31 2,516.07	2,622.80 3,097.16	2,969.13 3,784.99	2,800.00 3,626.28	(+) 29.51	(–) 4.19
योग		**80,997.93 74,172.42**	**91,915.00 81,106.26**	**1,01,256.50 85,965.92**	**1,11,501.90 97,393.00**	**1,22,700.00 1,20,121.86**	**(–) 2.10**	**(+) 23.34**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विवरण के अनुसार बजट अनुमान।

[3] वर्ष 2017–18 में नौ महीने (जुलाई 2017 से मार्च 2018) के सापेक्ष वर्ष 2018–19 में रा0मा0से0क0 संग्रह पूरे वर्ष का था।

[4] निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (कर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैं: विद्युत पर कर एवं शुल्क, भू–राजस्व, होटल प्राप्ति कर, वस्तु एवं सेवा पर अन्य कर एवं शुल्क आदि ।

वर्ष 2018–19 में कर राजस्व के अलग–अलग विवरण को **चार्ट–1.2** में प्रदर्शित किया गया है।

चार्ट–1.2

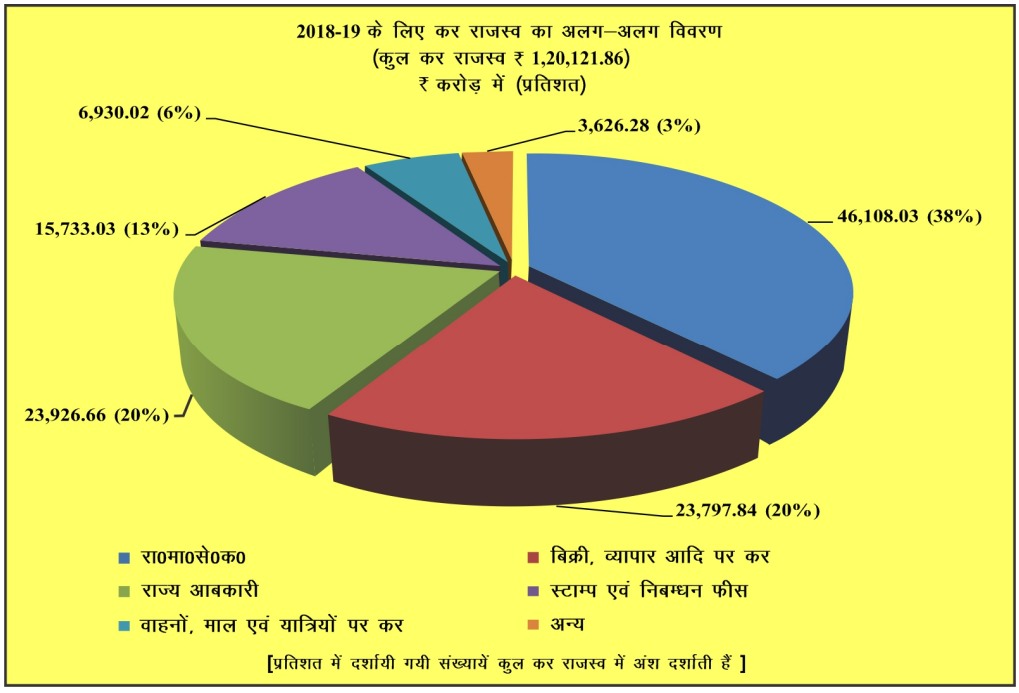

गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2018–19 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता के कारणों पर नीचे चर्चा की गयी है:

- वर्ष 2018–19 के दौरान स्वयं के कर राजस्व में कुल 23.34 प्रतिशत की वृद्धि मुख्यतः 'राज्य माल एवं सेवा कर (रा0मा0से0क0)' (₹ 20,734.07 करोड़ द्वारा), 'राज्य आबकारी' (₹ 6,606.40 करोड़ द्वारा), 'स्टाम्प एवं निबन्धन फीस' (₹ 2,335.46 करोड़ द्वारा) तथा 'वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर' (₹ 526.33 करोड़ द्वारा) के कारण थी।

- बिक्री, व्यापार आदि पर कर में विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2018–19 के दौरान 7,314.68 करोड़ की कमी हुई क्योंकि यह कर माल एवं सेवा कर (मा0से0क0) में समाहित कर दिया गया था जो कि 1 जुलाई 2017 से क्रियान्वित किया गया था। तथापि, वर्ष 2018–19 के दौरान रा0मा0से0क0 के संग्रहण में ₹ 20,734.07 करोड़ की वृद्धि हुई। वर्ष 2018–19 में रा0मा0से0क0 का संग्रह पूरे वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2017–18 में नौ महीने (जुलाई 2017 से मार्च 2018) का था। बढ़े हुए रा0मा0से0क0 का मुख्य कारण एकीकृत माल एवं सेवा कर (ए0मा0से0क0) से हस्तांतरण/अग्रिम विभाजन द्वारा प्राप्तियों में वृद्धि तथा रा0मा0से0क0 एवं ए0मा0से0क0 के इनपुट टैक्स क्रेडिट का प्रति उपयोग था।

- 'राज्य आबकारी' में वृद्धि देशी आसव (₹ 2,722.39 करोड़ द्वारा), विदेशी मदिरा एवं आसव (₹ 2,659.98 करोड़ द्वारा) एवं माल्ट मदिरा (₹ 1,474.67 करोड़ द्वारा) की बिक्री से प्राप्तियों में वृद्धि के कारण हुई। राज्य आबकारी राजस्व में वृद्धि का कारण देशी मदिरा, भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा0नि0वि0म0) तथा बीयर के उपभोग में वृद्धि, आबकारी शुल्क के आरोपण में वृद्धि तथा देशी मदिरा, भा0नि0वि0म0, बीयर एवं माडल शाप से सम्बन्धित दुकानों के व्यवस्थापन में वृद्धि थी।

- 'स्टाम्प एवं निबन्धन फीस' के अन्तर्गत प्राप्तियों में वृद्धि मुख्यतः न्यायिकेतर स्टाम्प की बिक्री (₹ 4,084.38 करोड़) से प्राप्तियों में वृद्धि तथा न्यायिक स्टाम्प की कम

बिक्री (₹ 1,616.37 करोड़) के निवल प्रभाव से हुई। न्यायिकेतर स्टाम्प की बिक्री से प्राप्तियों में वृद्धि गत वर्ष में पंजीकृत 30.77 लाख अभिलेखों/विलेखों के सापेक्ष वर्ष 2018–19 में 35.81 लाख अभिलेखों/विलेखों के पंजीयन के कारण हुई।

- 'विद्युत पर कर एवं शुल्क' की प्राप्तियों में वृद्धि (वर्ष 2017–18 में ₹ 2,124.13 करोड़ से वर्ष 2018–19 में ₹ 2,978.22 करोड़) विद्युत की बिक्री एवं उपभोग पर अधिक कर संग्रहण (₹ 738.10 करोड़) के कारण हुई।

1.2.3 2014–15 से 2018–19 की अवधि के दौरान उगाहे गये करेतर राजस्व के विवरण **सारिणी–1.3** में दर्शाये गये हैं।

सारणी–1.3
करेतर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	राजस्व शीर्ष	2014–15	2015–16	2016–17	2017–18	2018–19	की तुलना में वर्ष 2018–19 के वास्तविक में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता	
		ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	ब0अ0 वास्तविक	2018–19 के ब0अ0	2017–18 के वास्तविक
1	विविध सामान्य सेवायें	4,037.81 6,400.41	4,774.00 4,949.22	4,220.61 4,460.40	4,502.00 4,841.11	12,758.33 13,677.57	(+) 7.21	(+) 182.53
2	ब्याज प्राप्तियाँ	1,434.90 2,302.82	1,000.00 632.78	750.00 1,164.94	800.00 1,093.38	843.60 1,712.44	(+) 102.99	(+) 56.62
3	अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	1,100.00 1,029.42	1,500.00 1,222.17	1,650.00 1,548.39	3,200.00 3,258.88	4,000.00 3,165.44	(–) 20.86	(–) 2.87
4	बिजली	2,700.00 967.87	2,700.00 1,322.17	2,700.00 2,938.85	4,448.34 4,695.85	5,700.00 5,735.40	(+) 0.62	(+) 22.14
5	अन्य करेतर प्राप्तियाँ[5]	10,959.24 9,234.28	11,662.32 15,008.31	10,959.24 18,831.49	5,486.37 5,905.64	5,519.73 5,809.86	(+) 5.26	(–) 1.62
योग		**20,231.95** **19,934.80**	**21,636.32** **23,134.65**	**24,240.85** **28,944.07**	**18,436.71** **19,794.86**	**28,821.66** **30,100.71**	**(+) 4.44**	**(+) 52.06**

स्रोतः उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त लेखे एवं उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व एवं प्राप्ति के विस्तृत विवरण बजट अनुमान के अनुसार।

वर्ष 2018–19 में करेतर राजस्व का अलग–अलग विवरण **चार्ट–1.3** में दर्शाया गया है।

चार्ट–1.3

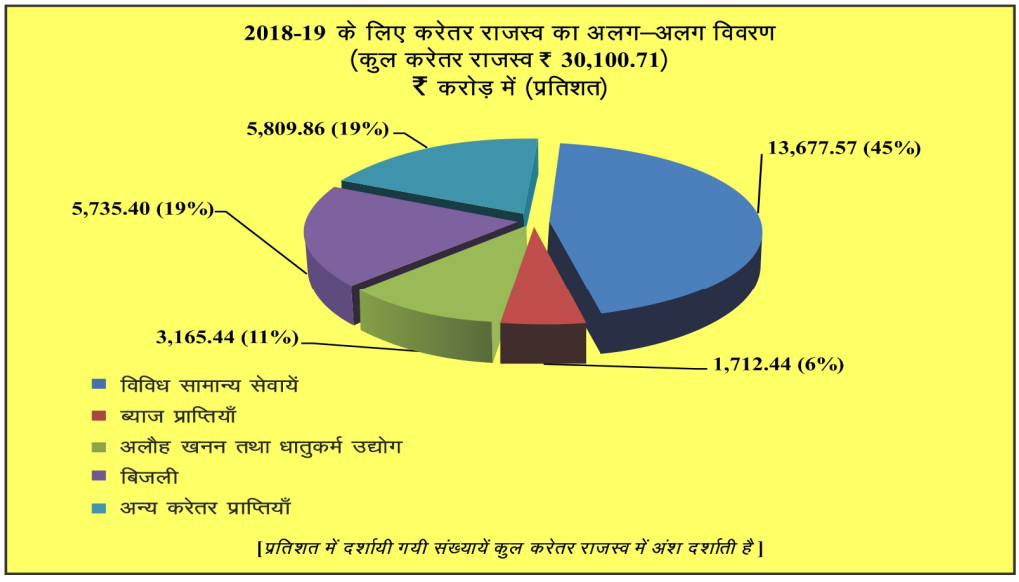

[5] अन्य में निम्नलिखित से प्राप्तियाँ (करेतर राजस्व के पाँच प्रतिशत से कम) शामिल हैः आवास, लोक निर्माण, लेखन सामग्री एवं मुद्रण, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण, सड़क एवं सेतु, अन्य प्रशासनिक सेवायें, मध्यम सिंचाई, ग्राम्य एवं लघु उद्योग, वानिकी एवं वन्य प्राणि, चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, शहरी विकास, आदि।

गत वर्ष के सापेक्ष वर्ष 2018–19 के दौरान वास्तविक प्राप्तियों में व्यापक भिन्नता के कारणों पर नीचे चर्चा की गयी है:

- वर्ष 2017–18 के सापेक्ष वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 10,305.85 करोड़ करेतर प्राप्तियों में कुल मिलाकर 52.06 प्रतिशत की वृद्धि हुई, मुख्यतः 'ब्याज प्राप्तियाँ' शीर्ष के अन्तर्गत जो कि चीनी मिलों के ऋण से वसूला ज्यादा ब्याज तथा नकद अवशेषों के विनिवेश के कारण तथा 'विविध सामान्य सेवायें' के अन्तर्गत जो कि मुख्यतः 2017–18 के सापेक्ष वर्ष 2018–19 के दौरान ₹ 8,271.28 करोड़ के सिंकिंग फण्ड से इस शीर्ष में अधिक अन्तरण के कारण था।

- राजस्व लेखा शीर्ष 'बिजली' के अन्तर्गत 22.14 प्रतिशत की वृद्धि का कारण भा0स0 से ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए ऊर्जा विभाग, उ0प्र0स0 को अधिक प्राप्तियाँ थी।

अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने वर्ष 2018–19 के दौरान राजस्व के विभिन्न लेखा शीर्षों के अन्तर्गत वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित किये गये बजट अनुमानों एवं वास्तविक राजस्व में व्यापक भिन्नता पायी (सन्दर्भ सारणी–1.2 एवं 1.3) जो इंगित करता है कि बजट अनुमानों को यथार्थ आधार पर तैयार नहीं किया गया था।

संस्तुतिः

वित्त विभाग को अपने बजट अनुमानों को और अधिक यथार्थवादी बनाने हेतु अपनी बजट तैयार करने की विधियों का पुनरीक्षण करना चाहिये।

1.3 राजस्व के बकाये का विश्लेषण

31 मार्च 2019 को कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों का राजस्व बकाया की धनराशि ₹ 30,285.43[6] करोड़ थी, जिसमें से ₹ 13,129.57[7] करोड़ का बकाया पाँच वर्षों से अधिक का था। विभागों द्वारा जैसा विवरण उपलब्ध कराया गया **चार्ट–1.4** में प्रदर्शित है।

चार्ट–1.4

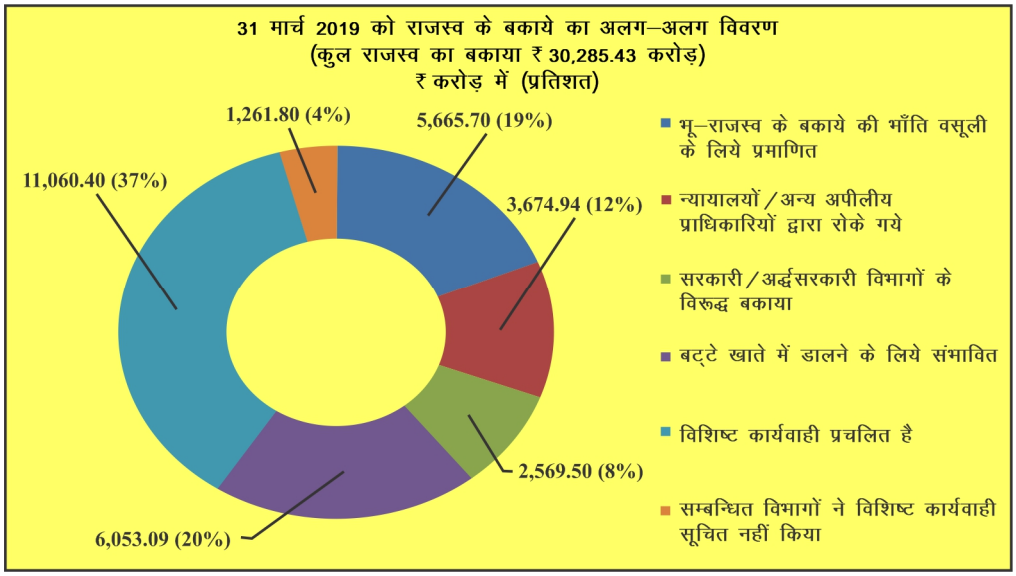

2018–19 की समाप्ति पर कुल राजस्व बकाया ₹ 30,285.43[8] करोड़ राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति (₹ 1,50,222.57 करोड़) का 20 प्रतिशत था जिसमें 43 प्रतिशत

---

6 बिक्री, व्यापार आदि पर करः ₹ 28,987.75 करोड़; स्टाम्प एवं निबन्धन फीसः ₹ 654.73 करोड़; वाहनों, माल एवं यात्रियों पर करः ₹ 108.34 करोड़; राज्य आबकारीः ₹ 54.57 करोड़; मनोरंजन करः ₹ 480.04 करोड़; भूतत्व एव खनिकर्म विभागः विभाग के पास आँकड़े उपलब्ध नहीं थे।

7 बिक्री, व्यापार आदि पर करः ₹ 12,668.82 करोड़; स्टाम्प एवं निबन्धन फीसः ₹ 399.22 करोड; वाहनों, माल एवं यात्रियों पर करः विभाग के पास आँकड़े उपलब्ध नहीं थे; राज्य आबकारीः ₹ 51.41 करोड़; मनोरंजन करः ₹ 10.12 करोड; भूतत्व एव खनिकर्म विभागः विभाग के पास आँकड़े उपलब्ध नहीं थे।

8 भूतत्व एव खनिकर्म विभागः को छोड़कर।

(₹ 13,129.57[9] करोड़) पिछले पाँच या अधिक वर्षों से वसूली हेतु बकाया था। यह राज्य में शिथिल राजस्व प्रशासन एवं अनुपालनहीनता का सूचक है। बकाये की मात्रा अनावश्यक रूप से अधिक है जिसकी वसूली हेतु ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है।

छः विभागों[10] में से केवल दो विभागों[11] ने लम्बित वसूली को विभिन्न चरणों में होना सूचित किया, परन्तु लम्बित बकाया से सम्बन्धित अभिलेख जाँच हेतु उपलब्ध नहीं कराये। अग्रेतर, विभागों[12] ने अदत्त बकाये का कोई केन्द्रीकृत डेटाबेस नहीं बनाया था। लेखापरीक्षा के दृष्टांत पर सम्बन्धित विभागों द्वारा अदत्त बकाये के आंकड़ों को प्रतिवर्ष क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों से संकलित किया गया था।

राजस्व के बकाये के बकायेदारों के अध्ययन हेतु, लेखा परीक्षा ने वाणिज्य कर विभाग (वा0क0वि0) द्वारा उपलब्ध कराये गये 200 बड़े बकायेदारों, जिसमें ₹ 4,479.19 करोड़ का राजस्व बकाया सन्निहित था, की नमूना जाँच की। इन 200 मामलों में से, 168 बकायेदारों के मामले में निहित राजस्व बकाया ₹ 3,960.13 करोड़ जो चार संभाग यानी गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर एवं लखनऊ से सम्बन्धित थे, विस्तृत अध्ययन हेतु चयनित किये गये। अध्ययन से पता चला किः

i. बकायेदारों के चयनित 168 मामलों में सें 160 मामले जिसमें ₹ 3,794.75 करोड़ (96 प्रतिशत) का राजस्व बकाया सन्निहित था, में पाया गया कि व्यापारियों के उपस्थित न होने के कारण कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा एकपक्षीय कर निर्धारण आदेश पारित किये गये थे।

ii. बकायेदारों के 92 मामले जिसमें ₹ 2,837.83 करोड़ (72 प्रतिशत) का राजस्व बकाया सन्निहित था, में पाया गया कि वसूली विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों/न्यायालय के समक्ष लम्बित थी।

iii. दो बकायेदारों के मामलों में, पाया गया कि प्रत्येक मामले में दो बार वसूली प्रमाणपत्र (व0प्र0) निर्गत किये गये थे जिसके परिणामस्वरूप बकाये की सूची में ₹ 35.48 करोड़ के राजस्व बकाये का दोहराव हुआ।

iv. पाँच बकायेदारों के मामले जिसमें ₹ 86.69 करोड़ धनराशि के व0प्र0 सन्निहित थे, अपीलीय प्राधिकारियो द्वारा रिमांड किये जाने अथवा व्यापारियों के प्रार्थना पत्र पर मामले पुनः खोले गये लेकिन बकाये की सूची मे व0प्र0 प्रदर्शित हो रहे थे।

v. दो बकायेदारों के मामलों में, ₹ 29.11 करोड़ के व0प्र0 अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा व्यापारियों के पक्ष में निर्णीत हो जाने के बाद भी चार वर्ष से अधिक समय से खारिज किये जाने के लिए लम्बित थे और ये बकाये की सूची में प्रदर्शित हो रहे थे।

vi. एक बकायेदार के मामले में, कर निर्धारण आदेश में गणना की त्रुटि के कारण ₹ 75.60 करोड़ का अधिक राजस्व बकाया दर्शाया गया था।

उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि राजस्व बकाये का एक बड़ा प्रतिशत अपील में था और लंबित था। यह भी देखा गया कि राजस्व के बकाया पर वा0क0वि0 द्वारा बनाये गये डेटाबेस में अनेक कमियाँ थी जो डेटा की विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करती हैं। खराब डेटा गुणवत्ता अनुश्रवण तथा वसूली को प्रभावित करेगा।

---

9 परिवहन विभाग, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को छोड़कर।

10 वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन, मनोरंजन कर तथा भूतत्व एवं खनिकर्म।

11 वाणिज्य कर तथा राज्य आबकारी।

12 वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन, मनोरंजन कर तथा भूतत्व एवं खनिकर्म।

संस्तुतिः

विभागों को लम्बित बकाये हेतु एक ऐसा केन्द्रीकृत डेटाबेस बनाना चाहिए जो डेटा की विश्वसनीयता के मुद्दे को संबोधित करे तथा बकाये की प्रगति की आवधिक रूप से निगरानी करे। बकाये के संचय के कारणों का विश्लेषण भी किया जाना चाहिए एवं बकाये के संचय के अग्रेतर रोकथाम के लिये तंत्र/प्रक्रियाएं विकसित की जानी चाहिए।

1.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुगमन–सारांशीकृत स्थिति

विभिन्न लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (ले0प0प्र0) में चर्चित सभी प्रकरणों के सन्दर्भ में कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रतिवेदनों में सन्दर्भित सभी प्रस्तरों/निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर, चाहे ऐसे मामले लोक लेखा समिति (लो0ले0स0) द्वारा परीक्षण हेतु लिये गये हों या न लिये गये हों, स्वतः संज्ञान लेते हुये कार्यवाही प्रारम्भ करने के लिए वित्त विभाग ने जून 1987 में निर्देश जारी किये थे। नि0म0ले0प0 के 31 मार्च 2014 को समाप्त हुए वर्ष के राजस्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल 36 प्रस्तरों (निष्पादन लेखापरीक्षाओं सहित) पर व्याख्यात्मक टिप्पणियों (विभागों के उत्तर) को देने में, अत्यधिक विलम्ब देखा गया जो कि 193 दिनों से 809 दिनों के मध्य था। इसके अलावा, वर्ष 2014–15, 2015–16, 2016–17 तथा 2017–18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं हुई (सितम्बर 2020) जिन्हें अगस्त 2015 और फरवरी 2020 के मध्य राज्य विधान मण्डल के पटल पर रखा गया। विभिन्न विभागों से सम्बन्धित लम्बित व्याख्यात्मक टिप्पणियों का विवरण **सारिणी–1.4** में दिया गया है।

सारिणी–1.4

क्र0 सं0	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन समाप्ति वर्ष	विधान मण्डल में प्रस्तुत होने की तिथि	प्रस्तरों की संख्या	प्रस्तरों की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त हुई	प्रस्तरों की संख्या जिनमें व्याख्यात्मक टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई
1	31 मार्च 2014	17 अगस्त 2015	43	36[13]	07
2	31 मार्च 2015	06 मार्च 2016	31	00	31
3	31 मार्च 2016	18 मई 2017	26	00	26
4	31 मार्च 2017	19 जुलाई 2019	15	00	15
5	31 मार्च 2018 (अकेले, राज्य आबकारी)	19 जुलाई 2019	08	00	08
6	31 मार्च 2018	24 फरवरी 2020	17	00	17
योग			**140**	**36**	**104**[14]

वर्ष 2018–19 में, लो0ले0स0 द्वारा वर्ष 2001–02, 2007–08 तथा 2010–11 से 2013–14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित 47[15] चयनित प्रस्तरों पर चर्चा की गई। तथापि, इन प्रस्तरों से सम्बन्धित कार्यवाही आख्या (का0आ0) सम्बन्धित विभागों से प्राप्त नहीं हुई है (सितम्बर 2020)। वर्ष 2014–15 से 2017–18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर लो0ले0स0 की बैठकों में चर्चा नहीं की गई।

---

[13] वाणिज्य कर (11 प्रस्तरों), राज्य आबकारी (06 प्रस्तरों), परिवहन (10 प्रस्तरों), भूतत्व एवं खनिकर्म (06 प्रस्तरों) तथा मनोरंजन कर (03 प्रस्तरों)।

[14] वाणिज्य कर (24 प्रस्तरों), राज्य आबकारी (22 प्रस्तरों), परिवहन (19 प्रस्तरों), स्टाम्प एवं निबन्धन (16 प्रस्तरों), भूतत्व एवं खनिकर्म (18 प्रस्तरों) तथा मनोरंजन कर (05 प्रस्तरों)।

[15] वाणिज्य कर (04 प्रस्तरों), राज्य आबकारी (03 प्रस्तरों), परिवहन (19 प्रस्तरों), स्टाम्प एवं निबन्धन (04 प्रस्तरों), भूतत्व एवं खनिकर्म (14 प्रस्तरों) तथा मनोरंजन कर (03 प्रस्तरों)।

1.5 लेखापरीक्षा के प्रति शासन/विभागों की प्रतिक्रिया

शासन/विभागों एवं कार्यालयों की लेखापरीक्षा पूर्ण होने पर, लेखापरीक्षा सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्षों को, उनके उच्च अधिकारियों को एक प्रति के साथ सुधारात्मक कार्यवाही एवं उनकी निगरानी करने हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन (नि0प्र0) निर्गत करता है। गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें विभागाध्यक्षों एवं सरकार के संज्ञान में लायी जाती हैं।

मार्च 2019 तक जारी नि0प्र0 की समीक्षा से ज्ञात हुआ कि जून 2019 के अन्त तक 12,044 नि0प्र0 से सम्बन्धित 44,545 प्रस्तर लम्बित थे। इन नि0प्र0 में प्रकाश में लाया गया प्रभावी वसूली योग्य राजस्व ₹ 11,533.96 करोड़ है, जबकि राज्य का कुल राजस्व संग्रह ₹ 1,50,222.57 करोड़ है। राज्य सरकार के राजस्व क्षेत्र से सम्बन्धित विभागवार विवरण **सारिणी–1.5** में दिया गया है।

सारणी–1.5
निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	विभाग का नाम	प्राप्तियों की प्रकृति	लम्बित नि0प्र0 की संख्या	लम्बित लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	सन्निहित धनराशि
1	वित्त	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	5,857	25,718	3,953.42
		मनोरंजन कर	201	474	22.45
2	राज्य आबकारी	राज्य आबकारी	974	1,863	1,145.92
3	परिवहन	वाहनों पर कर	1,412	6,298	2,289.00
4	स्टाम्प एवं निबन्धन	स्टाम्प एवं निबन्धन फीस	3,365	9,042	2,470.53
5	भूतत्व एवं खनिकर्म	अलौह खनन एवं धातुकर्म उद्योग	235	1,150	1,652.64
योग			**12,044**	**44,545**	**11,533.96**

यहाँ तक कि, नि0प्र0 प्राप्ति के चार सप्ताह के अन्दर कार्यालयाध्यक्षों से प्राप्त होने वाले अपेक्षित प्रथम उत्तर, समय से प्राप्त नहीं हुए। वर्ष 2018–19 के दौरान जारी किये गये 243 नि0प्र0 में से, लेखापरीक्षा को कार्यालयाध्यक्षों से सात नि0प्र0 के मामले में प्रथम उत्तर छः माह के अन्दर तथा 21 नि0प्र0 के मामले में छः माह के बाद प्राप्त हुआ। वर्ष 2018–19 के दौरान निर्गत शेष 215 नि0प्र0 के मामले में प्रथम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। नि0प्र0 का इतनी बड़ी संख्या में लम्बित होना एवं विभागों से प्रथम उत्तर प्राप्त न होना इस तथ्य को प्रदर्शित करता है कि निरीक्षित इकाईयों के प्रमुख लेखापरीक्षा निष्कर्ष का संज्ञान लेने एवं इस संबंध में कोई सुधारात्मक कदम उठाने में असफल रहे हैं। समान प्रकृति की अनियमिततायें वर्ष प्रतिवर्ष प्रतिवेदित की जा रही हैं फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रगति/किसी सुधारात्मक कार्यवाही के कोई साक्ष्य जमीनी स्तर पर दृष्टव्य नहीं हैं। इसने लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

संस्तुतिः

राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र आरम्भ करना चाहिए कि विभागीय अधिकारी नि0प्र0 पर त्वरित प्रतिक्रिया दें, सुधारात्मक कार्यवाही करें एवं नि0प्र0 के शीघ्र निस्तारण के लिये लेखापरीक्षा के साथ मिलकर काम करें।

1.6 लेखापरीक्षा के परिणाम

वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2018–19 के दौरान लेखापरीक्षा ने राज्य सरकार के छः विभागों[16] को समाविष्ट किया तथा बिक्री, व्यापार आदि पर कर, राज्य आबकारी, वाहन, माल एवं यात्रियों पर कर, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, मनोरंजन कर एवं खनन प्राप्तियाँ से सम्बन्धित 1,556 लेखापरीक्षण योग्य इकाईयों में से 245 (16 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी। वर्ष 2017–18 के दौरान इन छः विभागों में ₹ 97,172.11 करोड़ राजस्व संग्रहीत किया गया, जिसमें से 245 लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 28,550.28[17] करोड़ संग्रहीत किया। 245 लेखापरीक्षित इकाईयों में, टर्नओवर/कर भुगतान के आधार पर अभिलेखों की नमूना जाँच की गयी जिससे 52,956 मामलों में अवनिर्धारण/कम आरोपण/राजस्व हानि से सम्बन्धित कुल ₹ 4,151.75 करोड़ के मामले पाये गये जिन्हें निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा विभागों को प्रतिवेदित किया गया था। इसमें से सम्बन्धित विभागों ने (अप्रैल 2019 एवं अगस्त 2020 के मध्य) 35 मामलों में ₹ 99.05 लाख़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया और 17 मामलों में ₹ 18.43 लाख़ की वसूली को प्रतिवेदित किया। अग्रेतर, वर्ष 2018–19 से पूर्व प्रतिवेदित किये गये लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के सम्बन्ध में सम्बन्धित विभागों द्वारा (अक्टूबर 2019 एवं मार्च 2020 के मध्य)[18] 185 मामलों में ₹ 67.99 करोड़ के अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया और 116 मामलों में ₹ 6.85 करोड़ की वसूली को प्रतिवेदित किया।

संस्तुतिः

राज्य सरकार को एक तंत्र विकसित करना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित एवं विभागों द्वारा स्वीकृत सभी अवनिर्धारण/कम आरोपण की वसूली विभागों द्वारा की जाए।

1.7 प्रतिवेदन के इस भाग का आच्छादन

इस प्रतिवेदन में वर्ष के दौरान आयोजित स्थानीय लेखापरीक्षा एवं विगत वर्षों के ऐसे प्रस्तर जो पूर्व के प्रतिवेदनों में सम्मिलित नहीं किये जा सके, के 23 प्रस्तर शामिल हैं, जिनमें ₹ 1,881.32 करोड़ का वित्तीय प्रभाव सन्निहित है।

विभागों ने ₹ 36.91 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया है तथा ₹ 1.93 करोड़ की वसूली की है। इसकी चर्चा अनुवर्ती अध्यायों–II से VI में की गयी है।

इंगित की गई त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। **इसलिए यह जाँच करने के लिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सकने हेतु एक प्रणाली को स्थापित करने के लिए शासन/विभाग सभी इकाईयों का व्यापक पुनरीक्षण कर सकते हैं।**

---

16 वाणिज्य कर, राज्य आबकारी, परिवहन, स्टाम्प एवं निबन्धन, मनोरंजन कर तथा भूतत्व एवं खनिकर्म।

17 वाणिज्य कर विभाग मा0से0क0 लागू होने के पश्चात इकाईवार राजस्व संग्रह लेखापरीक्षा दल को उपलब्ध नहीं करा सका और इसलिए इस धनराशि में विभाग की लेखापरीक्षित इकाईयों का राजस्व सम्मिलित नहीं है।

18 वर्ष 2018–19 से पूर्व के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के संबंध में अप्रैल 2019 से सितम्बर 2019 तक की अवधि के दौरान विभागों द्वारा सूचित स्वीकृति/वसूली को वर्ष 2017–18 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया जा चुका है।

अध्याय–II: राज्य आबकारी

2.1 कर प्रशासन

अल्कोहल से विभिन्न प्रकार की मदिरा, जैसे देशी मदिरा (दे0म0) तथा भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा0नि0वि0म0) विनिर्मित की जाती है। आसवनियों एवं यवासवानियों में उत्पादित अल्कोहल एवं मदिरा पर आबकारी अभिकर राज्य के आबकारी राजस्व[1] का प्रमुख भाग होता है। आबकारी अभिकर के अतिरिक्त, अनुज्ञापन शुल्क[2] भी आबकारी राजस्व का भाग होता है। संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 एवं उसके अधीन बने नियमों, मानव उपभोग हेतु मदिरा पर आबकारी अभिकर एवं लागू अनुज्ञापन शुल्क के आरोपण एवं उद्ग्रहण को नियंत्रित करते हैं।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव (राज्य आबकारी) राज्य आबकारी विभाग (विभाग) के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। आबकारी आयुक्त (आ0आ0) विभाग के प्रमुख होते हैं जिनको दो अपर आबकारी आयुक्त (अ0आ0आ0) सहायता करते हैं। विभाग के पाँच जोन हैं जिनके प्रमुख संयुक्त आबकारी आयुक्त (स0आ0आ0) होते हैं, जिनको 18 उप आबकारी आयुक्त (उ0आ0आ0) सहायता करते हैं। सहायक आबकारी आयुक्त (स0आ0आ0) जिले के प्रमुख होते हैं। आबकारी अभिकर और उससे जुड़ी उगाही के आरोपण/संग्रहण का नियंत्रण व विनियमन करने में आबकारी निरीक्षक (आ0नि0) इनकी सहायता करते हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) जिला अधिकारी के सम्पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन आबकारी प्राप्तियों के संग्रह एवं लेखाकरण के प्रभारी होते हैं।

2.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2018–19 के दौरान, विभाग की 128 लेखापरीक्षित इकाइयों में से 39[3] इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 2,414 मामलों में सन्निहित ₹ 1,839 करोड़ के आबकारी अभिकर/अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज के न/कम प्राप्ति एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जो निम्नलिखित श्रेणियों में आते हैं जैसा कि **सारणी 2.1** में उल्लिखित किया गया है।

सारिणी 2.1

क्र0 सं0	श्रेणियां	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	आबकारी सामग्री के उपभोग की मात्रा छिपाने के कारण राजस्व की वसूली न होना एवं उस पर ब्याज	01	1,646.04
2	आबकारी अभिकर का कम वसूल होना	106	16.10
3	अनुज्ञापन शुल्क/ब्याज की वसूली न किया जाना	1,391	151.93
4	अन्य अनियमितताएं[4]	916	24.93
योग		**2,414**	**1,839.00**

वर्ष 2018–19 में इंगित किये गये तीन मामलों को विभाग ने अप्रैल 2019 एवं अगस्त 2020 के मध्य में स्वीकार किया तथा ₹ 2.70 लाख की वसूली को प्रतिवेदित किया। अग्रेतर, वर्ष 2018–19 के पूर्व के लेखा परीक्षा प्रेक्षणों के संबंध में, विभाग ने

---

1 2017–18 के कुल आबकारी राजस्व में दे0म0 50 प्रतिशत, भा0नि0वि0म0 34 प्रतिशत, बीयर 12 प्रतिशत एवं अन्य चार प्रतिशत था।

2 दे0म0, भा0नि0वि0म0, बीयर, बार, आसवनियों, यवासवनियों, फार्मेसियों, आदि के अनुज्ञापियों और अन्य विनिर्माण इकाइयाँ जो कि अल्कोहल को कच्चा माल के रूप में उपयोग करती हैं, पर अनुज्ञापन शुल्क लागू होता है।

3 इसमें आबकारी आयुक्त (विभाग के प्रमुख), 15 जिला आबकारी अधिकारी व 23 आसवनियाँ सम्मिलित हैं।

4 अधिनियमों/नियमों के प्रावधानों का अनुपालन न किये जाने के लिये शास्ति का अनारोपण, अल्कोहल के न्यूनतम उत्पादन प्राप्त करने में विफलता के कारण प्रशमन धनराशि का कम आरोपण, मदिरा की बिक्री एम0आर0पी0 से अधिक पर किये जाने के मामलों में उचित कार्यवाही न किया जाना, न्यूनतम आसवन क्षमता प्राप्त करने के लिये शास्ति का अनारोपण, आदि।

(अक्टूबर 2019 एवं मार्च 2020 के मध्य) 53 मामलों में ₹ 55.29 करोड़ की धनराशि को स्वीकार किया तथा 51 मामलों में ₹ 4.76 करोड़ की वसूली को प्रतिवेदित किया।

इस अध्याय में ₹ 1,665.34 करोड़ मूल्य के 548 मामलों की विवेचना की गयी है। विभाग ने ₹ 71.62 लाख़ की धनराशि के 40 मामलों को स्वीकार किया। इनमें से कुछ अनियमितताओं को विगत पाँच वर्षों के दौरान बार–बार प्रतिवेदित किया गया जैसा कि **सारणी–2.2** में वर्णित है। इंगित की गई त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। **इसलिए यह जाँच करने के लिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सकने हेतु एक प्रणाली को स्थापित करने के लिए शासन/विभाग सभी इकाईयों का व्यापक पुनरीक्षण कर सकते हैं।**

सारिणी–2.2

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षण की प्रकृति	2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		2017–18		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	ममले	धनराशि
दुकानों के व्यवस्थापन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता	–	–	32	3.66	1,007	37.43	14,334	1,297.07	714	58.85	16,087	1,397.01
भा0नि0वि0म0 की छोटी बोतलों के ई0डी0पी0 की गलत गणना के कारण अतिरिक्त आबकारी अभिकर की हानि	–	–	–	–	–	–	–	–	–	227.98	–	227.98

2.3 आबकारी सामग्री के उपभोग की मात्रा छिपाने के कारण राजस्व एवं उस पर ब्याज की वसूली न होना

आबकारी विभाग 2013–14 से 2016–17 की अवधि में निर्धारिती द्वारा उपभोग की गयी इनपुट की मात्रा तथा निर्मित परिणामी उत्पाद की प्रभावी निगरानी करने में विफल रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1,646.04 करोड़ के राजस्व की वसूली नहीं हुई।

संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 यह प्रावधानित करती है कि कोई स्थापित आसवनी या उक्त अधिनियम की धारा 18क के अंतर्गत अनुज्ञापित कोई आसवनी या यवासवनी में निर्मित किसी आबकरी अभिकर आरोपण योग्य पदार्थ पर ऐसी दर या दरों पर जैसा कि राज्य सरकार निर्देश दे, आबकारी अभिकर आरोपित किया जा सकता है।

संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910, की धारा 38क के प्रावधानों के अनुसार, जहाँ किसी आबकारी राजस्व का भुगतान उसके देय होने के दिनांक से तीन माह के भीतर न किया गया हो, वहाँ 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज ऐसे आबकारी राजस्व के देय होने के दिनांक से वसूलनीय है।

इनपुट उत्पादों के रूप में उपयोग किए जाने वाले शीरे, अनाजों एवं माल्ट को एक मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में स्प्रिट/वाश प्राप्त करने के लिए किण्वित एवं आसवित किया जाता है, जो शराब और अन्य मादक पदार्थों जैसे अंतिम उत्पादों का उत्पादन करने के लिए पुर्नआसवित, मिश्रित, सम्मिश्रित, परिष्कृत एवं पतला किया जाता है। उत्तर प्रदेश आबकारी मैनुअल के नियम 813 के अनुसार, उत्पादन की प्रक्रिया के दौरान अधिकतम मासिक संग्रहण छीजन 0.4 प्रतिशत तक अनुमन्य है।

सहायक आबकारी आयुक्त, वेव आसवनी एवं यवासवनी लिमिटेड, अलीगढ़ के कार्यालय की लेखापरीक्षा (अगस्त 2019) के दौरान, 2013–14 से 2016–17 तक की अवधि के लिए वेव आसवनी एवं यवासवनि लिमिटेड अलीगढ़ के सम्बन्ध में शराब के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्रियों जैसे कि शीरा, माल्ट, इक्स्ट्रा न्यूट्रल

अल्कोहल (ईएनए), ग्रेन स्प्रिट, शोधित आसव, माल्ट स्प्रिट आदि से सम्बन्धित अभिलेखों[5] की जाँच की गई।

लेखापरीक्षा ने निर्धारिती द्वारा आयकर विभाग (आ0वि0) के वैधानिक रिटर्न के माध्यम से प्रस्तुत शीरे/शोधित आसव/ईएनए/ग्रेन स्प्रिट/माल्ट स्प्रिट की उपभोग के आंकड़ों की तुलना सहायक आबकारी आयुक्त, वेव आसवनी एवं यवासवनी लि0, अलीगढ़ के अभिलेखों में दर्शाये गये तत्सम्बन्धी मात्राओं से की तथा पाया कि इन दो विभागों को प्रस्तुत अभिलेखों/विवरणों में बताई गई मात्रा में बहुत भिन्नता थी। प्रयुक्त सामग्री में पायी गयी विसंगतियाँ इंगित करती हैं कि निर्धारिती द्वारा इनपुटस/मध्यवर्तियों के उपभोग को कम करके बताया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 816.58 करोड़ आबकारी राजस्व का अपवंचन हुआ जिस पर ₹ 829.46 करोड़ का ब्याज आरोपणीय था जैसा **सारिणी–2.3** में वर्णित है।

सारिणी–2.3

(₹ लाख में)

सामग्री का प्रकार	वित्तीय वर्ष[6]	आ0वि0रि0 के अनुसार उपभोग[7]	आबकारी विभाग के अनुसार उपभोग	अन्तर	सन्निहित आबकारी राजस्व	विलम्ब की अवधि महीनों[8] में	30 जून 2020 तक देय ब्याज	योग
शीरा (क्विंटल में)	2014–15	9,70,382	9,55,960	14,422	1,821.95	63	1,721.74	3,543.69
	2015–16	11,70,100	11,54,520	15,580	2,352.36	51	1,799.55	4,151.91
	2016–17	12,48,841	11,76,292	72,549	12,760.63	39	7,464.97	20,225.61
माल्ट (क्विंटल में)	2014–15	25,720	24,762	958	170.88	63	161.48	332.36
	2016–17	96,760	96,758	2	0.45	39	0.26	0.71
ईएनए/ग्रेन स्प्रिट (बल्क लीटर में)	2013–14	3,96,62,275	2,82,80,745	1,13,81,530	62,242.08	75	70,022.34	1,32,264.42
	2014–15	3,55,42,661	3,54,25,165	1,17,496	740.22	63	699.5	1,439.72
आरएस (बीएल में)	2014–15	1,65,591	1,64,543	1,048	6.53	75	7.35	13.88
ईएनए/ग्रेन स्प्रिट/आरएस (बीएल में)	2015–16	3,35,77,543	3,34,59,382	1,18,161	858.14	51	656.47	1,514.61
	2016–17	3,63,99,843	3,63,19,442	80,401	703.5	39	411.55	1,115.04
माल्ट स्प्रिट (बीएल में)	2014–15	37,352	37,187	165	0.68	63	0.64	1.31
	2015–16	21,998	21,861	137	0.69	51	0.53	1.21
योग		**14,89,19,066**	**13,71,16,617**	**1,18,02,449**	**81,658.11**		**82,946.38**	**1,64,604.47**

उपरोक्त **सारिणी 2.3** इंगित करती है कि 2013–14 से 2016–17 की विस्तारित अवधि में निर्धारिती द्वारा उपभोग की गयी इनपुट की मात्रा और इसके द्वारा निर्मित परिणामी उत्पादों की प्रभावी निगरानी करने में आबकारी विभाग विफल रहा। इसके परिणामस्वरूप प्रतिमाह 0.4 प्रतिशत की अधिकतम अनुमन्य छीजन की स्वीकृति देने के बाद भी शासन को ₹ 1,646.04 करोड़ की राजस्व प्राप्ति नहीं हुई, जिसका विवरण **परिशिष्ट–I** में दर्शाया गया है।

---

5 शीरे के मासिक स्टाक रजिस्टर (एम0एफ0–6 रजिस्टर) एवं सभी प्रकार के स्प्रिट (बीडब्ल्यूएल–5 रजिस्टर), आबकारी आयुक्त कार्यालय को प्रस्तुत विवरणी तथा लेखापरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाएं।

6 निम्नलिखित प्रकरणों में, स0आ0आ0 के अभिलेखों में दर्शायी गई मात्रा से कम मात्रा फार्म 3सीडी में दर्शायी गयी है:

सामग्री का प्रकार	वर्ष	फार्म 3सीडी के अनुसार उपभोग	स0आ0आ0 के अभिलेखों के अनुसार उपभोग
शीरा (क्विंटल में)	2013–14	9,94,280	9,98,360
माल्ट (क्विंटल में)	2013–14	19,160	19,161.70
	2015–16	17,610	18,570.40
माल्ट स्प्रिट (बीएल में)	2013–14	26,688	26,702
	2016–17	86,269	1,02,550
रेक्टिफाइड स्प्रिट (बीएल में)	2013–14	शून्य	3,06,807

7 आयकर विभाग के फार्म 3सीडी में सम्मिलित सूचना।

8 आबकारी राजस्व का भुगतान न करने के कारण विलम्ब की गणना सम्बन्धित वित्तीय वर्ष के अन्तिम दिन से 30 जून 2020 तक किया गया है।

अग्रेतर यह उल्लेख किया जा सकता है कि लेखापरीक्षा के दौरान (अगस्त 2019), लेखापरीक्षा के विशिष्ट अनुरोध के आधार पर सहायक आबकारी आयुक्त, वेव आसवनी एवं यवासवनी लिमिटेड अलीगढ़ के कार्यालय ने शराब के उत्पादन में उपयोग होने वाली वस्तुओं से सम्बन्धित जानकारी प्रदान की। हालांकि इसमें माल्ट की खपत के बारे में जानकारी प्रस्तुत नहीं की जो बीयर के उत्पादन में मुख्य इनपुट सामग्री है। इसके बाद (नवम्बर 2019) में, विभाग ने दो वर्षों अर्थात् 2014–15 और 2016–17 हेतु माल्ट के 1,666.50 क्विंटल की खपत के सम्बन्ध में जानकारी प्रस्तुत की। लेखापरीक्षा ने पाया कि प्रदान किये गये आंकड़े मात्र आसवनी में माल्ट खपत के सम्बन्ध में थे, हालांकि निर्धारिती की वेव आसवनी एवं यवासवनी उसी परिसर में स्थापित है। इसके बाद (फरवरी 2020), सहायक आबकारी आयुक्त, वेव आसवनी एवं यवासवनी लिमिटेड अलीगढ़ ने आसवनी एवं यवासवनी दोनों के लिए पूर्वोल्लिखित वर्षों के लिए 1,21,520. 10 क्विंटल की माल्ट खपत दर्शाते हुए संशोधित आंकड़े प्रस्तुत किये। माल्ट, जो बीयर के उत्पादन में एक प्रमुख इनपुट है, के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गये उपभोग के आंकड़ों के पृथक सेट संदिग्ध प्रतीत होते हैं क्योंकि लेखापरीक्षा के अनुरोध के बावजूद भी सहायक आबकारी आयुक्त ने माल्ट खपत के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त को प्रस्तुत संगत दस्तावेज जैसे मासिक स्टाक आवक की प्रति एवं विवरणी उपलब्ध नहीं कराये। सहायक आबकारी आयुक्त, वेव आसवनी एवं यवासवनी लिमिटेड अलीगढ़ द्वारा प्रदान की गयी संशोधित सूचनाओं पर निकाला गया राजस्व प्रभाव ₹ 466.98 करोड़ (आबकारी राजस्व ₹ 284.78 करोड़ के साथ ब्याज ₹ 182.20 करोड़) है।

लेखापरीक्षा द्वारा सामने लाये गये तथ्यों से, एक मुख्य इनपुट अर्थात माल्ट, जिसका राजस्व पर बहुत अधिक प्रभाव है, के आंकडे के अलग–अलग सेट उपलब्ध कराने के अतिरिक्त चार वर्ष की अवधि में निर्धारिती द्वारा विवरणों के दबाने/छिपाने का एक स्पष्ट मामला था। इस कारण शासन को राजस्व अप्राप्ति की मात्रा बहुत बड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त विभाग, ने 11 जून 2020 के अपने निर्देशों में विशेष रूप से आबकारी विभाग को यह भी सलाह दी थी कि सभी मामलों में जहाँ यह स्थापित हो जाये कि निर्धारिती ने अपने विवरणियों में तथ्यों को दबाया/छुपाया है, तो राजस्व हित की रक्षा हेतु माँग प्रेषित किया जा सकता है।

मामला दिसम्बर 2019 में विभाग और शासन के संज्ञान में लाया गया था, हालांकि, अब तक निर्धारिती से माँग किये जाने के सम्बन्ध में किसी कार्यवाही की सूचना लेखापरीक्षा को नहीं दी गयी है (सितम्बर 2020)।

संस्तुतियाँः

सरकार :

1. **निर्धारिती से माँग किये जाने और उसकी वसूली करने के लिए तत्काल कार्यवाही कर सकती है।**
2. **निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत की गयी सूचनाओं का प्रतिसत्यापन अन्य कराधान प्राधिकारियों को प्रस्तुत सूचनाओं से करने के लिए अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को उचित निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।**
3. **इस बात की जाँच करने पर विचार कर सकती है कि कैसे मूल्यांकन अधिकारी, जो निर्धारिती के परिसर में स्थापित हैं, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में विफल रहे, जिसके कारण निर्धारिती द्वारा बड़ी मात्रा में राजस्व को छिपाया गया। जिम्मेदारी उपयुक्त रूप से तय की जा सकती है।**

2.4 दुकानों के व्यवस्थापन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क (बे0अ0शु0)/अनुज्ञापन शुल्क (अ0शु0) तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता

दुकानों के व्यवस्थापन पर बेसिक अनुज्ञापन शुल्क एवं अनुज्ञापन शुल्क समय पर जमा करने के लिये लोक लेखा समिति द्वारा की गयी संस्तुति पर कार्यवाही करने में विभाग असफल रहा। इन्होंने नियमों के उल्लघंन पर व्यवस्थापन के निरस्तीकरण एवं अनुज्ञापन शुल्क/बेसिक अनुज्ञापन शुल्क (₹ 8.41 करोड़) और प्रतिभूति (₹ 6.88 करोड़) की कुल धनराशि ₹ 15.29 करोड़, के समपहरण की कोई कार्यवाही आरम्भ नहीं की।

वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के लिए उत्तर प्रदेश की आबकारी नीति प्रावधानित करती हैं कि दुकान के चयन की सूचना प्राप्ति के तीन कार्य दिवस के अन्दर अनुज्ञापन शुल्क[9] (अ0शु0)/बेसिक अनुज्ञापन शुल्क[10] (बे0अ0शु0) की सम्पूर्ण धनराशि, प्रतिभूति[11] धनराशि का आधा 10 कार्यदिवस के अन्दर एवं शेष धनराशि 20 कार्यदिवस के अन्दर जमा करना होगा। 2017–18 के लिए आबकारी नीति, यह भी प्रावधानित करती हैं कि दुकानों के नवीनीकरण के मामले में, अ0शु0/बे0अ0शु0 का आधा आवेदन के समय जमा किया जायेगा, प्रतिभूति धनराशि का आधा दुकान के नवीनीकरण के 10 दिन के अन्दर एवं अ0शु0/बे0अ0शु0 तथा प्रतिभूति जमा की शेष राशि 15 मार्च 2018 के पूर्व जमा किया जायेगा। विफलता के मामले में, दुकान का नवीनीकरण/व्यवस्थापन निरस्त कर दिया जायेगा और जमा अ0शु0/बे0अ0शु0 एवं प्रतिभूति की धनराशि समपहृत की जायेगी और इन दुकानों का पुर्नव्यवस्थापन किया जायेगा।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (राजस्व क्षेत्र) 2012–13 के प्रस्तर 3.8.8.1 में उजागर किये गये समान मामले पर, लोक लेखा समिति ने शासन को संस्तुति (मई 2015) किया कि चूककर्त्ता अनुज्ञापियों के विरूद्ध कार्यवाही करें एवं यह सुनिश्चित करें कि समान अनियमितता भविष्य में न दोहरायी जाय।

लेखापरीक्षा ने 10 जिला आबकारी कार्यालयों (जि0आ0का0) के अभिलेखों की नमूना जाँच की, और देखा (अक्टूबर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) कि 10 जनपदों में 5,367 मदिरा की दुकानों में से 540 अनुज्ञापियों (10.06 प्रतिशत), जो कि वर्ष 2017–18 एवं 2018–19 के दौरान व्यवस्थित या नवीनीकृत की गयी, ने प्रतिभूति जमा एवं अ0शु0/बे0अ0शु0 की सम्पूर्ण धनराशि निर्धारित समयावधि में जमा नहीं किया। विभागीय अभिलेखों (दुकानों के व्यवस्थापन के लिए निर्धारित जी–12 रजिस्टर) की जाँच के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा विशेष रूप से इसमें जमा की देय तिथि, जमा की वास्तविक तिथि, विलम्ब से जमा अ0शु0/बे0अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा इत्यादि की जाँच की और पाया कि लाइसेंस जारी करने के समय अनुज्ञापियों द्वारा अ0शु0/बे0अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा की केवल आंशिक धनराशि निर्धारित समय सीमा के भीतर जमा किया गया था। विलम्ब[12] की अवधि एक से 275 दिनों की थी। तथापि सम्बन्धित जि0आ0अ0 द्वारा नियमों के अन्तर्गत जिसमें कोई छूट अनुमन्य नहीं थी कोई कार्यवाही प्रारम्भ नहीं की गयी। देय धनराशि के जमा में देरी पर निष्क्रियता के परिणामस्वरूप ₹ 15.29 करोड़ (अ0शु0/बे0अ0शु0 ₹ 8.41 करोड़ एवं प्रतिभूति जमा ₹ 6.88 करोड़) की धनराशि समपहृत नहीं हुई जैसा कि **परिशिष्ट–II** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण को विभाग को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2018 एवं अप्रैल 2019 के मध्य)। उत्तर (जून, 2020) में, विभाग ने 40 दुकानों के मामले में ₹ 71.62 लाख की धनराशि की लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और शेष 500 दुकानों के लिए

---

9 अ0शु0– ₹ 226 प्रति बी0एल0 (2017–18) एवं ₹ 222 प्रति बी0एल0 (2018–19)।

10 बे0अ0शु0– ₹ 25 प्रति बी0एल0 (2017–18) एवं ₹ 28 प्रति बी0एल0 (2018–19)।

11 दुकान के लिये निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क का 10 प्रतिशत।

12 15 दिनों तक विलम्ब, दुकानें–225, धनराशि– ₹ 3.37 करोड़; 16 से 30 दिनों के मध्य विलम्ब, दुकानें–118, धनराशि– ₹ 1.58 करोड़; तथा 30 दिनों से अधिक विलम्ब, दुकानें–197, धनराशि– ₹ 10.34 करोड़।

विभाग ने बताया कि दुकानों का व्यवस्थापन बहुत समय लगने वाली प्रक्रिया थी और बैंकों द्वारा डिमाण्ड ड्राफ्टों के बिलम्ब से निकासी करने, बैंकों द्वारा देर से चालान जारी करने आदि के कारण अ0शु0/बे0अ0शु0 बिलम्ब से जमा किए गये। प्रतिभूति जमा में देरी के संबंध में, विभाग द्वारा बताया गया कि प्रतिभूति जमा विभाग के लिए राजस्व नहीं है परन्तु यह अनुज्ञापी की ओर से राजस्व के किसी भी संभावित नुकसान के मामले में राज्य के राजस्व को सुरक्षित करने का एक साधन है। विभागीय उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि अ0शु0/बे0अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा की देय तिथि एवं वास्तविक जमा की तारीख जैसा कि विभाग द्वारा बनाए गये जी–12 रजिस्टर में दर्ज किया गया, और लेखापरीक्षा द्वारा जाँच किए गये, से यह स्पष्ट होता है कि अ0शु0/बे0अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के भुगतान में बिलम्ब हुआ है। अग्रेतर, अपने तर्क के समर्थन में, लेखापरीक्षा को कोई सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये। इसलिए, लेखापरीक्षा टिप्पणी करने में असमर्थ है कि विलम्ब अनुज्ञापी स्तर पर हुआ है या स्वयं विभाग के स्तर पर। राज्य के आबकारी नीति में, यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर अ0शु0/बे0अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा को जमा नहीं किया जाता है तो इसको जब्त किया जाना है और लोक लेखा समिति ने इसी तरह की संस्तुति (मई 2015) शासन को दी थी।

संस्तुति :

विभाग को राज्य के वित्तीय हितों की रक्षा के लिये, अधिनियम/नियमों के प्रावधानों और लोक लेखा समिति द्वारा की गयी संस्तुति का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिये।

2.5 आबकारी नीति 2018–19 में विसंगति के कारण अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की हानि

आबकारी नीति 2018–19 में विसंगति के कारण भारत निर्मित विदेशी मदिरा (भा0नि0वि0म0) की 3.58 करोड़ छोटी बोतलों पर ₹ 4.01 करोड़ के अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की हानि हुई थी।

भा0नि0वि0म0 के अधिकतम फुटकर मूल्यों (एम0आर0पी0) का निर्धारण सरकार द्वारा वर्षवार निर्गत आबकारी नीतियों में प्रदान किये गये सूत्रों के अनुसार किया जाता है। आबकारी नीति 2018–19 में निर्धारित किया है कि सूत्र द्वारा आगणित एम0आर0पी0 यदि दस के गुणांक में नहीं है, तो एम0आर0पी0 को अगले दस रूपये पर पूर्णांकित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में देय होगी। एम0आर0पी0 के विभिन्न घटकों (पूर्व आसवनी कीमत (ई0डी0पी0), प्रतिफल शुल्क, थोक विक्रेता/फुटकर विक्रेता का मार्जिन) के किसी स्तर पर गणना/जोड़ने में अनियमितता, अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क पर प्रभाव डालती है जो राज्य के राजकोष में एम0आर0पी0 के अगले दस रूपये पर पूर्णांकित होने से जमा होती है।

आबकारी नीति 2018–19 ने निर्धारित किया है कि भा0नि0वि0म0 की 750 एम0एल0 के बोतलों की प्रतिफल शुल्क की गणना पहले की जायेगी और तदोपरान्त छोटी बोतलों की प्रतिफल शुल्क की गणना समानुपातिक आधार पर की जायेगी। तथापि, छोटी बोतलों की ई0डी0पी0 की गणना के लिए, यह निर्धारित किया गया कि 750 एम0एल0 की बोतलों की ई0डी0पी0 की गणना पहले की जायेगी और तदोपरान्त छोटी बोतलों की ई0डी0पी0 की गणना समानुपातिक आधार (750 एम0एल0 की बोतल से बनने वाली छोटी बोतलों की पूर्ण संख्या के अनुसार) पर 750 एम0एल0 की ई0डी0पी0 में ₹ 2/ ₹ 3 (375 एम0एल0/180 एम0एल0) को जोड़ कर की जायेगी।

आबकारी नीति के उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार, भा0नि0वि0म0 की 180 एम0एल0 की बोतलों पर प्रतिफल शुल्क का संग्रहण बोतल में मदिरा की वास्तविक मात्रा पर किया गया (जैसे 750 एम0एल0 की बोतल की प्रतिफल शुल्क *180/750) जबकि 180

एम0एल0 की बोतलों की ई0डी0पी0 की गणना के समय, 750 एम0एल0 की बोतल की ई0डी0पी0 में ₹ 3 जोड़कर और फिर उसे चार से भाग देकर ई0डी0पी0 निर्धारित की गयी। इस प्रकार, 180 एम0एल0 की बोतलों के लिए, आसवक को 187.5 एम0एल0 की ई0डी0पी0 प्राप्त हुई (750 एम0एल0 को 4 से विभाजित करके) परन्तु मात्र 180 एम0एल0 की प्रतिफल शुल्क का भुगतान किया गया।

आबकारी नीति की इस विसंगति के प्रभाव ने निजी आसवकों के लाभ में अनुचित वृद्धि कर दी तथा राजकोष तद्नुरूप अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क से वंचित रहा।

लेखापरीक्षा ने 2018–19 में सहायक आबकारी आयुक्त, यूनाइटेड स्प्रिट लिमिटेड, मेरठ के कार्यालय के सभी सात ब्रांड अनुमोदन फाइलों के अभिलेखों की जाँच की, और पाया (मार्च 2019) कि 180 एम0एल0 की बोतलों पर अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क आरोपित करने के बजाय, आसवक के पक्ष में ई0डी0पी0[13] की अतिरिक्त धनराशि अनुमन्य किया परिणामस्वरूप आसवक को 3.58 करोड़ छोटी बोतलों की बिक्री पर ₹ 4.01 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ, जैसा कि **परिशिष्ट–III** में वर्णित है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल, 2019)। उत्तर (जून, 2020) में, विभाग ने बताया कि 180 एम0एल0 की बोतलों की ई0डी0पी0 की गणना आबकारी नीति 2018–19 के अनुसार की गयी थी। तथ्य यही है कि आबकारी नीति में विसंगति के परिणामस्वरूप अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क के रूप में ₹ 4.01 करोड़ की क्षति हुई। पूर्व में, उत्तर प्रदेश राज्य के लिए 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए, 'मदिरा के उत्पादन और बिक्री के मूल्य निर्धारण' पर नि0म0ले0प0 के प्रतिवेदन में समान लेखापरीक्षा प्रेक्षण पर प्रतिवेदित प्रस्तर 4.2.1 पर, विभाग ने स्वीकार एवं आश्वस्त किया (जुलाई 2018), कि आबकारी नीति में संशोधन के माध्यम से विसंगति को दूर किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने देखा कि इस विसंगति को आबकारी नीति 2019–20 में सुधार लिया गया है।

[13] 180 एम0एल0 के बजाय 187.5 एम0एल0 की ई0डी0पी0 की गणना।

अध्याय–III: बिक्री, व्यापार आदि पर कर

3.1 कर प्रशासन

बिक्री कर/मूल्य संवर्धित कर (मू0स0क0) कानून एवं उसके अधीन बने नियमों को अपर मुख्य सचिव (वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर), उत्तर प्रदेश शासित करते हैं। कमिश्नर, वाणिज्य कर (क0वा0क0), उत्तर प्रदेश, वाणिज्य कर विभाग के प्रमुख हैं। उनके/उनकी सहायता के लिये 100 एडीशनल कमिश्नर, 157 ज्वाइन्ट कमिश्नर (ज्वा0कमि0), 494 डिप्टी कमिश्नर (डि0कमि0), 964 असिस्टेन्ट कमिश्नर (असि0कमि0) एवं 1,275 वाणिज्य कर अधिकारी (वा0क0अ0) होते हैं। 1 जुलाई, 2017, से विभाग राज्य में माल और सेवा कर (मा0से0क0) का प्रशासन भी देख रहा है।

3.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

- **मा0से0क0 डेटा बेस की एक्सेस**

मा0से0क0 कार्यान्वयन के लिये आई0टी0 प्लेटफार्म के आरम्भ के साथ, जी0एस0टी0 पोर्टल डेटा और कर विभाग की बैक–एण्ड प्रणाली का एक्सेस लेखापरीक्षा के लिये आवश्यक हो जाता है जिससे कि प्रणाली की मजबूती के सम्बन्ध में आश्वासन प्राप्त किया जा सके। जी0एस0टी0 आई0टी0 प्रणालियों और डेटा तक पूर्ण ऐक्सेस के लिये नि0म0ले0प0 की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में, जी0एस0टी0एन0 ने भारत सरकार को नि0म0ले0प0 दलों के लिये लागिन क्रिडेंशियल बनाने के लिये अनुशंसा की थी (अक्टूबर 2016)।

इस कार्यालय द्वारा राज्य सरकार को सूचित किया गया था[1] (अप्रैल 2018) कि भारत के नि0म0ले0प0 को कुछ प्रासंगिक प्रोटोकाल्स के साथ मा0से0क0 डेटा को साझा किया जा सकता है। विभाग ने उत्तर में बताया[2] (मई 2018) कि जी0एस0टी0एन0 पोर्टल की ऐक्सेस उपलब्ध कराना और भूमिका की पटकथा बनाना केवल जी0एस0टी0एन0 परिषद के द्वारा ही सम्भव है।

जून 2020 में, मा0से0क0 कार्यान्वयन समिति ने नि0म0ले0प0 द्वारा प्रस्तावित डेटा ऐक्सेस व्यवस्था को स्वीकार किया जिसके अनुसार लेखापरीक्षा को जी0एस0टी0एन0 परिसर में पूर्ण पैन–इण्डिया डेटा एवं कर विभाग की बैक–एण्ड प्रणालियों का एक्सेस होगा। तदनुसार, जी0एस0टी0एन0 परिसर में मा0से0क0 डेटा का एक्सेस उपलब्ध कराया गया। तथापि, राज्य वाणिज्य कर विभाग की बैक–एण्ड एपलिकेशन का एक्सेस अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, जिसके बिना मा0से0क0 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा सम्भव नहीं है क्योंकि अधिकतर मा0से0क0 अभिलेख डिजीटल किये जा चुके हैं। इसके आलोक में, राज्य वाणिज्य कर विभाग की बैक–एण्ड प्रणालियों के एक्सेस से सम्बन्धित मामले पर सितम्बर 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार के साथ चर्चा की गयी। मामले में राज्य सरकार की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (सितम्बर 2020)।

- **वर्ष 2018–19 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा**

2018–19 के दौरान, वाणिज्य कर विभाग के 769 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 94[3] लेखापरीक्षित इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 579 मामलों में सन्निहित ₹ 108.20 करोड़ के कर के अवनिर्धारण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जो निम्नलिखित श्रेणियों में आता है जैसा कि **सारणी–3.1** में सारणीकृत किया गया है।

---

1 पत्र सं0 एजी (ई एण्ड आरएसए), यूपी/सेक्रेट./2018–19/03 दिनांक 05 अप्रैल 2018 द्वारा।

2 पत्र सं0 ज्वाइंट कमिश्नर (आडिट)/2018–19/431/वाणिज्य कर दिनांक 21 मई 2018 द्वारा।

3 इसमें अपर मुख्य सचिव, वाणिज्य कर एवं मनोरंजन कर उत्तर प्रदेश शासन (01), ज्वा0 कमि0 (19), खण्ड (64), सचल दल इकाइयाँ (09) एवं प्रशासनिक इकाई (01) सम्मिलित हैं।

सारणी–3.1

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	कर का अवनिर्धारण	127	29.64
2	त्रुटिपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों की स्वीकार्यता	22	2.14
3	खरीद/बिक्री छिपाये जाने से करापवंचन	04	0.17
4	इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0टी0सी0) की अनियमित/गलत/अधिक अनुमन्यता	83	8.21
5	ब्याज का न/कम प्रभारित किया जाना	68	3.08
6	अर्थदण्ड का अनारोपण	243	59.45
7	अन्य अनियमितताएं[4]	32	5.51
योग		**579**	**108.20**

वर्ष 2018–19 में इंगित किये गये मामलों में विभाग ने (अप्रैल 2018 एवं अगस्त 2020 के मध्य) 31 मामलों में ₹ 94.61 लाख की धनराशि को स्वीकार किया तथा 13 मामलों में ₹ 11.29 लाख की वसूली को प्रतिवेदित किया। अग्रेतर, वर्ष 2018–19 से पूर्व के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों के संबंध में विभाग ने (अक्टूबर 2019 एवं मार्च 2020 के मध्य) 132 मामलों में ₹ 12.70 करोड़ की धनराशि को स्वीकार किया तथा 65 मामलों में ₹ 2.09 करोड़ की वसूली को प्रतिवेदित किया।

यह अध्याय ₹ 37.92 करोड़ मूल्य के 67 मामलों की विवेचना करता है। ये मामले, कर निर्धारण वर्ष जिसके लिये उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर (उ0प्र0मू0सं0क0) अधिनियम, 2008 तथा केंद्रीय बिक्री कर (कें0बि0क0) अधिनियम, 1956 लागू थे, से सम्बन्धित थे। विभाग ने 43 मामलों में ₹ 29.06 करोड़ की धनराशि को स्वीकार किया, जिसमें से विभाग ने 13 मामलों में ₹ 78.68 लाख की वसूली को प्रतिवेदित किया। इस प्रकार के मामले विगत पाँच वर्षों में बार–बार प्रतिवेदित किये जाने के बावजूद इन अनियमितताओं में से कुछ लगातार बनी रहती हैं, जैसा कि **सारणी–3.2** में वर्णित है। इंगित की गई त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। **इसलिए यह जाँच करने के लिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सकने हेतु एक प्रणाली को स्थापित करने के लिए शासन/विभाग सभी इकाईयों का व्यापक पुनरीक्षण कर सकते हैं।**

सारणी–3.2

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षणों की प्रकृति	2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		2017–18		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
कर की गलत दर का लगाया जाना	75	8.49	132	7.49	35	2.72	24	2.00	58	12.36	324	33.06
पंजीयन प्रमाणपत्र (पं0प्र0) से अनाच्छादित वस्तु पर अनियमित छूट की अनुमन्यता	16	1.03	9	0.41	7	0.27	24	3.80	14	1.05	70	6.56
अननुमन्य आई0टी0सी0	15	12.41	21	0.87	15	0.77	20	1.18	27	1.01	98	16.24
स्रोत पर कटौती किये गये कर को विलम्ब से जमा किया जाना	28	8.74	25	8.75	14	2.98	28	8.05	69	26.80	164	55.32

[4] अधिनियम के प्रावधानों के विरूद्ध व्यापारियों द्वारा अधिक वसूले गये राजस्व को जब्त न किया जाना, अपंजीकृत व्यापारियों का पंजीकरण न कराया जाना, वसूले गये राजस्व को कोषागार में विलम्ब से जमा किया जाना, अभिलेखों/रजिस्टरों का रख–रखाव न किया जाना आदि।

अनियमितताओं की पुनरावृत्तीय प्रकृति यह प्रमाणित करती है कि राज्य सरकार एवं वाणिज्य कर विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा वर्ष प्रति वर्ष इंगित किये जाने के बाद भी सतत् अनियमितताओं पर ध्यान देने के लिये प्रभावकारी उपाय नहीं किये।

संस्तुतिः

विरासत के मू0सं0क0 मामलों का कर निर्धारण प्रक्रिया में है, राज्य सरकार ऐसे मामलों के कालातीत होने से पूर्व, प्रतिवेदित किये गये अनियमितताओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कदम उठा सकती है। इस बात की प्रबल सम्भावना है कि इस स्तर पर राजस्व का अघोषित रिसाव बिना पता लगे ही रह जाये क्योंकि निकट भविष्य में प्रणाली पूर्ण रूप से मा0से0क0 प्रशासन पर केन्द्रित रहेगी।

3.3 टर्नओवर का कर निर्धारण से छूट जाना

वाणिज्य कर विभाग एवं आयकर विभाग में व्यापारी द्वारा दाखिल अभिलेखों का लेखापरीक्षा ने प्रतिसत्यापन किया और पाया कि उसके द्वारा ₹ 21.85 करोड़ मूल्य के माल का टर्नओवर का विवरण छिपाया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 3.17 करोड़ के कर एवं ₹ 9.51 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008[5] के अन्तर्गत, कर निर्धारण प्राधिकारी (क0नि0प्रा0) से अपेक्षित है कि वह व्यापारियों द्वारा अपने व्यापार के सम्बन्ध में रखी जाने वाली पुस्तकों, खातों एवं अभिलेखों तथा अन्य प्रासंगिक अभिलेखों की जाँच के पश्चात् कर निर्धारण सम्पन्न करें। अग्रेतर, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम[6] के अन्तर्गत, जहाँ पर व्यापारी ने अपने टर्नओवर का विवरण छिपाया हो या जानबूझकर ऐसे टर्नओवर का गलत विवरण प्रस्तुत किया हो, या इस अधिनियम के अधीन मिथ्या कर विवरणी प्रस्तुत किया हो या संदाय कर का अपवंचन किया हो, जिसका वह इस अधिनियम के अधीन भुगतान करने का दायी है, तो क0नि0प्रा0 ऐसे व्यापारी को निर्देश दे सकता है कि, वह कर यदि उसके द्वारा देय हो, के साथ–साथ छिपायी गयी या परिवर्जित की गयी कर की धनराशि का तीन गुना अर्थदण्ड के रूप में भुगतान करे।

ज्वाइंट कमिश्नर (कारपोरेट सर्किल), वाणिज्य कर, इलाहाबाद, के कार्यालय में एक व्यापारी द्वारा दाखिल वार्षिक विवरणी, प्रपत्र सं0 3सीडी[7], बैलेंस शीट तथा व्यापारिक एवं लाभ–हानि खाता और मू0सं0क0 अवधि के वर्ष 2013–14 से 2015–16 के कर निर्धारण आदेशों का आयकर विभाग से प्राप्त (दिसम्बर 2019) प्रपत्र सं0 3सीडी, बैलेंस शीट तथा व्यापारिक एवं लाभ–हानि खाता के साथ प्रतिसत्यापन पर लेखापरीक्षा ने पाया कि व्यापारी द्वारा वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लिए आयकर विभाग में दाखिल वार्षिक विवरणी की तुलना में वाणिज्य कर विभाग (वा0क0वि0) में ₹ 21.85 करोड़ मूल्य के वाहनों एवं वाहनों के एसेसरीज तथा स्पेयर पार्ट्स की बिक्री का टर्नओवर छिपाया गया। यह पाया गया कि एक ही चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म ने अलग–अलग प्रपत्र 3सीडी के सेट तैयार किये जो कि वाणिज्यि कर विभाग एवं आयकर विभाग में दाखिल किये गये। क0नि0प्रा0 ने सितम्बर 2017 एवं मार्च 2019 के मध्य उक्त वर्षों के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय ₹ 21.85 करोड़ के छिपाये गये टर्नओवर का पता लगाने में विफल रहे। इस कारण, व्यापारी पर ₹ 3.17 करोड़ के कर का अनारोपण के साथ–साथ छिपाये गये टर्नओवर पर ₹ 9.51 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण हुआ। विवरण **सारणी–3.3** में उल्लिखित है।

---

[5] उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 28।

[6] उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 54(1)(2)।

[7] आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44एबी के अन्तर्गत ऑकड़ों का विवरण प्रपत्र सं0 3सीडी में देना आवश्यक है। जिसमें साझीदार/सदस्यों का नाम एवं उनके लाभ के हिस्से का प्रतिशत, कुल लाभ, अन्तिम रहतिया के मूल्यांकन का तरीका एवं मूल्यह्रास का विवरण सम्मिलित होता है।

सारणी–3.3
टर्नओवर का करनिर्धारण से छूट जाना

(₹ लाख में)

वर्ष	आ0क0वि0 में दाखिल प्रपत्र 3सीडी में दर्शाया गया बिक्री का टर्नओवर	वा0क0वि0 में दाखिल प्रपत्र 3सीडी में दर्शाया गया बिक्री का टर्नओवर	प्रपत्र–52[8] में दर्शाया गया बिक्री का टर्नओवर	टर्नओवर जिस पर कर निर्धारण आदेश में कर निधारित हुआ	टर्नओवर जिस पर कर निर्धारण नहीं हुआ (1–3)[9]	कम घोषित बिक्री पर आरोपणीय कर (14.5 प्रतिशत की दर से)	छिपाये गये टर्नओवर पर आरोपणीय अर्थदण्ड
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2013–14	10,213.91	9,683.43	9,683.43	9,683.43	530.48	76.92	230.76
2014–15	13,255.24	12,408.13	12,408.13	12,411.63	847.11	122.83	368.49
2015–16	14,942.96	14,135.38	14,135.38	14,138.88	807.58	117.10	351.30
योग	**38,412.11**		**36,226.94**		**2,185.17**	**316.85**	**950.55**

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को दिसम्बर 2019 में प्रतिवेदित किया। इस सम्बन्ध में (जून 2020), विभाग ने बताया कि लेखापरीक्षा प्रेक्षण के आधार पर वाद का पुनः कर निर्धारण करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही थी।

संस्तुतियाँ:

1. **विभाग राजस्व के हितों की रक्षा के लिए वा0क0वि0 को प्रस्तुत की गई कार्यवाही योग्य सूचनाओं का अन्य कराधान प्राधिकारियों के साथ प्रतिसत्यापन के लिए एक प्रणाली स्थापित करने पर विचार कर सकता है।**
2. **विभाग चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्मों के विरूद्ध गलत प्रमाण पत्रों को प्रस्तुत करने हेतु भारत के चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स का संस्थान के साथ चर्चा करके कार्यवाही प्रारंभ कर सकता है।**

3.4 कर की गलत दर का लगाया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने ₹ 23.07 करोड़ मूल्य के माल की बिक्री पर कर की दरों को सत्यापित किये बिना कर विवरणियों में उल्लिखित दरों के अनुसार स्वीकार किया। इस प्रकार ₹ 1.95 करोड़ की धनराशि का कर कम/नहीं आरोपित किया गया।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत, कर मुक्त वस्तुएं अनुसूची I में उल्लिखित हैं तथा वस्तुओं पर लागू कर की दरों के अनुसार कर योग्य वस्तुएं अनुसूची II से IV में उल्लिखित हैं। जो वस्तुएं उपरोक्त किसी भी अनुसूची में उल्लिखित नहीं हैं वो अनुसूची V से आच्छादित हैं तथा 12.5 प्रतिशत की दर से कर योग्य हैं। उपरोक्त कर के अतिरिक्त, शासन द्वारा समय–समय पर अधिसूचित अतिरिक्त कर भी आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा ने (सितम्बर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) 10 वा0क0का0 में 2,277 व्यापारियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि 13 व्यापारियों के मामलों में क0नि0प्रा0 ने वर्ष 2013–14 से 2015–16 के कर निर्धारण को अन्तिम रूप देते समय (अप्रैल 2017 एवं मार्च 2018 के मध्य), ₹ 23.07 करोड़ के माल की

[8] 52 व्यापारी द्वारा वा0क0वि0 में दाखिल वार्षिक विवरणी है, जिसमें खरीद, बिक्री, आईटीसी, कर की गणना आदि का विवरण होता है।

[9] कालम 1 व 3 यहां लिया गया जिस पर कर का निर्धारण नहीं किया गया है क्योंकि इन कालम में व्यापारी द्वारा स्वयं आ0क0वि0 एवं वा0क0वि0 दोनों में अपने टर्नओवर को घोषित किया गया है, जबकि कालम 4, व्यापारी द्वारा घोषित बिक्री के साथ जले हुये तेल का अपवंचित टर्नओवर जिसे व्यापारी द्वारा वा0क0वि0 में अपनी वार्षिक विवरणी में घोषित नहीं किया गया, को दर्शाता है।

बिक्री पर व्यापारियों द्वारा कर विवरणियों में उल्लिखित शून्य से पाँच प्रतिशत की कर की दर को स्वीकार किया। क0नि0प्रा0 अनुसूची के अनुसार ऐसी वस्तुओं पर प्रभावी पाँच से 14.5 प्रतिशत की दर को सत्यापित और आरोपित करने में विफल रहे। इस प्रकार, ₹ 1.95 करोड़ की धनराशि का कर कम/नहीं आरोपित हुआ **(परिशिष्ट–IV)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2018 एवं अप्रैल 2019 के मध्य)। उत्तर में (मार्च 2020), विभाग ने सात मामलों में ₹ 1.62 करोड़ धनराशि के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया, जिसमें से तीन मामलों में ₹ 6.68 लाख की वसूली उनके द्वारा प्रतिवेदित की गयी। दो मामलों में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार नहीं किया। इन दो मामलों में विभाग के उत्तर का विश्लेषण **सारणी–3.4** में सूचीबद्ध है।

सारणी–3.4

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई/ प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1	**डि0कमि0 खण्ड–05 गाजियाबादः** प्लास्टिक पोल्ट्री इक्विपमेंट की बिक्री पर आरोपणीय दर 14 प्रतिशत के विरूद्ध पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया था।	टंकण की त्रुटि के कारण कर निर्धारण आदेश में, प्लास्टिक गुड्स के स्थान पर पोल्ट्री इक्विपमेंट का उल्लेख कर दिया गया था, जिसे धारा 31 के अन्तर्गत दिनांक 4 जून 2019 को संशोधित कर दिया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि 30 मई 2017 को पारित प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश के विभिन्न पृष्ठों पर पोल्ट्री इक्विपमेंट को दर्शाया गया है। एक टंकण की त्रुटि अनेक पृष्ठों पर नहीं पायी जा सकती है। अग्रेतर, यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि व्यापारी ने स्वयं भी अपने वार्षिक विवरणी में इसी वस्तु को दर्शाया है। विभाग द्वारा प्लास्टिक गुड्स की बिक्री से सम्बन्धित दावा को स्थापित करने के समर्थन में अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार पोल्ट्री इक्विपमेंट पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।
2	**डि0कमि0 खण्ड–18 गाजियाबादः** कर निर्धारण आदेश में लकड़ी की बिक्री पर आरोपणीय दर 14 प्रतिशत के विरूद्ध पाँच प्रतिशत की दर से करारोपण किया गया था।	विभाग ने बताया कि खरीद सूची के अनुसार वुडेन शेविग पैकिंग की खरीद की गयी थी जिसे विक्रेता व्यापारी के सूची से भी सत्यापित कर लिया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि व्यापारी द्वारा दाखिल किये गये अनुलग्नकों और अपने वार्षिक विवरणी दोनों में एवं क0नि0प्रा0 द्वारा पारित कर निर्धारण आदेश में भी लकड़ी की बिक्री को दर्शाया गया था। इस प्रकार, उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम के अनुसार लकड़ी पर 14 प्रतिशत की दर से कर देय है।

अवशेष ₹ 27.60 लाख की धनराशि के चार मामलों में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही थी (सितम्बर 2020)।

संस्तुतिः

विभाग को क0नि0प्रा0 द्वारा पारित कर निर्धारण आदेशों की उच्च स्तर के प्राधिकारियों द्वारा आवधिक समीक्षा करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना चाहिए।

3.5 फार्म 'सी' के विरूद्ध क्रय किये गये माल पर अनियमित रियायत की अनुमन्यता

व्यापारियों ने घोषणा पत्र फार्म 'सी' के विरूद्ध कर की रियायती दर से ₹ 14.32 करोड़ के मूल्य का माल क्रय किया जो कि उनके पंजीयन प्रमाणपत्रों (पं0प्र0) से आच्छादित नहीं था अथवा उनका प्रयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु किया गया जिस हेतु पं0प्र0 प्रदान किया गया था। तथापि, क0नि0प्रा0 द्वारा ₹ 2.48 करोड़ का अर्थदण्ड आरोपित नहीं किया गया।

के0बि0क0 अधिनियम, 1956[10] के अन्तर्गत, एक पंजीकृत व्यापारी राज्य के बाहर से फार्म 'सी' जो कि क्रेता व्यापारी द्वारा जारी किया गया हो में घोषणा के विरुद्ध कर की रियायती दर से कोई माल की खरीद कर सकता है। के0बि0क0 अधिनियम[11] के अन्तर्गत, यदि उससे सम्बन्धित पं0प्र0 ऐसे माल को आच्छादित नहीं करता है अथवा ऐसे माल का प्रयोग, उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु किया जाता है, जिस हेतु पं0प्र0 प्रदान किया गया है तो व्यापारी अभियोजन का पात्र होगा। तथापि, यदि कर निर्धारण प्राधिकारी इसे उचित समझे, तो, वह अभियोजन के स्थान पर ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने तक अर्थदण्ड आरोपित कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने (जनवरी 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) नौ वा0क0का0 में 2,323 व्यापारियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि 10 व्यापारियों ने वर्ष 2011–12 और 2013–14 से 2015–16 के दौरान ₹ 14.32 करोड़ मूल्य के माल की खरीद, फार्म 'सी' में घोषणा के विरूद्ध कर की रियायती दर से की थी। तथापि, खरीदा गया माल उनके सम्बन्धित पं0प्र0 से आच्छादित नहीं था अथवा उसका प्रयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन हेतु किया गया, जिस हेतु पं0प्र0 प्रदान किया गया था जिसके लिये वे अभियोजन के स्थान पर, ऐसे माल की बिक्री पर देय कर के डेढ़ गुने अर्थदण्ड के भुगतान के दायी थे। क0नि0प्रा0 ने, जुलाई 2014 एवं मार्च 2018 के मध्य कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय, सुसंगत पं0प्र0 और प्रश्नगत व्यापारियों के फार्म 'सी' के उपयोग के ब्यौरों की संवीक्षा नहीं की एवं परिणामस्वरूप ₹ 2.48 करोड़ के अर्थदण्ड का आरोपण नहीं हो सका **(परिशिष्ट-V)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (फरवरी 2018 एवं अप्रैल 2019 के मध्य)। उत्तर (मार्च 2020) में, विभाग ने नौ मामलों में ₹ 63.28 लाख के लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया, जिसमें से पाँच मामलों में, ₹ 36.06 लाख की वसूली प्रभावित थी।

अवशेष ₹ 1.84 करोड़ की धनराशि के एक मामले में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही थी (सितम्बर 2020)।

संस्तुतिः

विभाग यह सुनिश्चित करे कि कर निर्धारण को अन्तिम रूप से पारित करते समय पं0प्र0 एवं उपयोग प्रमाणपत्रों, जहाँ ऐसी रियायतों पर विचार करते हैं, का सावधानीपूर्वक परीक्षण करें।

[10] के0बि0क0 अधिनियम, 1956 की धारा 8।
[11] के0बि0क0 अधिनियम, 1956 की धारा 10–ए एवं 10–डी।

3.6 व्यापारियों को अननुमन्य आई0टी0सी0 की अनुमन्यता

व्यापारियों ने ₹ 2.88 करोड़ की धनराशि की आई0टी0सी0 का त्रुटिपूर्ण दावा किया जिसे कि क0नि0प्रा0 द्वारा अनियमित रूप से अनुमन्य किया गया था। इसके परिणामस्वरूप कुल ₹ 4.52 करोड़ की आई0टी0सी0 ब्याज सहित अनुत्क्रमित रही।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008[12] के अन्तर्गत, पुनर्बिक्री या पुनर्विक्रयार्थ माल के निर्माण में प्रयोग के लिये कुछ शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ राज्य के भीतर व्यापारियों को कर बीजकों के विरुद्ध राज्य के पंजीकृत व्यापारियों के मामले में खरीदे माल पर अदा किये गये कर अथवा अपंजीकृत व्यापारियों से खरीदे गये माल पर नकद जमा किये गये कर का लाभ, उक्त अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत सुसंगत खण्डों के अनुसार दी गयी सीमा तक आई0टी0सी0 के रूप में अनुमन्य है। अग्रेतर[13], यदि कोई व्यापारी ने किसी माल के सम्बन्ध में त्रुटिपूर्ण रीति से आई0टी0सी0 का दावा किया है तो, आई0टी0सी0 का लाभ उस सीमा तक जहाँ तक यह अनुमन्य नहीं है, 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज सहित उत्क्रमित होगा।

लेखापरीक्षा ने (सितम्बर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) 18 वा0क0का0 में 6,694 व्यापारियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि 18 व्यापारियों ने वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान ₹ 2.88 करोड़ की आई0टी0सी0 का त्रुटिपूर्ण दावा किया था, जो कि उन्हें अनुमन्य नहीं था। क0नि0प्रा0, से अपेक्षित था कि वे (नवम्बर 2016 एवं मार्च 2018 के मध्य) कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय, इस गैर–अनुमन्य आई0टी0सी0 को उत्क्रमित करते एवं व्यापारियों को अनुत्क्रमित आई0टी0सी0 की राशि को साधारण ब्याज के साथ भुगतान करने का निर्देश देते जो कि उत्क्रमित नहीं की गई थी। इस असफलता के परिणामस्वरूप कुल ₹ 4.52 करोड़ (आई0टी0सी0 ₹ 2.88 करोड़ एवं ब्याज ₹ 1.64 करोड़) की आई0टी0सी0 का ब्याज सहित उत्क्रमण नहीं हुआ **(परिशिष्ट-VI)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2018 एवं मई 2019 के मध्य)। उत्तर (मार्च 2020) में, विभाग ने छः मामलों में ₹ 1.48 करोड़ के लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार किया, जिसमें से एक मामले में ₹ 9.33 लाख की वसूली विभाग द्वारा प्रतिवेदित की गई। पाँच मामलों में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण को स्वीकार नहीं किया। इन पाँच मामलों में विभाग के उत्तरों का विश्लेषण **सारणी–3.5** में सूचीबद्ध है।

सारणी–3.5

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
1	**ज्वा0कमि0 (का0स0) आगराः** प्रतिसत्यापन के दौरान ₹ 1.46 करोड़ की आई0टी0सी0 सत्यापित नहीं पायी गयी। इसलिए, उसे ब्याज सहित उत्क्रमित किया जाना चाहिए।	विभाग ने बताया कि व्यापारी द्वारा खरीद पर अदा किये गये कर एवं इसके लेखों की जांच के पश्चात कर निर्धारण के समय आई0टी0सी0 अनुमन्य की गयी थी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि विभाग के आन्तरिक पत्राचार से स्पष्ट है कि विभाग के अन्दर प्रतिसत्यापन के दौरान ₹ 1.46 करोड़ की आई0टी0सी0 सत्यापित नहीं पायी गयी।
2	**डिप्टी कमि0, सिकन्दराबाद, बुलन्दशहरः** व्यापारी द्वारा दाखिल विवरण के अनुसार करमुक्त वस्तुऐं (कोई कर नहीं) आर्गेनिक मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर, जिंक सल्फेट फर्टिलाइजर और मैक्रो	टंकण की त्रुटि के कारण अपने मासिक विवरणों में, अपनी खरीद सूची में पेस्टीसाइड, फर्टिलाइजर यूरिया के स्थान पर आर्गेनिक मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर, जिंक सल्फेट फर्टिलाइजर और मैक्रो	उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि आर्गेनिक मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर, जिंक सल्फेट फर्टिलाइजर और मैक्रो न्यूट्रिएंट मिक्सचर करमुक्त वस्तुऐं है जिस पर मू0सं0क0 नहीं लगता। अग्रेतर, विभाागीय दावों को स्थापित करने के लिए कोई अभिलेखीय साक्ष्य

[12] उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 13।
[13] उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 14(2) के अन्तर्गत।

क्र0 सं0	लेखापरीक्षित इकाई / प्रेक्षण संक्षेप में	विभागीय उत्तर संक्षेप में	खण्डन
	न्यूट्रिएंट मिक्सचर पर आई0टी0सी0 का दावा किया गया। अतः, करमुक्त वस्तुओं की खरीद पर व्यापारी द्वारा दावाकृत आई0टी0सी0 को उत्क्रमित किया जाना चाहिए था।	न्यूट्रिएंट मिक्चर की खरीद को दर्शाया गया था जिसे दिनांक 01 फरवरी 2020 को धारा–31 के अन्तर्गत संशोधित कर दिया गया।	लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः उपरोक्त वस्तुओं पर अधिक आई0टी0सी0 का लाभ दिया जाना स्पष्ट नहीं है एवं टंकण की त्रुटि से सम्बन्धित उत्तर स्वीकार्य नहीं है।
3	**डिप्टी कमि0 खण्ड–22, लखनऊः** कैपिटल गुड्स (टूल्स) पर अर्जित समस्त आई0टी0सी0 का दावा एवं समायोजन उसी वर्ष के देय कर के विरूद्ध किया गया। मू0सं0क0 नियमावली के अनुसार कैपीटल गुड्स पर आई0टी0सी0 का दावा तीन लगातार वर्षो में तीन समान किश्तों में किया जाता है। अतः इसे ब्याज सहित उत्क्रमित किया जाना चाहिए।	व्यापारी ने कन्ज्यूमेबल गुड्स जैसे कि प्रिटिंग इंक, पेन्ट और वार्निश इत्यादि पर आई0टी0सी का दावा किया है, जो कि उसके वार्षिक विवरण में टूल्स के रूप में दर्शाया गया है। इस प्रकार यह कैपिटल गुड्स न होकर कन्ज्यूमेबल गुड्स है जिसका प्रयोग व्यापारी द्वारा अपने निर्माण की प्रक्रिया में किया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है। व्यापारी द्वारा दाखिल अभिलेखों के अनुसार "टूल्स" का ही उल्लेख किया गया है और क0नि0प्रा0 द्वारा कर निर्धारण करते समय उसे ही स्वीकार किया गया है। अग्रेतर, विभागीय दावों को स्थापित करने के लिए कोई अभिलेखीय साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। जैसा कि, टूल्स एक कैपिटल गुड्स होने के कारण, आई0टी0सी0 का दावा तीन लगातार वर्षो मे तीन समान किश्तों में किया जाना चाहिए।
4	**डिप्टी कमि0 खण्ड–3 नोएडा :** आडिट रिपोर्ट (प्रपत्र–XXIII) में चार्टेड एकाउन्टेन्ट (सी0ए0) द्वारा प्रमाणित एवं व्यापारी द्वारा अपने वार्षिक विवरणी में अग्रेनीत दावाकृत आई0टी0सी0 के विरूद्ध पिछले वर्ष से अधिक अग्रेनीत आई0टी0सी0 व्यापारी को कर निर्धारण आदेश में अनुमन्य की गयी।	विभाग ने बताया कि व्यापारी द्वारा कर निर्धारण के समय संशोधित वार्षिक विवरणी प्रस्तुत किया गया जिसमें अग्रेनीत दर्शायी गयी आई0टी0सी0 व्यापारी को कर निर्धारण के समय अनुमन्य की गयी।	उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि सी0ए0 द्वारा संशोधित आडिट रिपोर्ट (प्रपत्र–XXIII) को प्रमाणित किए बिना व्यापारी द्वारा संशोधित वार्षिक विवरण प्रस्तुत किया गया एवं कर निर्धारण के समय कर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उसे स्वीकार किया गया। अग्रेतर, विभागीय दावों को स्थापित करने के लिए कोई अभिलेखीय साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। इस प्रकार सी0ए0 द्वारा संशोधित प्रपत्र–XXIII को प्रमाणित किए बिना आई0टी0सी0 का लाभ प्रश्नगत हैं।
5	**डिप्टी कमि0 खण्ड–8 वाराणसीः** गणना में हुई त्रुटि के कारण, खरीद पर देय आई0टी0सी0 को अनुमन्य करते समय, अधिक आई0टी0सी0 अनुमन्य की गयी।	विभाग ने बताया कि बिक्री पर कुल देय कर ₹ 6,02,483 था। जिसका भुगतान ₹ 4,16,694 के आई0टी0सी0 के समायोजन से एवं ₹ 1,85,796 कर के भुगतान द्वारा व्यापारी ने किया। तथापि, टंकण त्रुटि के कारण, कर निर्धारण आदेश में आई0टी0सी0 अनुमन्य ₹ 6,02,483 दर्शायी गयी थी, जिसे दिनांक 6 फरवरी 2020 को धारा–31 के अन्तर्गत अब संशोधित कर लिया गया है।	उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 20 मार्च 2018 को पारित किये गये प्रारम्भिक आदेश में व्यापारी के द्वारा जमा की गयी धनराशि का कर निर्धारण आदेश में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ ये भी उल्लेखनीय है कि व्यापारी द्वारा दाखिल अभिलेखों एवं कर निर्धारण आदेश दोनों में वर्ष के दौरान अर्जित आई0टी0सी0 ₹ 6,02,483 ही दर्शायी गयी थी। अग्रेतर, विभागीय दावों को स्थापित करने के लिए कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया। अतः टंकण की त्रुटि से सम्बन्धित उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

अवशेष ₹ 41.71 लाख की धनराशि के सात मामलों में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही थी (सितम्बर 2020)।

संस्तुतिः

विभाग को ऐसे संव्यवहारों का सावधानीपूर्वक परीक्षण एवं सत्यापन करना चाहिये जहाँ कि व्यापारियों द्वारा आई0टी0सी0 का दावा किया जा रहा है और क0नि0प्रा0 द्वारा आई0टी0सी0 का लाभ अनुमन्य किया जा रहा है।

3.7 स्रोत पर काटे गये कर का विलम्ब से जमा किया जाना

कर निर्धारण प्राधिकारियों ने स्रोत पर काटे गये कर ₹ 8.15 करोड़ की धनराशि को विहित समय के अन्दर जमा न करने पर व्यापारियों पर ₹ 16.29 करोड़ के अर्थदण्ड की धनराशि को आरोपित नहीं किया था।

उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008[14] के अन्तर्गत, ऐसा व्यक्ति जो किसी संविदाकार को संकर्म संविदा के अनुपालन में किसी दायित्व के निर्वहन में भुगतान के लिए उत्तरदायी हो, ऐसी संकर्म संविदा के लिए अधिनियम के अन्तर्गत, देय धनराशि में से चार प्रतिशत धनराशि के बराबर कर की कटौती करेगा। कर की कटौती करने में असफल रहने या कटौती के उपरान्त इस प्रकार काटी गयी राशि को कटौती किये जाने वाले माह के अगले माह के 20 वें दिन की समाप्ति के पूर्व कोषागार में जमा करने में असफल रहने की दशा में, क0नि0प्रा0 ऐसे व्यक्ति को, अर्थदण्ड के रूप में इस प्रकार काटी गयी धनराशि के दो गुने से अनधिक राशि का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है।

लेखापरीक्षा ने (अक्टूबर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) 16 वा0क0का0 में 6,336 व्यापारियों के कर निर्धारण अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि 25 व्यापारियों ने वर्ष 2013–14 से 2015–16 के दौरान संविदाकार को भुगतान करते समय स्रोत पर ₹ 8.15 करोड़ कर की धनराशि की कटौती की परन्तु इसे निर्धारित समय सीमा के अन्दर राजकोष में जमा नहीं किया। विलम्ब की अवधि पाँच दिनों से लेकर 301 दिनों तक की थी। क0नि0प्रा0, ने कर निर्धारण को अन्तिम रूप प्रदान करते समय (अक्टूबर 2016 एवं मार्च 2018 के मध्य), न तो ₹ 16.29 करोड़ के देय अर्थदण्ड का आरोपण किया और न ही अर्थदण्ड के अनारोपण के लिए कोई कारण ही अंकित किया **(परिशिष्ट–VII)**।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2018 एवं मई 2019 के मध्य)। उत्तर (मार्च 2020) में, विभाग ने 20 मामलों में ₹ 12.65 करोड़ की धनराशि का लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किया, जिसमें से चार मामलों में ₹ 26.61 लाख की वसूली विभाग द्वारा प्रतिवेदित की गई।

अवशेष ₹ 2.70 करोड़ के पाँच मामलों में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही थी (सितम्बर 2020)।

संस्तुतिः

व्यापारियों/ठेकेदारों द्वारा टी0डी0एस0 को विलम्ब से जमा किये जाने के मामलों में विभाग को अर्थदण्ड का आरोपण सुनिश्चित करना चाहिए।

[14] उ0प्र0मू0सं0क0 अधिनियम, 2008 की धारा 34(8) सपठित धारा 34(1)।

अध्याय–IV: स्टाम्प एवं निबन्धन फीस

4.1 कर प्रशासन

राज्य में स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन फीस का आरोपण एवं संग्रहण भारतीय स्टाम्प (भा0 स्टा0) अधिनियम, 1899, निबन्धन अधिनियम, 1908 तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों जैसा कि उत्तर प्रदेश में लागू है, के अनुसार नियंत्रित किया जाता है। विलेखों के निष्पादन पर उपरोक्त अधिनियमों के अधीन निर्धारित दरों के अनुसार स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस आरोपित किया जाता है। उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली 1997 के प्रावधानों के अनुसार, जिला के कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट के अनुसार सम्पत्तियों का मूल्यांकन विर्निदिष्ट किया जाता है।

शासन स्तर पर नीति निर्धारण, अनुश्रवण तथा नियंत्रण का कार्य प्रमुख सचिव, स्टाम्प एंव रजिस्ट्रेशन द्वारा किया जाता है। महानिरीक्षक (निबन्धन) (म0नि0नि0) स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के प्रमुख होते हैं। वह निबन्धन कार्य के प्रशासन तथा अधीक्षण हेतु अधिकृत है। म0नि0 की सहायता क्रमशः जिला/मुख्यालय स्तर पर 92 सहायक महानिरीक्षकों (स0म0नि0) तथा तहसील स्तर पर 355 उप निबन्धकों (उ0नि0) द्वारा की जाती है।

4.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2018–19 के दौरान, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग की 431 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 64[1] इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 2,577 मामलों में सन्निहित ₹ 91.69 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला, जो निम्नलिखित श्रेणियों के अर्न्तगत आते हैं जैसा कि **सारणी–4.1** में वर्णित है।

सारणी– 4.1

क्रम सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	सम्पत्ति के अवमूल्यांकन के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	41	1.13
2	विलेखपत्रों के गलत वर्गीकरण के कारण स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण	895	81.31
3	अन्य अनियमिततायें[2]	1,641	9.25
योग		**2,577**	**91.69**

इस अध्याय में ₹ 22.48 करोड़ की धनराशि की अनियमितताओं के 404 मामलों की व्याख्या की गयी है। विभाग ने 17 मामलों में ₹ 71.62 लाख की धनराशि को स्वीकार किया, जिसमें से आठ मामलों में, ₹ 11.43 लाख की वसूली प्रतिवेदित की गयी थी। इन मामलों में से, कुछ अनियमितताऐं विगत पाँच वर्षों में लगातार प्रतिवेदित की गयी हैं जैसा कि **सारणी–4.2** में वर्णित है (विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित मामले)। इंगित की गई त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। **इसलिए यह जाँच करने के लिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सकने हेतु एक प्रणाली को स्थापित करने के लिए शासन/विभाग सभी इकाईयों का व्यापक पुनरीक्षण कर सकते हैं।**

---

[1] एक प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं निबन्धन लखनऊ एवं 63 उ0नि0।

[2] संग्रहीत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का अनुचित आवंटन, पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण, आवंटित बजट के विरूद्ध अधिक खर्च आदि।

सारणी– 4.2
विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बन्धित प्रकरण

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षण का प्रकार	2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		2017–18		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन	97	4.35	194	7.78	214	9.66	157	6.05	266	11.42	928	39.26

4.3 अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के संग्रहण, आवंटन व लेखाकरण में प्रणालीगत कमियाँ

उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास (उ0प्र0न0नि0वि0) अधिनियम, 1973 के धारा 39 के अर्न्तगत, भा0 स्टा0 अधिनियम, 1899 द्वारा अचल सम्पत्ति के अन्तरण के लेखपत्र पर आरोपित स्टाम्प शुल्क ऐसी सम्पत्ति के सम्बन्ध में, जो किसी 'विकास[3]' क्षेत्र में स्थित हो, उस राशि या प्रतिफल के उस मूल्य पर जिस पर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क आगणित किया जाता है, दो प्रतिशत बढ़ा दिया जायेगा। 'विकास' क्षेत्र के रूप में चिन्हित किये जाने वाले क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किया जाता है। उक्त वृद्धि से प्राप्त होने वाली प्राप्तियों को, आनुषांगिक व्यय, यदि कोई हो, काटने के बाद, राज्य सरकार द्वारा स्वविवेकानुसार, या तो केवल विकास प्राधिकरण को, या विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् और नगर महापालिका या नगर पालिका परिषद जैसी भी स्थिति हो, को ऐसे अनुपात में जो समय–समय पर निर्धारित किया जाय आवंटित एवं भुगतान किया जायेगा।

अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के संग्रहण, आवंटन व लेखाकरण के परीक्षण में वर्तमान प्रणाली के मूल्यांकन में प्रणालीगत व क्रियान्वयन दोनों स्तर पर विभिन्न प्रकार की कमियां पायी गयी। इनको अनुवर्ती प्रस्तरों में वर्णित किया गया है।

(i) उप–शीर्ष के गठन में विफलताः

वर्गीकरण की वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, स्टाम्प एवं निबन्धन फीस (अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को सम्मिलित करते हुये) का लेखाकरण मुख्य लेखा शीर्ष 0030–स्टाम्प एवं निबन्धन फीस, 02–स्टाम्प गैर न्यायिक, 102 स्टाम्प का विक्रय के अन्तर्गत किया जाता है। अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के लेखाकरण के लिए कोई उप शीर्ष राज्य सरकार द्वारा नहीं खोला गया है।

उप निबन्धक (उ0नि0) कार्यालयों के अभिलेखों की जांच के आधार पर, लेखापरीक्षा ने पाया कि, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में संग्रहीत की गयी धनराशि को भा0 स्टा0 अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क के रुप में दर्शाया जा रहा है।

अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के लेखाकरण हेतु उप–शीर्ष के अभाव में, 'विकास' क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्रों में सम्पत्ति के अन्तरण के सभी प्रकरणों में स्टाम्प शुल्क की आरोपित राशि के साथ–साथ 'विकास' क्षेत्र में स्थायी सम्पत्ति के अन्तरण पर संग्रहीत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को एक साथ मिला दिया जा रहा है। चूँकि उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम, यह अपेक्षा रखता है कि अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप में संग्रहीत धनराशि को राज्य सरकार द्वारा यथा अधिसूचित संस्थाओं के लिए विशेष रूप से निर्धारित किया जाना है, और वर्तमान में यह सुनिश्चित कर पाना सम्भव नहीं है कि एक 'विकास' क्षेत्र के अन्दर अचल सम्पत्तियों के अन्तरण के प्रकरण में दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क से सम्बन्धित विशेषतया कितनी धनराशि सरकारी खाते में प्राप्त हुई। पारदर्शिता तथा उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन दोनों दृष्टिकोणों से यह आवश्यक

[3] "विकास क्षेत्र" का आशय कोई क्षेत्र जिसे उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम 1973 की धारा 3 के अन्तर्गत विकास क्षेत्र घोषित किया गया हो।

है कि, अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के लेखाकरण एंव संग्रहण हेतु विशिष्ट उप–शीर्ष का सृजन किया जाय।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2018 एवं अप्रैल 2019 के मध्य)। उत्तर (जून 2020) में, विभाग ने बताया कि उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अन्तर्गत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क 'विकास' क्षेत्र के अन्दर अचल सम्पत्तियों के अन्तरण में स्टाम्प शुल्क के साथ संग्रहित किया जा रहा है। लेखा शीर्ष 0030–स्टाम्प एवं निबन्धन फीस के अधीन, उप शीर्ष 02–स्टाम्प–गैर न्यायिक पूर्व से ही प्रावधानित है। इस प्रकार, एक अलग उप शीर्ष खालने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

विभाग का उत्तर मान्य नही है क्योंकि इस प्रकार संग्रहीत की गयी अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु है यथा विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् और नगर महापालिका या नगरपालिका परिषद को आवंटन। इस प्रकार, उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम, 1973 की अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु इसके अलग लेखाकरण की आवश्कता है। अलग उप–शीर्ष के आभाव में, विभाग विशेष रूप से यह सुनिश्चत कर सकने की स्थिति में नहीं है कि कितनी धनराशि अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप में प्राप्त हुई थी।

(ii) पट्टा एवं बन्धक से सम्बन्धित धनराशि का आंवटन किया जानाः

अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के सन्दर्भ में संग्रहीत राशि के लेखाकरण एवं अनुवर्ती आवंटन से सम्बन्धित पायी गयी प्रणालीगत कमियों के अलावा, लेखापरीक्षा ने अग्रेतर यह भी देखा कि पट्टा एवं बन्धक विलेखों के प्रकरण में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के आरोपण, संग्रहण एवं आवंटन में प्रणालीगत कमी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया (मार्च 2019) कि अचल सम्पत्ति के अन्तरण के मामले में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का आरोपण/संग्रहण एवं जिसका अंकन उ0नि0 कार्यालय में अभिरक्षित ***स्याहा*** (फीस पंजिका) में किया जा रहा था। यह विकास प्राधिकरणों, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा नगर महापालिका या नगरपालिका परिषदों इत्यादि की राशियों के आवंटन के लिए एक कच्चा आधार प्रदान करता है। तथापि, अचल सम्पत्तियों के पट्टों/बन्धकों पर आरोपित की गई अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क का संग्रहण एवं लेखाकरण अलग से अंकन अथवा लेखाकरण न करके स्टाम्प शुल्क शीर्ष के अन्तर्गत किया जा रहा है। इस प्रकार यह आवश्यक है कि पट्टा तथा बन्धक के लिये संग्रहीत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशि को अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण से संग्रहीत स्टाम्प शुल्क से अलग विशेष रूप से लेखाकरण किया जाय।

लेखापरीक्षा ने 30 उप निबन्धक कार्यालयों[4] (उ0नि0का0) की नमूना जाँच (अगस्त 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) की और देखा कि इन उ0नि0का0 में पंजीकृत 226 बन्धक/पट्टा विलेखों में उ0नि0 ने ₹ 3.54 करोड़ की धनराशि का स्टाम्प शुल्क एवं ₹ 4.91 करोड़ की धनराशि का अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क आरोपित एवं उद्ग्रहीत किया। दोनों ही शुल्कों को ***स्याहा*** (फीस पंजिका) में, स्टाम्प शुल्क तथा अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के रूप में अलग अलग दर्ज नहीं किया गया, जैसा कि अधिनियम द्वारा अपेक्षित था। दो भिन्न भिन्न अधिनियमों[5] के अन्तर्गत संग्रहीत किये गये शुल्कों को स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत आरोपणीय स्टाम्प शुल्क मानते हुए ***स्याहा*** के एक ही स्तम्भ में स्टाम्प शुल्क के रूप दर्ज किया गया है। इसके अभाव में, लेखापरीक्षा को यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बन्धक एवं पट्टा से सम्बन्धित संग्रहीत किये गये ऐसे अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क की धनराशियों को विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद तथा नगर

---

[4] सदर 1, 2, एवं 3 आगरा, सदर 1, 2, एवं 3 अलीगढ, सदर 1 इलाहाबाद, सदर 1 एवं 2 बरेली, मोदीनगर, सदर 1, 2, 3 एवं 4 गाजियाबाद, सदर 1 एवं 2 गोरखपुर, बक्शी का तालाब, सदर 1, 2, 3, 4, एवं 5 लखनऊ, सदर 2 एवं 3 मेरठ, सदर 1 मुजफ्फरनगर, सदर 3 सहारनपुर, चन्दौसी सम्भल, सदर 2, 3 एवं 4 वाराणसी।

[5] भा0स्टा0 अधिनियम के अनुच्छेद 40 का परिशिष्ट 1 खा एवं उ0प्र0न0नि0वि0 अधिनियम की धारा 39 के अधीन।

महापालिका या नगरपालिका परिषद आदि को स्थानान्तरित/आवंटित किया जा रहा है अथवा नहीं।

उत्तर (जून 2020) में, विभाग ने बताया कि 77 मामलों में, प्रेरणा सॉफ्टवेयर[6] में कमियों के कारण, पट्टा एवं बन्धक विलेखों के सम्बन्ध में इस प्रकार संग्रहीत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क को पृथक से नहीं दर्शाया जा सका। तथापि, यह राजस्व क्षति नहीं है। मासिक विवरणों में अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के अधीन दो प्रतिशत की धनराशि को शामिल किया गया है।

विभाग का उत्तर पुष्टि करता है कि प्रेरणा–जनित स्याहा में बन्धक एवं पट्टा विलेखों के सम्बन्ध में संग्रहीत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क शामिल नहीं है क्योंकि विभाग ने स्वयं स्वीकार किया है कि प्रेरणा सॉफ्टवेयर में कमियां हैं एवं इसके निवारण के लिये राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (एनआईसी) से सम्पर्क किया गया है।

संस्तुतियाँ:

1. **अतिरक्त स्टाम्प शुल्क के बजट अनुमान एवं लेखाकरण में पारदर्शिता लाने के लिये सरकारी लेखे में उनके आरोपण एवं संग्रहण के लेखाकरण हेतु एक अलग उप–शीर्ष खोला जाये।**
2. **अतिरक्त स्टाम्प शुल्क का लेखाकरण करते समय यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि इस श्रेणी के अधीन सभी प्राप्तियां यथा हस्तांतरण विलेख, पट्टे एवं बन्धक इसमें शामिल हैं।**

4.4 स्टाम्प शुल्क को ₹ पाँच लाख तक सीमित करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

बन्धक विलेखों पर स्टाम्प शुल्क को ₹ पाँच लाख तक सीमित करने के परिणामस्वरूप ₹ 8.82 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण।

दिनांक 25 मई 2001 की एक अधिसूचना[7] में, राज्य सरकार ने बन्धक विलेख पर प्रभार्य[8] स्टाम्प शुल्क की वह राशि जो ₹ पाँच लाख से अधिक हो, को माफ कर दिया था। परवर्ती अधिसूचना[9] दिनांक 10 जुलाई 2008, के माध्यम से शासन ने पूर्व में निर्गत अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए, किसी भी बन्धक विलेख (बिना कब्जा के किसी बन्धक लिखत पर) में सुरक्षित राशि पर ₹ पाँच प्रति हजार अथवा उसके भाग पर की दर से आगणित स्टाम्प शुल्क से अधिक के स्टाम्प शुल्क को माफ कर दिया।

लेखापरीक्षा ने चार उ0नि0का0 के 2,470 विलेखों की नमूना जाँच (नवम्बर 2018 एवं दिसम्बर 2018 के मध्य) की और देखा कि 17 साधारण बन्धक विलेख पत्रों (बिना कब्जा) जिनका निबन्धन जून 2017 एवं अक्टूबर 2018 के मध्य किया गया था, पर 0.5 प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क के आगणन किए जाने पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क ₹ पाँच लाख से अधिक था। तथापि, विभाग द्वारा स्टाम्प शुल्क को ₹ पाँच लाख तक सीमित कर दिया गया, जो कि दिनांक 10 जुलाई 2008 के नवीनतम अधिसूचना के अनुरूप नहीं था जिसके अनुसार 0.5 प्रतिशत की दर से ₹ पाँच लाख तक सीमित किए बिना स्टाम्प शुल्क प्रभार्य था। उ0नि0 पुनरीक्षित अधिसूचना के अनुपालन में विफल रहे जिसके परिणामस्वरूप ₹ 8.82 करोड़ की धनराशि के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट–VIII** में दर्शाया गया है।

---

[6] प्रेरणा (सम्पत्ति मूल्यांकन एवं निबन्धन उपयोग) सॉफ्टवेयर निबन्ध प्रक्रिया के कम्पयूटरीकरण के लिये विभाग द्वारा 1 अगस्त 2006 को लागू किया गया है।

[7] अधिसूचना सं0 केएन–3139/11–2001–500(121)/2000 टीसी दिनांक 25 मई 2001।

[8] अनुसूची 1 ख के अनुच्छेद–40 के खण्ड (ख) एवं (ग)।

[9] अधिसूचना सं0 का0नि0–5–2758/XI–2008–500(159)2000 दिनांक 10 जुलाई 2008।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2018 एवं जनवरी 2019 के मध्य)। उत्तर (जून 2020) में, विभाग ने बताया कि 10 जुलाई 2008 की अधिसूचना द्वारा, इस मामले में पूर्व में निर्गत अधिसूचनाओं में आंशिक संशोधन करते हुये खण्ड ख–1 जोड़ा गया तथा दिनांक 25 मई 2001 की अधिसूचना की खण्ड (ख) एवं (ग) का उल्लंघन नहीं किया गया है। इस प्रकार, दिनांक 25 मई 2001 की अधिसूचना के अनुसार बन्धक के लिखतों पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता ₹ पाँच लाख की सीमा से अधिक पर माफ कर दी जायेगी तथा स्टाम्प शुल्क दिनांक 10 जुलाई 2008 की अधिसूचना के अनुसार देय होगा। अतः दोनों अधिसूचनायें साथ–साथ लागू होंगी।

विभाग का उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि दिनांक 25 मई 2001 की अधिसूचना में उपबन्धित था कि अनुसूची 1 ख के अनुच्छेद–40 के खण्ड (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत बन्धक के लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क ₹ पाँच लाख तक सीमित होगी। इस अधिसूचना को दिनांक 10 जुलाई 2008 की अनुवर्ती अधिसूचना द्वारा आंशिक संशोधन किया गया जिसमें प्रावधानित था कि अनुच्छेद–40 की खण्ड (ख) एवं (ग) के अन्तर्गत बन्धक विलेखपत्रों पर स्टाम्प शुल्क ऐसे विलेख द्वारा सुरक्षित राशि पर ₹ पाँच प्रति हजार अथवा उसके भाग पर की दर से आरोपणीय होगा।

दिनांक 10 जुलाई 2008 की अधिसूचना द्वारा, पूर्व की अधिसूचना 2001 को संशोधित करते समय ₹ पाँच लाख से अधिक के स्टाम्प शुल्क में छूट का उपबन्ध नहीं दर्शाया गया है। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये, विभाग का तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है और इस प्रकार ऐसे मामले में ₹ पाँच लाख तक स्टाम्प शुल्क को सीमित रखना दिनांक 10 जुलाई 2008 की अधिसूचना के अनुरूप नहीं था।

4.5 आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन

2.03 लाख वर्गमीटर आवासीय भूमि को गलत ढंग से कृषि दर पर ₹ 37.74 करोड़ में निबन्धित किया गया था। आवासीय दर पर सही मूल्यांकन ₹ 125.43 करोड़ आगणित होता है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.66 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण हुआ।

भा0स्टा0 अधिनियम, 1899 परिभाषित करता है कि हस्तान्तरण विलेख पर उस विलेख में उल्लिखित प्रतिफल का मूल्य अथवा सम्पत्ति का बाजार मूल्य, इसमें जो भी अधिक हो, पर स्टाम्प शुल्क प्रभारणीय है। महानिरीक्षक निबन्धन (म0नि0नि0), द्वारा जून 2003 में जारी दिशानिर्देशों में, पुनः स्पष्ट किया गया कि स्टाम्प शुल्क के आरोपण के उद्देश्य से एक ही *आराजी*[10] संख्या की सम्पत्ति को भिन्न उद्देश्यों के लिए एक से अधिक टुकड़ो जैसे एक को कृषि और दूसरे को गैर कृषि में नहीं बाँटा जाना चाहिए।

प्रेरणा सॉफ्टवेयर में किसी खसरे में बिक्रीत भूमि का विवरण प्राप्त करने के लिए खसरा आधारित खोज की सुविधा उपलब्ध है। तथापि, भूमि के विक्रय विलेख के निबन्धन पर स्टाम्प शुल्क को निर्धारित करते समय इस सुविधा का उपयोग उ0नि0 द्वारा नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने 35 उ0नि0का0 के 36,643 विक्रय विलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) की और देखा कि ₹ 37.74 करोड़ मालियत की 2.03 लाख वर्गमीटर आवासीय भूमि के 75 विक्रय विलेखों को कृषि दर पर (जनवरी 2017 एवं फरवरी 2019 के मध्य) म0नि0नि0 द्वारा जून 2003 में निर्गत स्पष्टीकरण का उल्लंघन कर पंजीकृत किया गया। जिसके परिणामस्वरूप, स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के रूप में मात्र ₹ 2.51 करोड़ ही आरोपित किया गया था। इन 75 मामलों में, लेखापरीक्षा ने अग्रेतर देखा कि (उसी दिन, एक मामले में ₹ 0.05 करोड़ स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस का कम आरोपण, एक से 30 दिन के अन्दर, 14 मामलों में ₹ 0.84 करोड़ एवं 31

[10] आराजी/खसरा/गाटा किसी क्षेत्र में स्थित भूखण्ड की एक विशेष संख्या को दर्शाती है।

दिन से 1,836 दिन तक, 60 मामलों में ₹ 4.75 करोड़) उसी आराजी का एक भाग पूर्व में ही अथवा उसी दिन आवासीय दर से विक्रय किया गया था। अतः, प्रश्नगत भूमि का भी मूल्यांकन ₹ 125.43 करोड़ की प्रचलित आवासीय दरों की मालियत से करते हुए ₹ 8.17 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस के साथ ही प्रभारित किया जाना चाहिए था। सम्पत्ति के गलत मूल्यांकन तथा प्रेरणा सॉफ्टवेयर के कमतर उपयोग के परिणामस्वरूप स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस ₹ 5.66 करोड़ का कम आरोपण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट–IX** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2018 एवं अप्रैल 2019 के मध्य)। उत्तर (जून 2020) में, विभाग ने 13 मामलों में ₹ 30.57 लाख की धनराशि को स्वीकार किया, जिसमें से आठ मामलो में, ₹ 11.43 लाख की वसूली विभाग द्वारा प्रतिवेदित की गयी। शेष 62 मामलो में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही थी (सितम्बर 2020)।

संस्तुतिः

विभाग को प्रेरणा सॉफ्टवेयर का उपयोग करके तथा जहाँ पर एक ही आराजी से भूमि की बिक्री आवासीय दर से एक निश्चित अवधि में की गयी हो की अनिवार्य भौतिक सत्यापन उ0नि0 अथवा तहसीलदार/पटवारी द्वारा कराने के बाद सम्पत्ति का सही मूल्यांकन सुनिश्चित करना चाहिए।

4.6 पट्टा विलेखों से सम्बन्धित अनियमिततायें

4.6.1 पट्टा के सेवाकर/मा0से0क0 राशि पर स्टाम्प शुल्क आरोपित न किया जाना

₹ 1.47 करोड़ की स्टाम्प शुल्क कम आरोपित हुआ चूंकि सेवाकर/मा0से0क0 की धनराशि को प्रतिफल धनराशि में सम्मिलित नहीं किया गया जिस पर स्टाम्प शुल्क की गणना की गयी थी।

भा0स्टा0 अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत, पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता दो प्रतिशत हैं। अग्रेतर अधिनियम[11], बताता है कि जब पट्टाग्रहीता ऐसे आर्वतक प्रभार, जैसे सरकारी लगान, भूस्वामी के भाग का उपकर या मकान मालिक के भाग के नगरपालिका की दरें या कर, जो विधि अनुसार, पट्टादाता से वसूल होते हैं, अदा करना स्वीकार करे तो वे राशियाँ जिनको अदा करने का इकरार पट्टाग्रहीता द्वारा किया गया हो, किराये का भाग समझी जायेगी। 30 जून 2017 तक एक वर्ष के लिए किराये की राशि ₹ 10 लाख से अधिक होने की दशा में, किराये की आय पर 14 प्रतिशत की दर से सेवाकर देय है। अग्रेतर, मा0से0क0, (जो कि 01 जुलाई 2017 से प्रभाव में आया) पर 12 माह के लिए किराये की राशि ₹ 20 लाख से अधिक होने की दशा में, 18 प्रतिशत की दर से देय है।

लेखापरीक्षा ने 12 उ0नि0का0 के 7,937 विलेखों की नमूना जाँच (सितम्बर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) की और देखा कि 30 पट्टा विलेखों को विभिन्न पट्टाधारको द्वारा भिन्न अवधियों एक से लेकर 29 वर्षों तक की अवधि के लिए निष्पादित किया गया। सेवाकर (से0क0) अधिनियम एवं माल सेवाकर (मा0से0क0) अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत, से0क0/मा0से0क0 अदा करने का दायितव सेवाप्रदाता/पट्टादाता का है। यद्यपि, इन मामलों में, पट्टाग्रहीताओं ने से0क0/मा0से0क0 अदा करने का दायित्व स्वीकार किया है। भा0स्टा0 अधिनियम के अनुसार, से0क0/मा0से0क0 की राशि को, स्टाम्प शुल्क के निर्धारण के समय प्रतिफल में शामिल किया जाना अपेक्षित है। भा0स्टा0 अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अनुपालन में उ0नि0 स्टाम्प शुल्क के आरोपण के समय से0क0/मा0से0क0 की राशि में प्रतिफल में शामिल करने में विफल

[11] अनुसूची 1–बी के अनुच्छेद 35 के स्पष्टीकरण (1)

रहे। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.47 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट–X** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य)। उत्तर (जून 2020) में, विभाग ने चार मामलों में ₹ 41.04 लाख की धनराशि की लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया। शेष 26 मामलों में विभाग ने बताया कि कार्यवाही की प्रक्रिया चल रही थी (सितम्बर 2020)।

4.6.2 खनन पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

56 खनन पट्टा विलेखों के प्रतिफल में जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (जि0ख0फा0न्या0) में देय अशंदान को शामिल नहीं किया गया था जिसके फलस्वरूप ₹ 6.53 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ।

भा0स्टा0 अधिनियम, की अनुसूची 1–ख का अनुच्छेद 35(ख)(i) प्रावधानित करता है कि जहाँ पट्टा 30 वर्षों से अनधिक अवधि के लिये हो जिसे नजराने या प्रीमियम के लिये या अग्रिम दिये गये धन के लिये मंजूर किया गया है और जहाँ कि कोई किराया आरक्षित नहीं है, वहां स्टाम्प शुल्क उसके बराबर प्रभार्य होना चाहिये जो ऐसे नजराने या प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के, जो लीज में उपवर्णित है, के बराबर प्रतिफल वाले हस्तान्तरण पत्र पर देय है। अधिसूचना दिनांक 10 जुलाई 2008 के अनुसार, इन पट्टा विलेखों के प्रतिफल पर दो प्रतिशत की दर से स्टाम्प शुल्क प्रभार्य था। इसके अतिरिक्त, अनुच्छेद 35 का स्पष्टीकरण (I) यह प्रावधानित करता है कि जब पट्टाग्रहीता ऐसे आवर्तक प्रभार, जैसे सरकारी लगान, भूस्वामी के भाग का उपकर, या मकान मालिक के भाग के नगरपालिका की दरें या कर, जो विधि अनुसार पट्टादाता से वसूल होते है, अदा करना स्वीकार करे तो वे राशियाँ जिनको अदा करने का इकरार पट्टाग्रहीता द्वारा किया गया हो, किराये का भाग समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश जि0ख0फा0न्या0 नियम, 2017 के नियम 10 (2) के अर्न्तगत, पट्टाग्रहिता को रॉयल्टी के 10 प्रतिशत के बराबर धनराशि जि0ख0फा0न्या0 में भुगतान करना होगा।

अग्रेतर, उक्त अधिनियम की धारा 33(1), प्रावधानित करता है कि प्रत्येक व्यक्ति जो सार्वजनिक कार्यालय का प्रभारी, पुलिस अधिकारी के सिवाय, जिसके समक्ष, उसके कर्तव्यों के सम्पादन में कोई ऐसा विलेख प्रस्तुत किया जाय, या आ जाये, जो उसकी राय में स्टाम्प शुल्क से प्रभार्य हैं और उसे प्रतीत हो कि वह विलेख यथाविधि स्टाम्पित नहीं हैं, उसे जब्त करेगा।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग एवं खनिकर्म विभाग के खनन पट्टा विलेखों की नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने देखा कि स्टाम्प शुल्क जि0ख0फा0न्या0 की देय धनराशि पर आरोपित नहीं किया गया था। मामले पर विस्तृत चर्चा नीचे की गई है:

- लेखापरीक्षा ने सात उ0नि0का0 के 4,541 विलेखों की नमूना जाँच (जुलाई 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) की और देखा कि सात खनन पट्टा विलेखों में, जि0ख0फा0न्या0 में देय अशंदान की धनराशि को पट्टा विलेख के निष्पादन के समय स्टाम्प शुल्क निर्धारित करने के लिए प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया। यद्यपि प्रत्येक पट्टाधारक द्वारा जि0ख0फा0न्या0 में जमा किये जाने वाले अशंदान का उल्लेख सम्बन्धित पट्टा विलेखों में किया गया है, जिसे उ0नि0 द्वारा ध्यान में नहीं रखा गया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.65 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण हुआ जैसा कि **परिशिष्ट–XI** में दर्शाया गया है।
- लेखापरीक्षा ने नौ जि0खा0का0 के 99 पट्टा विलेख और उससे सम्बन्धित पट्टा पत्रावलियों की नमूना जाँच की (अक्टूबर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) और देखा कि फरवरी 2018 एवं फरवरी 2019 के मध्य 49 निष्पादित खनन पट्टा विलेखों में

स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता के लिये केवल रॉयल्टी की धनराशि को प्रतिफल में सम्मिलित किया गया था। स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता के लिये जि0ख0फा0न्या0 में देय अंशदान की धनराशि को प्रतिफल में शामिल नहीं किया गया। प्रतिफल ₹ 2,371.02 करोड़ पर स्टाम्प शुल्क ₹ 61.48 करोड़ के सापेक्ष इन पट्टा विलेखों में प्रतिफल ₹ 2,155.48 करोड़ पर स्टाम्प शुल्क ₹ 56.60 करोड़ प्रभारित किया गया था। इस प्रकार, स्टाम्प शुल्क कम आरोपित किये जाने के कारण शासन ₹ 4.88 करोड़ के राजस्व से वंचित रहा जैसा कि **परिशिष्ट–XII** में दर्शाया गया है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण खनिकर्म विभाग (मार्च 2019 एवं अप्रैल 2019 के मध्य) एवं स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग (सितम्बर 2020) को प्रतिवेदित किया। उनके उत्तर प्रतिक्षित हैं (सितम्बर 2020)।

अध्याय–V: खनन प्राप्तियाँ

5.1 कर प्रशासन

राज्य में खनन क्रिया–कलाप से प्राप्तियों का आरोपण एवं उद्ग्रहण खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) (खा0 एवं ख0वि0 और वि0) अधिनियम, 1957, खनिज परिहार नियमावली, 1960, एवं उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार (उ0प्र0उ0ख0प0) नियमावली, 1963 द्वारा शासित होता है। प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, शासन स्तर पर विभाग के प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (विभाग) का समग्र नियंत्रण एवं निर्देशन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में निहित है। मुख्यालय पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की सहायता संयुक्त निदेशक द्वारा की जाती है जिसकी आगे सहायता मुख्य खान अधिकारी द्वारा की जाती है। जिला स्तर पर, जिला खान अधिकारी (जि0खा0अधि0) देय एवं भुगतान योग्य रॉयल्टी, भाटक एवं अनुज्ञापत्र शुल्क इत्यादि के निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) जिला कलेक्टर के समग्र प्रशासनिक नियंत्रण के तहत खनन प्राप्तियों के संग्रह और लेखा के प्रभारी है।

5.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2018–19 के दौरान, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की 76 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयों में से 20[1] इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 2,169 मामलों में सन्निहित ₹ 239.91 करोड़ के रॉयल्टी का न/कम वसूल किया जाना एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला जैसा कि **सारणी–5.1** में वर्णित है।

सारणी – 5.1

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	रॉयल्टी न/कम वसूल किया जाना	589	22.49
2	पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण	61	5.24
3	शास्ति का अनारोपण	71	1.73
4	खनिजों के मूल्य की वसूली न किया जाना	979	168.96
5	अन्य अनियमिततायें[2]	469	41.49
योग		**2,169**	**239.91**

वर्ष 2018–19 में इंगित एक मामले में ₹ 4.44 लाख की धनराशि को विभाग ने (अप्रैल 2018 एवं अगस्त 2020 के मध्य) स्वीकार किया एवं ₹ 4.44 लाख़ की वसूली को प्रतिवेदित किया।

इस अध्याय में ₹ 135.21 करोड़ की धनराशि की अनियमितताओं के 1,806 मामलों को निर्देशित किया गया है। इनमें से, कुछ अनियमितताओं को विगत पाँच वर्षों के दौरान बार–बार प्रतिवेदित किया गया है जैसा कि **सारणी 5.2** में वर्णित है:

---

[1] प्रमुख सचिव एवं निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, एवं जि.खा.अ. आगरा, अलीगढ, इलाहाबाद, बागपत, बाँदा, बरेली, इटावा, फिरोजाबाद, जी0बी0नगर, गाजियाबाद, झाँसी, कन्नौज, ललितपुर, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, मिर्जापुर, सोनभद्र और उन्नाव।

[2] जि0ख0फा0न्या0 में प्रतिफल की वसूली लाइसेन्स/पट्टेधारकों से न किया जाना, पट्टाधारकों से रॉयल्टी के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज प्रभार्य नहीं किया जाना, ईंट भटठा स्वामियों द्वारा रॉयल्टी के विलम्ब से भुगतान पर ब्याज प्रभारित न किया जाना आदि।

सारणी–5.2

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षण की प्रकृति	2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		2017–18		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
खनिज के मूल्य की वसूली न किया जाना	221	13.92	311	13.98	3,491	476.06	1,181	193.97	334	26.27	5,538	724.20
पर्यावरण मंजूरी (प.मं) के बिना खनिजों का उत्खनन	-	-	-	-	04	66.90	04	33.75	-	-	08	100.65
ईंट भट्ठा स्वामियों से रॉयल्टी एवं अनुज्ञा प्रार्थनापत्र शुल्क की वसूली न किया जाना	412	3.87	1,430	6.84	39	0.25	353	6.66	660	7.07	2,894	24.69

इंगित की गई त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। **इसलिए यह जाँच करने के लिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सकने हेतु एक प्रणाली को स्थापित करने के लिए शासन/विभाग सभी इकाईयों का व्यापक पुनरीक्षण कर सकते हैं।**

5.3 जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (जि0ख0फा0न्या0) के निर्माण के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना

राज्य सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 266(1) और 204(3) का उल्लघंन करते हुये, जि0ख0फा0न्या0 का गठन किया, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में न्यास निधि को बनाये रखा और शासी परिषद तथा प्रबंध समिति को बिना पूर्व विधायी प्राधिकार के व्यय करने की अनुमति दी।

संविधान के अनुच्छेद 266(1) अन्य विषयों के साथ–साथ यह परिकल्पना करता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व राज्य के समेकित निधि का भाग होगा। अनुच्छेद 204(3) में प्रावधान है कि इस अनुच्छेद के प्रावधानो के अनुसार पारित कानून द्वारा किये गये विनियोग को छोड़कर राज्य के समेकित निधि से कोई धन आहरित नहीं किया जायेगा।

खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 9ख के प्रावधानों के अन्तर्गत, भारत सरकार (भा0स0) ने (16 सितम्बर 2015) दिशा निर्देश जारी किये (i) जिसमें राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया कि वे खनन संबधित कार्यों से प्रभावित जिलों में जिला खनिज फाउन्डेशन की स्थापना करे और (ii) खनन प्रभावित क्षेत्रों के लिये एक विकास कार्यक्रम लागू करने के लिये जिला खनिज फाउन्डेशन को निर्देश दिये। खनन मंत्रालय, भा0स0, ने अधिसूचना दिनांक 17 सितम्बर 2015 के द्वारा, दिये गये खनन पट्टे के संबंध में फाउन्डेशन को योगदान की दर 12 जनवरी 2015 से पहले खनन पट्टे के संबंध में रॉयल्टी के 30 प्रतिशत की दर से एवं 12 जनवरी 2015 को या उसके बाद दिये गये खनन पट्टे के संबंध में रॉयल्टी के 10 प्रतिशत की दर निर्धारित की गयी। यह दर कोयले आदि के अतिरिक्त अन्य खनिजों के खनन के लिये लागू थी। इसी प्रकार, कोयला मंत्रालय ने एक अधिसूचना (20 अक्टूम्बर 2015), के द्वारा कोयला, लिग्नाइट और रेत के खनन के संबंध में फाउन्डेशन को दिये जाने वाले योगदान की दर 12 जनवरी 2015 से पहले दिये गये खनन पट्टे के सम्बंध में रॉयल्टी के 30 प्रतिशत एवं 12 जनवरी 2015 को या उसके बाद दिये गये खनन पट्टे के सम्बंध में रॉयल्टी के 10 प्रतिशत पर निर्धारित की।

राज्य सरकार द्वारा जि0ख0फा0न्या0 की स्थापना दिनांक 25 अप्रैल 2017 की अधिसूचना के माध्यम से की गयी। मई 2017 में उत्तर प्रदेश सरकार (उ0प्र0स0) ने जि0ख0फा0न्या0 की संरचना और कार्यकलाप को विनियमित करने और खनन

गतिविधियों के प्रभावित क्षेत्रों में विकास गतिविधियों को ले जाने के लिये उत्तर प्रदेश जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास नियमावली, 2017 बनाई। अग्रेतर, उक्त नियमों के नियम 4 के अनुसार, एक शासी परिषद और न्यास की एक प्रबंध समिति को न्यास के कामकाज के लिये व्यापक नीति का निर्माण करने और उपरोक्त नीति संरचना के अनुसार व्यय करने का काम सौंपा गया है।

लेखापरीक्षा में यह पाया (नवम्बर 2019) कि उक्त नियमों के नियम 15 के अनुसार, न्यास निधि को प्रत्येक जिलों के अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक में

न्यास के नाम से रखा जाना था। जि0ख0फा0न्या0 में 2017–18 और 2018–19 के बीच आरोपित एवं एकत्रित ₹ 432.37 करोड़ की राशि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के विभिन्न बैंको में जमा की गयी थी। लेखापरीक्षा के दौरान, यह पाया गया कि 75 जिलों मे से 45 जिलों में विभिन्न उद्देश्यों के लिये बनाये गये संबंधित न्यास से ₹ 117.35 करोड़ व्यय किया गया था **(परिशिष्ट-XIII)**। अग्रेतर, लेखापरीक्षा ने देखा कि दो जिलों[3] में ₹ 3.80 करोड़ की धनराशि निर्माण के लिये व्यय की गई थी जोकि भा0स0 द्वारा जारी दिशानिर्देशों[4] के अनुरूप नहीं थीं।

जि0ख0फा0न्या0 के निर्माण के संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित प्रेक्षण कियाः

(i) अनुसूचित वाणिज्यिक राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास निधि को बनाये रखने का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 266(1) का उल्लंघन है जो यह बताता है कि राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व राज्य के समेकित निधि का हिस्सा होना चाहिये। सरकारी खाते और विशेष रूप से राज्य के समेकित निधि के बाहर एक न्यास निधि के निर्माण के साथ धनराशि का अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में रखा जाना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

(ii) जि0ख0फा0न्या0 नियमावली, 2017 के नियम 9(vi) में लाये गये उद्दश्यों के लिए न्यास निधि से खर्च का दायित्व शासी परिषद तथा प्रबन्ध समिति को सौपा गया है। एक सरकारी विभाग द्वारा व्यय के प्राधिकार को कानून द्वारा बनाये गये विनियोग के माध्यम से पूर्व विधायी प्राधिकार प्राप्त होना चाहिये।

लेखापरीक्षा ने अग्रेतर देखा कि भारत सरकार, खान मंत्रालय के राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (रा0ख0अ0न्या0) ने, ऐसे ही मामले में जिसमे पहले न्यास को अनुसूचित बैंक में बैंक खाते खोलने और संचालित करने की अनुमति दी थी, अधिसूचना दिनांक 7 मार्च 2018 के माध्यम से राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास नियमावली, 2015 का निम्नलिखित तरीके से संशोधित किया।

(i) इस अधिसूचना के प्रकाशन के पश्चात जितनी जल्दी सम्भव हो न्यास का बैंक खाता बंद कर दिया जायेगा।

(ii) निधि के अधीन व्यय करने के लिये समुचित शीर्ष के अंतर्गत केंद्र सरकार की अनुदान मांगों के लिये वार्षिक बजट का भी प्रावधान किया जायेगा।

(iii) निधि के तहत व्यय संगत उप–मुख्य या लघु शीर्षों एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी स्वीकृति के आधार पर किया जायेगा।

जहाँ तक रा0ख0अ0न्या0 का सम्बंध है भारत सरकार ने, वास्तव में इस अधिसूचना के माध्यम से, संवैधानिक प्रावधानों के साथ, प्राप्तियों के उपचार एवं व्यय के प्राधिकार दोनों के संबंध में अनुपालन सुनिश्चित किया है।

इस दृष्टिकोण से आगे, खनन पट्टे/परमिट के संबंध में जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास निधि की स्थापना और अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक मे न्यास के रख–रखाव के

[3] ललितपुर और सोनभद्र।

[4] भा0स0 ने प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएम0के0के0के0वाई0) प्रचलित की (सितम्बर 2015) जिससे जि0ख0फा0न्या0 निधि से इस योजना के तहत कवर की जाने वाली गतिविधियों को निर्धारित किया गया है।

साथ–साथ शासी परिषद एवं प्रबंध समिति के बिना विधायी प्राधिकार के खर्च की अनुमति देने की पूरी व्यवस्था पर पुनः ध्यान देने की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2019)। उत्तर (मई 2020) में, विभाग ने बताया कि खनिजों से प्राप्त रॉयल्टी की धनराशि राजस्व की धनराशि है, जबकि रॉयल्टी पर जि0ख0फा0 के रूप में प्राप्त धनराशि उपकर की धनराशि है, जो राज्य सरकार की राजस्व की धनराशि नहीं है। अग्रेतर बताया गया कि भारत सरकार से प्राप्त दिशा–निर्देश के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जि0ख0फा0न्या0 नियमावली, 2017, में प्रावधान किये गये हैं तथा खा0 एवं ख0 वि0 और वि0 अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है।

विभाग का उत्तर स्वीकार्य योग्य नहीं है क्योंकिः

(i) राज्य के प्राधिकार के अन्तर्गत बनायी गयी जि0ख0फा0न्या0 नियमावली, 2017 के प्रावधानों के तहत, आरोपणीय होने के कारण राज्य सरकार द्वारा फाउन्डेशन की तरफ से किया गया सन्ग्रह राजस्व की प्रकृति का है। इसलिये, संविधान के अनुच्छेद 266 (1) के अनुसार, इस तरह की आय राज्य के समेकित निधि का हिस्सा होना चाहिये।

(ii) यहाँ ये उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा लगाये गये उपकर को राज्य की समेकित निधि में जमा किया जा रहा है। भूमि की दरें और उपकर (मुख्य शीर्ष–0029–भू राजस्व–103– भूमि की दरें एवं उपकर) और अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत उपकरों से प्राप्तियां (मुख्य शीर्ष–सेवा कर–112– अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत उपकरों से प्राप्तियां) उदाहरण के लिये आरोपित, संग्रहित एवं राज्य की समेकित निधि में जमा किया जाता है।

(iii) जिस तरह से केन्द्र और राज्य सरकार दोनो में उपकर प्राप्तियों का लेखा–जोखा रखा जाता है वह एक सामान्य दृष्टिकोण से उपजा है। भारत सरकार के मामले में विभिन्न प्रकृति के उपकरों जैसा कि कोयला एवं कोक पर उपकर, लौह अयस्क पर उपकर, अभ्रक पर उपकर और चूना पत्थर एवं डोलोमाइट आदि पर उपकर, सभी को भारत सरकार की समेकित निधि में प्रासंगिक प्राप्ति राजस्व शीर्ष में जमा किया जाता है।

(iv) जैसा कि प्रस्तर में विस्तृत वर्णन किया गया है, रा0ख0अ0न्या0 के मामले में, इस न्यास में किया गया योगदान भी एक उपकर है। 07 मार्च 2018 की अधिसूचना के माध्यम से भारत सरकार ने, संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया था और न्यास के प्रति योगदान को भारत सरकार की समेकित निधि का हिस्सा बनाया था। इसलिये, राज्य सरकार संविधान के अनुच्छेद 266(1) के तहत संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिये भा0स0 के साथ मामला उठा सकती है।

संस्तुतियाँः

1. **न्यास में अंशदान की जाने वाली रॉयल्टी की धनराशि, राज्य के सरकारी खाते का भाग होना चाहिए। सरकार कोडल प्रावधानों के अनुसार व्यय–भार को अधिकृत करने के लिए लोक लेखे के अर्न्तगत एक जि0ख0फा0न्या0 निधि का निर्माण करे। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिये कदम उठा सकती है कि लोक लेखे में रखे गये जि0ख0फा0न्या0 निधि को केवल इच्छित उद्देश्यों के लिये स्थानांतरित एवं उपयोग किया जाये।**

2. **सरकार राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास, जहाँ संघ सरकार ने इस सम्बन्ध में संगत नियमों में संशोधन को प्रभावी कर दिया था, की तर्ज पर जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास निधि की लेखापरीक्षा भारत के नि0म0ले0प0 द्वारा करवाये जाने की व्यवस्था करे।**

5.4 अवैध खनन के लिये अर्थदण्ड से संबंधित नियमों में संशोधन करने में राज्य सरकार की विफलता

राज्य सरकार द्वारा खनन पट्टों की स्वीकृति से संबंधित शास्ति प्रावधानों में संशोधन करने की विफलता के कारण एक अजीब स्थिति बनी, जहाँ पट्टाधारक को वैध खनन के लिये देय राशि के विपरीत अवैध खनन के लिये कम अर्थदण्ड देना पडता है।

खा0 एवं ख0 वि0 और वि0 अधिनियम 1957 की धारा 21(5), प्रावधानित करता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी विधिक प्राधिकार के किसी उपखनिज को, किसी भूमि से हटाता है, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से, ऐसे हटाये गये उपखनिज, या, जहाँ ऐसे उपखनिज का निस्तारण कर लिया गया है, उसकी कीमत और उस अवधि के लिये जिसके दौरान ऐसे व्यक्ति द्वारा बिना विधिक प्राधिकार के भूमि कब्जे में रखी गयी, किराया, रॉयल्टी या कर, जैसा भी प्रकरण हो, वसूल कर सकती है।

सरकार ने, 15 अक्टूबर 2015 के अपने आदेश में, स्पष्ट किया है कि खनिजों का मूल्य सामान्यतः रॉयल्टी का पाँच गुना है।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 57, यह प्रावधानित करता है कि जो कोई भी नियम 3[5] के उपबन्धों का उल्लघंन करे व दोष सिद्व हो जाने पर किसी भी प्रकार के कारावास से दण्डनीय होगा, जो छः मास तक हो सकता है अथवा जुर्माना से जो ₹ 25,000 तक हो सकता है, अथवा दोनों से होगा। दिनांक 18 मई 2017 के आदेश द्वारा सरकार ने उक्त नियम के अर्थदण्ड के प्रावधानों में संशोधन किया कि कारावास जो पाँच वर्ष तक हो सकता है अथवा जुर्माना, जो प्रति हेक्टेयर क्षेत्र के लिये न्यूनतम ₹ दो लाख एवं अधिकतम ₹ पाँच लाख तक हो सकता है, अथवा दोनों से होगा।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 23(1), यह प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार सामान्य अथवा विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे किसी क्षेत्र अथवा क्षेत्रों को, जिसे या जिन्हे नीलाम करके या ई–निविदा द्वारा या नीलाम एवं निविदा द्वारा या ई–नीलाम द्वारा पट्टे पर दिये की घोषणा कर सकती है। अग्रेतर, नियम 23(3), यह प्रावधानित करता है कि ऐसी घोषणा पर, अध्याय–3[6] के उपबन्ध उस क्षेत्र पर लागू नहीं होंगे जिसके सम्बन्ध में घोषणा जारी कर दी गयी है।

लेखापरीक्षा ने नीलामी के द्वारा व्यवस्थित अधिसूचित क्षेत्रों के सन्दर्भ में शास्ति प्रावधानों का दो परिदृश्यों के अन्तर्गत विश्लेषण कियाः (क) नीलाम किये गये क्षेत्रों में और (ख) नीलाम किये गये क्षेत्रों से सटे हुए क्षेत्रों में अवैध खनन। विश्लेषण के परिणाम नीचे दिये गये हैं।

(क) नीलाम किये गये क्षेत्रों में अवैध खनन के लिये आरोपित अर्थदण्ड का विश्लेषणः

लेखापरीक्षा ने पाया कि अधिसूचना दिनांक 18 मई 2017 के तहत सरकार द्वारा अवैध खनन के लिये अर्थदण्ड की अधिकतम धनराशि ₹ 25,000 से बढ़ाकर ₹ पाँच लाख प्रति हेक्टेयर कर दी गयी है।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा दो जनपदों[7] में ई–नीलामी के द्वारा स्वीकृत 14 खनन पट्टों का विश्लेषण किया गया। यह देखा गया कि पट्टा अनुबन्धों में कोई उल्लेख नहीं था कि अवैध खनन के लिये अधिकतम भुगतान योग्य अर्थदण्ड ₹ पाँच लाख प्रति हेक्टेयर थी। अग्रेतर, उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 का नियम 23(3), यह

---

[5] खनन संक्रियायें इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञापत्र की शर्तो और प्रतिबन्धों के अधीन होगी।

[6] रॉयल्टी एवं भाटक से संबंधित भुगतान का प्रावधान।

[7] झाँसी एवं सोनभद्र

प्रावधानित करता है कि नीलाम किये गये क्षेत्रों के लिये, अध्याय–3 के तहत निर्धारित रॉयल्टी लागू नहीं होगी, अवैध खनन के मामलों मे ऐसे मामलों में खनिजों का मूल्य निर्धारण करने के तरीकों में अस्पष्टता है।

अग्रेतर यह पाया गया कि पट्टाधारकों द्वारा पट्टा अवधि (पाँच वर्ष) के दौरान भुगतान योग्य नीलामी की धनराशि ₹ 27.31 करोड़ से ₹ 189.28 करोड़ के मध्य थी (**परिशिष्ट–XIV**)।

इसके आलोक में, अर्थदण्ड का आरोपण, जो कि अवैध खनन रोकने के लिये एक निवारक की तरह है, एक उपयुक्त राशि होनी चाहिये। यहां तक कि ₹ पाँच लाख के अर्थदण्ड की संशोधित राशि पट्टाधारक द्वारा भुगतान की गयी सबसे कम नीलामी राशि (₹ 27.31 करोड़) का 0.18 प्रतिशत है। तद्नुसार, नीलामी के माध्यम से पट्टे पर दिये गये क्षेत्रों के सम्बन्ध में अर्थदण्ड की राशि की समीक्षा की आवश्यकता है।

(ख) नीलाम किये गये क्षेत्रों से सटे हुए क्षेत्रों में अवैध खनन के लिये आरोपित अर्थदण्ड का विश्लेषण:

लेखापरीक्षा ने जि0खा0अ0 सोनभद्र में चार पट्टाधारकों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा कि दो मामलों में, जहाँ पट्टे ई–नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किये गये थे, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय के जाँच दल ने प्रतिवेदित (19 जून 2018) किया कि दो पट्टाधारकों द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से सटे क्षेत्र से 70,504.75 घ0मी0 उपखनिज (बालू/मोरम) का अवैध उत्खनन किया गया है। विवरण नीचे **सारणी 5.3** में दिया गया है।

सारणी 5.3
अवैध खनन का विवरण

क्र0 सं0	पट्टेधारक का नाम	पट्टा क्षेत्र	पट्टा अवधि	प्रत्येक वर्ष खनन की जाने वाली मात्रा (घ0मी0 में)	रॉयल्टी की दर प्रति घ0मी0 (₹ में)	बालू/मोरम की अवैध रूप से खनन की गयी मात्रा (घ0मी0 में)
1	श्री अखिलेश पॉल पुत्र श्री यश पॉल	गाटा सं0 246, क्षेत्रफल–12.146 हैक्टेयर, ग्राम– खबेन्धा, तहसील–राबर्ट्सगंज, सोनभद्र	23.03.2018 से 22.03.2023	2.43 लाख	1,068	36,750.00
2	श्री प्रवीन कुमार पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद	आराजी सं0 385, खण्ड–अ, क्षेत्रफल–12.146 हैक्टेयर, ग्राम–ब्रहमोरी, तहसील–राबर्ट्सगंज, सोनभद्र	02.04.2018 से 01.04.2023	2.43 लाख	1,067	33,754.75

अवैध खनन प्राधिकारियों के संज्ञान में आने पर, जिला मजिस्ट्रेट (जि0म0) ने दोनों पट्टाधारको को अर्थदण्ड के प्रावधानों की व्याख्या के आधार पर बालू/मोरम के अवैध खनन के लिये क्रमशः ₹ 23.59 करोड़ और ₹ 21.65 करोड़ के अर्थदण्ड की राशि के भुगतान करने के लिये माँगपत्र 29 अगस्त 2018 को जारी किया था जो कि ई–नीलामी के माध्यम से निश्चित किये गये पट्टा धारकों के लिये निर्धारित रॉयल्टी की दर के आधार पर था। पट्टाधारकों ने प्रमुख सचिव उ0प्र0 सरकार, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (17 अक्टूबर 2018 को) से जि0म0 के आदेश दिनांक 29 अगस्त 2018 के संचालन एवं क्रियान्वयन के स्थगन हेतु अपील[8] किया। विशेष सचिव (दिनांक 11 दिसम्बर 2018 के आदेश के द्वारा) ने जि0म0 के मौजूदा आदेशों को इस हद तक संशोधित किया कि पट्टाधारकों से उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अनुसूची I के अनुसार रॉयल्टी ₹ 150 प्रति घ0मी0 की दर से प्रभारित किया जायेगा एवं तद्नुसार खनिज मूल्य भी आगणित एवं प्रभारित किया जायेगा।

[8] उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 78 के अन्तर्गत।

लेखापरीक्षा ने जि0म0 और विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा लगाये गये अर्थदण्ड की राशि का विश्लेषण किया। विवरण नीचे **सारणी 5.4** में दिया गया है।

सारणी 5.4
आरोपित शास्ति की धनराशि का विश्लेषण

मामला	कलेक्टर (जि0म0) के आदेश दिनांक 29 अगस्त 2018 के अनुसार		विशेष सचिव के आदेश दिनांक 11 दिसम्बर 2018 के अनुसार	
I	अवैध खनन की मात्रा	= 36,750 घ0मी0	अवैध खनन की मात्रा	= 36,750 घ0मी0
	→ रॉयल्टी =36,750*1068	= ₹ 3.92 करोड़	→ रॉयल्टी =36,750*150	= ₹ 55.13 लाख
	→ खनिज मूल्य	= ₹ 19.62 करोड़	→ खनिज मूल्य	= ₹ 2.76 करोड़
	→ अर्थदण्ड	= ₹ 5.00 लाख	→ अर्थदण्ड	= ₹ 5.00 लाख
	योग	**= ₹ 23.59 करोड़**	**योग**	**= ₹ 3.36 करोड़**
	अवैध रूप से खनन किये गये खनिज पर अर्थदण्ड की धनराशि प्रति घ0मी0 ₹ 6,422		**अवैध रूप से खनन किये गये खनिज पर अर्थदण्ड की धनराशि प्रति घ0मी0 ₹ 914**	
II	अवैध खनन की मात्रा	= 33,754.75 घ0मी0	अवैध खनन की मात्रा	= 33,754.75 घ0मी0
	→ रॉयल्टी =33,754.75*1067	= ₹ 3.60 करोड़	→ रॉयल्टी =33,754.75*150	= ₹ 50.63 लाख
	→ खनिज मूल्य	= ₹ 18.00 करोड़	→ खनिज मूल्य	= ₹ 2.53 करोड़
	→ अर्थदण्ड	= ₹ 5.00 लाख	→ अर्थदण्ड	= ₹ 5.00 लाख
	योग	**= ₹ 21.65 करोड़**	**योग**	**= ₹ 3.09 करोड़**
	अवैध रूप से खनन किये गये खनिज पर अर्थदण्ड की धनराशि प्रति घ0मी0 ₹ 6,417		**अवैध रूप से खनन किये गये खनिज पर अर्थदण्ड की धनराशि प्रति घ0मी0 ₹ 915**	

जि0म0 और विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म के आदेशों के एक विश्लेषण से निम्नलिखित प्रदर्शित होता है।

(i) जि0म0 ने ई–नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किये गये पट्टेधारक के लिये निर्धारित रॉयल्टी की दर के आधार पर अर्थदण्ड लगाया। दूसरी ओर, विशेष सचिव ने उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अध्याय–3 की अनुसूची I के आधार पर अर्थदण्ड लगाया क्योंकि अवैध खनन नीलामी वाले क्षेत्र से सटे क्षेत्र में किया गया था जैसा कि अधिसूचित क्षेत्र से बाहर।

(ii) अर्थदण्ड लागू होने के संदर्भ में, दो निर्णयों का परिणाम, बहुत व्यापक है। जि0म0 के आदेशों के मामले में दोनों पट्टाधारकों को क्रमशः ₹ 23.59 करोड़ और ₹ 21.65 करोड़ का भुगतान करना था। दूसरी ओर, विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म के निर्णय के आधार पर दोनों पट्टाधारकों को क्रमशः ₹ 3.36 करोड़ और ₹ 3.09 करोड़ का अर्थदण्ड भुगतान करना था।

(iii) जब धनराशियों का आरोपण बालू/मोरम के खनन के प्रति घ0मी0 के परिप्रेक्ष्य के रूप में लिया जाता है तो इसके परिणाम और भी अधिक निरा है। जि0म0 के आदेश के मामले में देय धनराशि ₹ 6,422/₹ 6,417 प्रति घ0मी0 है, जबकि विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म, के आदेश के मामले मे ₹ 914/₹ 915 प्रति घ0मी0 है। विशेष रूप से विशेष सचिव, भूतत्व एंव खनिकर्म, के आदेश के मामले में देय अर्थदण्ड की राशि ₹ 914/₹ 915 प्रति घ0मी0 जो आसपास के क्षेत्र में अवैध खनन के लिये है, उस राशि से कम है जो पट्टाधारक से बालू/मोरम के वैध खनन के लिये भुगतान करने की अपेक्षा है जिसे ई–नीलामी के माध्यम से क्रमशः ₹ 1,067 और ₹ 1,068 प्रति घ0मी0 निर्धारित किया गया है।

(iv) उपर्युक्त का तात्पर्य यह है कि पट्टाधारक को पट्टे की शर्तो के अनुसार बालू/मोरम के वैध खनन की धनराशि ₹ 1,067/₹ 1,068 प्रति घ0मी0 के विपरीत नीलामी किये गये क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र से बालू/मोरम के अवैध खनन के लिये ₹ 914/₹ 915 प्रति घ0मी0 की कम दर से अर्थदण्ड देना है।

नीलाम किये गये क्षेत्रों में एवं नीलाम किये गये क्षेत्रो के अलावा खनन के लिये शास्ति प्रावधानों का उपरोक्त विश्लेषण निम्नलिखित रिक्त को इंगित करता हैः

(क) जहाँ तक कि गैर–नीलाम क्षेत्रों में अवैध खनन का सम्बन्ध है, राज्य सरकार ने, 15 अक्टूबर 2015 के अपने आदेश में, स्पष्ट किया कि खनिजों का मूल्य उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के अध्याय–3 में निर्धारित सामान्यतः रॉयल्टी का पाँच गुना है। यह उल्लेख किया जा सकता है कि राजस्थान राज्य में, खनिज मूल्य की गणना प्रचलित रॉयल्टी के 10 गुना के रूप में की जाती है जो अवैध रूप से उप खनिजों को उत्खनन एवं प्रेषण करने वाले व्यक्ति से रॉयल्टी के साथ वसूल की जाती है। जबकि मध्य प्रदेश राज्य में, अवैध रूप से निकाले गये/परिवहन किये गये खनिजों पर रॉयल्टी का 30 गुना न्यूनतम अर्थदण्ड आरोपणीय है जो ₹ 10,000 से कम नहीं होगा।

(ख) जैसा कि अर्थदण्ड रॉयल्टी के सन्दर्भ में परिभाषित किया गया है, यह नीलामी के माध्यम से अधिसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होता है जैसा कि उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 के नियम 23(3) में प्रावधानित है।

(ग) खा0एवंख0वि0 और वि0 अधिनियम की धारा 21(5) के संदर्भ में अर्थदण्ड लगाने से संबन्धित प्रावधानो के स्पष्टता के अभाव एवं अनुसूची–1 में निर्धारित बालू/मोरम के रॉयल्टी की दर के सापेक्ष नीलामी में प्राप्त दर के गैर तर्कसंगत होने के कारण, व्यक्तिगत अधिकारी और उनके नियंत्रण अधिकारी को अपनी खुद की व्याख्या करना पड़ता है, जो कि राजस्व हित में नहीं हो सकता है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (मई 2019)। उत्तर (मई 2020) में, शासन ने बताया कि खा0एवंख0वि0 और वि0 अधिनियम, 1957 में निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से खनिजों का परिहार स्वीकृत किये जाने का प्रावधान किया गया है। उक्त प्रक्रिया को अपनाते हुए राज्य सरकार द्वारा खनन नीति–2017 में उपलब्ध उपखनिजों का परिहार ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किया जा रहा है। जब कभी अवैध खनन का मामला संज्ञान में आता है तो, उनके विरूद्ध खा0एवंख0वि0 और वि0 अधिनियम की धारा–21, एवं उ0प्र0उ0ख0प्र0 नियमावली 1963 के नियम–57, के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। ऐसे अवैध खनन के मामलो का निस्तारण बोली मूल्य के आधार पर किया जाना नियमानुकूल नहीं है।

विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गये मुद्दे को संबोधित नहीं करता है। पट्टा क्षेत्र से सटे क्षेत्रों में पट्टाधारक द्वारा बालू/मोरम के अवैध उत्खनन पर उपयुक्त अर्थदण्ड के माध्यम से संबोधित किये जाने की आवश्यकता है। ऐसा न करके, जैसा कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किया गया है, उपखनिजों के सम्बन्ध में अधिनियम एवं उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के वर्तमान प्रावधानों के आधार पर पट्टाधारक खनिजों का अवैध उत्खनन के लिए अर्थदण्ड की राशि का भुगतान करके जो कि ई–नीलामी के माध्यम से किये गये वैध उत्खनन से कम है के लिये सक्षम है। अग्रेतर, नीलाम किये गये क्षेत्रों में अवैध खनन के लिये आरोपणीय अर्थदण्ड की दर भी अस्पष्ट है। नीलामी के माध्यम से व्यवस्थित किये गये पट्टों के लिये उपयुक्त अर्थदण्ड के आरोपण के साथ–साथ नीलामी वाले क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों के लिये अर्थदण्ड को संशोधित करके अवैध खनन को हतोत्साहित करने की स्पष्ट आवश्यकता है।

संस्तुतियाँः

1. **सरकार को स्पष्ट रूप से परिभाषित/पुनः परिभाषित करना चाहिए कि खा0 एवं ख0वि0 और वि0 अधिनियम की धारा 21(5) के संदर्भ में नीलामी द्वारा पट्टा किये गये क्षेत्र की 'खनिज मूल्य' और रॉयल्टी में क्या निर्धारित हो।**
2. **सरकार उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 में अवैध खनन को हतोत्साहित करने के लिये प्रावधानित देय अर्थदण्ड की धनराशि की समीक्षा और संशोधन करे।**

5.5 परिवहन प्रपत्र के बिना निष्पादित किये गये कार्यों के लिये ठेकेदारों से खनिज का मूल्य नहीं वसूला गया

विभाग ने बिना वैध प्राधिकार के खनिजों के उठान के 904 मामलों में ₹ 116.85 करोड़ की धनराशि के खनिज मूल्य तथा देय अर्थदण्ड सिविल कार्य के ठेकेदारों से वसूल नहीं किया।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली, 1963 और उत्तर प्रदेश खनिज (अवैध खनन परिवहन और भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2002, प्रावधानित करता है कि कोई भी व्यक्ति बिना वैध परिवहन पास (प्रपत्र एम0एम0–11[9]/प्रपत्र सी[10]) के किसी खनिज का परिवहन नहीं करेगा। खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम[11], 1957, प्रावधानित करता है कि वैध प्राधिकार के बिना उपखनिजों के उठान पर रॉयल्टी के साथ खनिज मूल्य की वसूली की जा सकती है। सरकार द्वारा, अपने आदेश दिनांक 15 अक्टूबर 2015 में, यह दोहराया था, कि यदि ठेकेदार रॉयल्टी रसीद को प्रपत्र एम0एम0–11 में प्रस्तुत नहीं करता है तो रॉयल्टी के अलावा, खनिज का मूल्य (सामान्यतः रॉयल्टी का पाँच गुना) की कटौती ठेकेदार के बिल से की जायेगी और राजकोष में जमा किया जायेगा।

लेखापरीक्षा ने 18 जि0खा0का0 के अभिलेखों[12] की नमूना जाँच की और देखा (सितम्बर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) कि कार्यदायी संस्थाओ ने 1,304 निर्माण कार्य ठेकेदारों के माध्यम से कराये। 904 मामलों में, ठेकेदारों द्वारा बिलों के साथ निर्माण कार्य में खनिजों के प्रयोग के लिये आवश्यक एम0एम0–11 प्रस्तुत नहीं किये गये। अक्टूबर 2015 एवं जनवरी 2019 के मध्य कार्यदायी संस्थाओं ने ठेकेदारों के बिलों से रॉयल्टी ₹ 23.37 करोड़ की कटौती की और वैसे ही कोषागार में जमा कर दिया या सम्बन्धित जि0खा0का0 को चेक दिया। सम्बन्धित जि0खा0अधि0, ने कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा रॉयल्टी की कटौती की जानकारी होने के बावजूद भी, खनिज मूल्य की वसूली सुनिश्चित करने के लिये उनके समक्ष मुद्दा नहीं उठाया और खनिज मूल्य ₹ 116.85 करोड़ की वसूली के लिये कोई भी कार्यवाही करने में विफल रहे जैसा कि **परिशिष्ट–XV** में दिखाया गया है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2018 एवं अप्रैल 2019 के मध्य)। उनके उत्तर प्रतिक्षित थे (सितम्बर 2020)।

संस्तुतिः

खनन विभाग को सिविल कार्य कराने वाली कार्यदायी संस्थाओं के साथ समन्वय सुनिश्चित करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ठेकेदारों ने खनिजों को वैध पट्टाधारकों से लिया है, और ऐसे खनिजों के परिवहन के लिये वैध एम0एम0–11/प्रपत्र सी था।

---

9 खनन पट्टा अथवा क्रशर प्लान्ट धारक द्वारा उप खनिज के परिवहन के लिए निर्गत किये जाने वाला परिवहन पास (रवन्ना)। इसमें पट्टे धारक का नाम और पता, खनिज की प्रकृति एवं मात्रा तथा इसे परिवहन किये जाने वाले वाहन का पंजीयन संख्या अंकित होता है।

10 खनिजों की भंडारण के लाइसेंस धारक स्टोर से खनिजों के वैध परिवहन के लिये 'प्रपत्र सी' में परिवहन पास जारी करेगा।

11 खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम की धारा 21(5)।

12 कोषागार प्रपत्र, चालान, कार्यदायी संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराये गये रॉयल्टी का विवरण।

5.6 खनिजों का अनधिकृत उत्खनन

खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम प्रावधानित करता है कि खनन संक्रियाएं इस अधिनियम व इसके अधीन बने नियमों के अर्न्तगत खनन पट्टे में दिये गये निबन्धनो और शर्तों के अनुसार की जायेगी। अग्रेतर यह प्रावधानित करता है कि जब कभी कोई व्यक्ति वैध प्राधिकार के बिना, किसी खनिज को किसी भूमि से उठाता है, राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार उठाये गये खनिज को, वापस प्राप्त कर सकती है या जहाँ ऐसे खनिज को पूर्व में ही निस्तारित किया जा चुका हो, रॉयल्टी के साथ उसके मूल्य की वसूली कर सकता है। उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली के अन्तर्गत, कुल रॉयल्टी खनिजों के खनिमुख मूल्य[13] के 20 प्रतिशत की दर से अनाधिक निर्धारित की गयी है।

पर्यावरण संरक्षण अधिनियम (प0सं0अ0), 1986 प्रावधानित करता है कि जो भी इस अधिनियम के किन्ही प्रावधानों का उल्लंघन करता है या पालन करने में विफल रहता है, वह प्रत्येक विफलता के लिये कारावास, जो पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना जो एक लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकता है, या दोनों से होगा।

5.6.1 पर्यावरण मंजूरी (प0मं0) के बिना खनिजों का उत्खनन

पर्यावरण मंजूरी (प0मं0) के बिना 35,319 घ0मी0 उप खनिजों के उत्खनन पर चार पट्टाधारकों से उत्खनित खनिज मूल्य ₹ 2.99 करोड़ की वसूली नहीं की गयी।

राज्य सरकार द्वारा आदेशित किया गया (मई 2011 एवं मार्च 2012) कि खनन पट्टाधारक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (प0 एवं व0मं0) से प0मं0 प्राप्त करेंगे। यदि कोई पट्टाधारक[14] बिना प0मं0 के खनिजों का उत्खनन करता है, तो यह अवैध खनन माना जायेगा एवं खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम[15] के अन्तर्गत वह रॉयल्टी, खनिज के मूल्य एवं जुर्माना का दायी होगा।

लेखापरीक्षा ने दो[16] जि0खा0का0 में 28 पट्टाधारकों के अभिलेखो[17] की नमूना जाँच की और देखा (नवम्बर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) कि चार मामलों में, पट्टाधारकों ने जनवरी 2017 एवं दिसम्बर 2017 के मध्य 35,319 घ0मी0 उप खनिजों का उत्खनन प0मं0 प्राप्त किये बिना किया एवं रॉयल्टी ₹ 59.87 लाख का भुगतान किया। प0मं0 प्राप्त किये बिना खनिजों का उत्खनन अवैध था। सम्बन्धित जि0खा0अ0 ने यह सुनिश्चित करने के लिये कोई कदम नहीं उठाया कि पट्टाधारक ने प0मं0 प्राप्त किया था। उन्होंने न ही इन पट्टाधारकों की खनन गतिविधियां रोकीं और न ही एमएम–11 जारी करना रोका। इस प्रकार सम्बन्धित जि0खा0का0 खनिज मूल्य ₹ 2.99 करोड़ (देय रॉयल्टी का पाँच गुना) की धनराशि की वसूली करने में असफल रहे। अग्रेतर, पर्यावरण नियमों के उल्लंघन पर पट्टाधारकों पर जुर्माना प्रति ₹ एक लाख भी आरोपित नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2018 एवं अप्रैल 2019 के मध्य)। उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2020)।

---

[13] 'खनिमुख मूल्य' का आशय है कि खनन स्थल पर या उत्पादन के बिंदु पर उप खनिज का बिक्री मूल्य।

[14] खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के अन्तर्गत स्वीकृत खनन पट्टे में दिये गये निबन्धनों और शर्तों के अनुसार और पट्टे में निर्दिष्ट क्षेत्रों में खनन संक्रियायें करने के लिए अधिकृत व्यक्ति।

[15] खा0 एवं ख0 (वि0 और वि0) अधिनियम की धारा 21(5)।

[16] झाँसी एवं ललितपुर।

[17] व्यक्तिगत पट्टाधारक की पत्रावली, एमएम 11 निर्गम पंजिका एवं चालान।

5.6.2 खनन योजना में निर्धारित सीमा से अधिक खनिजों का उत्खनन

खनन योजना में निर्धारित सीमा से अधिक खनिज के उत्खनन पर एक पट्टाधारक से खनिज के मूल्य ₹ 79.20 लाख की धनराशि वसूल नहीं की गयी।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली 1963, के अन्तर्गत, स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप एवं बालू अथवा मोरम अथवा बजरी अथवा बोल्डर अथवा इनमें से कोई मिली जुली अवस्था में हो, नदी तल में अनन्य रूप से पायी जाने वाली के सम्बन्ध में खनन संक्रियायें, निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित खनन योजना के अनुसार, जिसमें वार्षिक विकास योजनाओं का ब्योरा होगा, की जायेगी। निदेशक द्वारा एक बार अनुमोदित खनन योजना, पट्टे की सम्पूर्ण अवधि के लिये वैध होगी। खनन संक्रियायें विधिवत अनुमोदित खनन योजना के अनुसार होनी चाहिये। खनन पट्टा संचालन के दौरान स्वीकृत खनन योजना का कोई संशोधन भी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदित होना आवश्यक है।

लेखापरीक्षा ने जि0खा0का0 ललितपुर में 20 पटटाधारकों के अभिलेखों[18] की नमूना जाँच की और देखा (मार्च 2019) कि एक पट्टाधारक ने जनवरी 2017 एवं जून 2017 के मध्य 10,517 घ0मी0 उप खनिजों का उत्खनन खनन योजना में अनुमन्य मात्रा से अधिक किया एवं ₹ 15.84 लाख रॉयल्टी का भुगतान किया। खनिजों का अधिक उत्खनन न केवल अवैध था बल्कि पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता था। जि0खा0अ0 ने न तो व्यवसाय को रोकने हेतु कोई कार्यवाही किया न ही खनिजों के मूल्य ₹ 79.20 लाख़ (देय रॉयल्टी का पाँच गुना) की धनराशि की वसूली की।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (अप्रैल 2019)। उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2020)।

5.6.3 बिना खनन योजना के खनिजों का उत्खनन

बिना खनन योजना के खनिजों के उत्खनन पर चार पट्टाधारकों से खनिज मूल्य ₹ 1.44 करोड़ की धनराशि वसूल नहीं की गयी।

खनन योजना तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा वैज्ञानिक तरीके से इस तरह से तैयार किया जाना चाहिये कि जैसे उस क्षेत्र के विकास में सहयोग कर सके। यदि खनन संक्रियाएं बिना अनुमोदित खनन योजना के की जाती हैं, तो विभाग का इनके ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं होगा और पट्टाधारक अधिक खनिजों का उत्खनन एक अवैज्ञानिक तरीके से कर सकता है जो खनिज संसाधनों एवं पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

लेखापरीक्षा ने दो[19] जि0खा0का0 में 32 पट्टाधारकों के अभिलेखों[20] की नमूना जाँच की और देखा (अक्टूबर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) कि चार पट्टाधारकों ने अक्टूबर 2016 एवं अगस्त 2017 के मध्य 19,847 घ0मी0 उप खनिजों का उत्खनन बिना किसी अनुमोदित खनन योजना के किया एवं ₹ 28.87 लाख़ के रॉयल्टी का भुगतान किया। पट्टाधारकों द्वारा उत्खनित खनिज की कुल मात्रा अनधिकृत थी और अवैध खनन की राशि थी। जि0खा0अ0 ने न तो इन पट्टाधारकों की खनन गतिविधियां रोकीं और न ही एमएम–11 जारी करना रोका। वे खनिज मूल्य ₹ 1.44 करोड़ (देय रॉयल्टी का पाँच गुना), की धनराशि की वसूली करने में भी असफल रहे।

---

[18] व्यक्तिगत पट्टाधारक की पत्रावली, एमएम 11 निर्गम पंजिका एवं चालान

[19] आगरा एवं ललितपुर

[20] व्यक्तिगत पट्टाधारक की पत्रावली, एमएम 11 निर्गम पंजिका एवं चालान

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2018 एवं अप्रैल 2019 के मध्य)। उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2020)।

5.7 प्रतिभूति की धनराशि एवं रॉयल्टी की किश्त को विलम्ब से जमा करने के कारण पूर्व बोली बयाना धनराशि जब्त नहीं किया जाना

प्रतिभूति की धनराशि एवं रॉयल्टी की किश्त ₹ 12.96 करोड़ को विलम्ब से जमा करने पर विभाग पूर्व बोली बयाना धनराशि ₹ 1.05 करोड़ को जब्त करने में असफल रहा।

उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश[21] (दिनांक 14 अगस्त 2017), प्रावधानित करता है कि सहमति पत्र प्राप्त होने के उपरान्त, उप खनिज पट्टों के प्रत्येक सफल बोलीदाता द्वारा प्रथम वर्ष का देय रॉयल्टी का 50 प्रतिशत (25 प्रतिशत प्रतिभूति जमा के रूप में एवं 25 प्रतिशत प्रथम किस्त के रूप में) मेटल स्क्रैप ट्रेड कारपोरेशन (एम0एस0टी0सी0)[22] के ई पेमेन्ट गेटवे पर आर0टी0जी0एस0/एन0ई0एफ0टी0 द्वारा सहमति पत्र जारी होने के दो कार्य दिवसों के अन्दर जमा किया जाना होगा। उक्त धनराशि को जमा करने से पूर्व, सफल बोलीदाता द्वारा जमा की गई पूर्व बोली बयाना घनराशि, समायोजित कर ली जायेगी। अग्रेतर, यदि सफल बोलीदाता उक्त धनराशि जमा करने मे असफल होता है तो, उसके द्वारा जमा की गई पूर्व बोली बयाना घनराशि जब्त कर ली जायेगी और इस सम्बन्ध में कोई शिकायत अथवा प्रत्यावेदन विचार योग्य नही होगा।

लेखापरीक्षा ने निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तर प्रदेश के अभिलेखों[23] की नमूना जाँच किया और देखा (दिसम्बर 2018) कि जनपद में ई–निविदा सह ई–नीलामी में बोली पर जिलाधिकारी, बाँदा ने सफल बोलीदाता[24] के पक्ष में 2.80 लाख घ0मी0 बालू/मोरम (₹ 1,001 प्रति घ0मी0 की दर से) के खनन पट्टे के लिये सहमति पत्र (27 मई 2018 को) जारी किया। बोलीदाता को सहमति पत्र जारी होने के दो कार्य दिवस के अन्दर ₹ 12.96 करोड़ (प्रथम वर्ष के देय रॉयल्टी का 50 प्रतिशत) जमा करना था। बोलीदाता ने दिनांक 14 जून 2018 को 15 दिन के विलम्ब से धनराशि को जमा किया। विभाग पूर्व बोली बयाना धनराशि ₹ 1.05 करोड़ को ज़ब्त करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (जनवरी 2019)। उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2020)।

5.8 ईंट भट्ठा स्वामियों से रॉयल्टी एवं अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क की वसूली नहीं किया जाना

ईंट भट्ठा स्वामियों से 570 मामलों में, रॉयल्टी ₹ 7.38 करोड़, अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क ₹ 9.32 लाख एवं जि0ख0फा0न्या0 की धनराशि ₹ 94.06 लाख की वसूली नहीं की गयी, यद्यपि वह सभी एक मुश्त समाधान योजना में विनिर्दिष्ट थे।

शासन द्वारा समय समय पर घोषित, ईंट भट्ठों के लिये एकमुश्त समाधान योजना (ए0मु0स0यो0) अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क के साथ निर्धारित दरों पर रॉयल्टी की समेकित धनराशि के भुगतान के लिये प्रावधानित करती है। यह रॉयल्टी, शुल्क या शासन को देय अन्य धनराशि के विलम्बित भुगतान पर 24 प्रतिशत की दर से ब्याज का प्रभारण भी प्रावधानित करती है। वर्ष 2015–16 से 2017–18 के ए0मु0स0यो0 में,

---

[21] बिन्दु 19 (2)।

[22] ई–नीलामी के लिये भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की सेवा प्रदाता।

[23] खनन योजना पंजिका, सहमति पत्र इत्यादि।

[24] मे0 बासुदेव अमर उजाला।

रॉयल्टी का 10 प्रतिशत[25] अतिरिक्त ईंट बनने में प्रयुक्त होने वाली पलोथन[26] मिट्टी के लिए आरोपित किया जाना था। जि0ख0फा0न्या0 नियमावली 2017, प्रावधानित करता है कि प्रत्येक खनन का अनुज्ञा धारक, रॉयल्टी के अतिरिक्त, जिले के ट्रस्ट जिसमें खनन संक्रियाएं हो रही हैं, रॉयल्टी के 10 प्रतिशत समतुल्य राशि का भुगतान करेगा, जो 2015–16 से आरोपणीय है।

लेखापरीक्षा ने 12 जि0ख0का0 में 1,533 ईंट भट्ठों के अभिलेखों[27] की नमूना जाँच की और देखा (सितम्बर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) कि 570 ईंट भट्ठा स्वामियों ने भट्ठा वर्ष[28] 2015–16 से 2017–18 के लिए कोई रॉयल्टी, अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क एवं जि0ख0फा0न्या0 में अशंदान का भुगतान नहीं किया। सम्बन्धित जि0ख0अ0 ने न तो व्यवसाय को रोकने हेतु कोई कार्यवाही की और न ही देय धनराशि ₹ 8.41 करोड़ (रॉयल्टी ₹ 7.38 करोड़, अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क ₹ 9.32 लाख एवं जि0ख0फा0न्या0 ₹ 94.06 लाख) की वसूली करने का कोई प्रयास किया जैसा कि **परिशिष्ट–XVI** में दिखाया गया है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (अक्टूबर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य)। उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2020)।

संस्तुतिः

विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि राज्य में सभी ईंट भट्ठा स्वामी दिये गये भट्ठा वर्ष में लागू ए0मु0स0यो0 के प्रावधानों का पालन करें। दोषी ईंट भट्ठा स्वामियों से बकाया रॉयल्टी वसूल किये जाने के प्रयास भी किये जाने चाहिए।

5.9 विलम्बित भुगतान पर ब्याज प्रभार्य न किया जाना

रॉयल्टी/अपरिहार्य भाटक विलम्ब से जमा करने के कारण 38 पट्टाधारकों पर ₹ 2.78 करोड़ का ब्याज एवं 281 भट्ठा स्वामियों पर ₹ 90.13 लाख का ब्याज प्रभारित नहीं किया गया।

उ0प्र0उ0ख0प0 नियमावली[29], 1963, प्रावधानित करता है कि किसी किराया, रॉयल्टी सीमांकन शुल्क एवं राज्य सरकार के कोई अन्य देयों को विलम्ब से जमा करने पर 30 दिनों के नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद 24 प्रतिशत (मई 2017 से संशोधित 18 प्रतिशत) प्रतिवर्ष की दर से ब्याज प्रभार्य होगा।

पट्टों एवं ईट भट्ठों के अभिलेखों की नमूना जाँच के दौरान, ब्याज की धनराशि ₹ 3.68 करोड़ प्रभार्य करने की असफलता देखी गयी। मामलों का विवरण नीचे वर्णित है:

- लेखापरीक्षा ने 11 जि0ख0का0 में 84 पट्टाधारकों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा (नवम्बर 2017 एवं मार्च 2019 के मध्य) कि 38 पट्टाधारकों ने मई 2011 से जनवरी 2019 की अवधि में रॉयल्टी/अपरिहार्य भाटक ₹ 78.03 करोड़, 15 दिन से 1,621 दिन विलम्ब से जमा किया। यद्यपि विलम्ब से भुगतान का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध था, विभाग ने आरोपणीय ब्याज ₹ 2.78 करोड़ के सापेक्ष मात्र ₹ 27,588 प्रभारित एवं वसूल किया। परिणामस्वरूप, ब्याज ₹ 2.78 करोड़ विभाग द्वारा प्रभारित नहीं किया गया जैसा कि **परिशिष्ट–XVII** में दिखाया गया है।

---

[25] वर्ष 2015–16 के लिये 20 प्रतिशत
[26] बलुई मिट्टी।
[27] भट्ठा पंजिका एवं चालान
[28] अक्टूबर से सितम्बर।
[29] नियम 58 (2)।

- लेखापरीक्षा ने सात जि0खा0का0 में 710 ईंट भट्ठों के अभिलेखों की नमूना जाँच की और देखा (सितम्बर 2018 एवं फरवरी 2019 के मध्य) कि 281 ईंट भट्ठा स्वामियों ने 2013–14 एवं 2015–16 से 2017–18 की अवधि में रॉयल्टी ₹ 4.13 करोड़, 184 दिन से 1,897 दिन विलम्ब के मध्य से जमा किया। यद्यपि विलम्ब से भुगतान का विवरण अभिलेखों में उपलब्ध था, विभाग ने आरोपणीय ब्याज ₹ 96.54 लाख के सापेक्ष मात्र ₹ 6.41 लाख प्रभारित एवं वसूल किया। परिणामस्वरूप, ब्याज ₹ 90.13 लाख़ विभाग द्वारा प्रभारित नहीं किया गया जैसा कि **परिशिष्ट–XVIII** में दिखाया गया है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (जुलाई 2017 एवं अप्रैल 2019 के मध्य)। उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2020)।

अध्याय–VI: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

6.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर यान पर कर एवं शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण मोटर यान (मो0या0) अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर यान (के0मो0या0) नियमावली, 1989 उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (उ0प्र0मो0या0क0) अधिनियम, 1997, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (उ0प्र0मो0या0क0) नियमावली, 1998, कैरैज बाई रोड (कै0बा0रो0) अधिनियम, 2007, कैरिज बाई रोड (कै0बा0रो0) नियमावली, 2011, तथा समय–समय पर शासन एवं विभाग द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं, परिपत्रों एवं शासकीय आदेशों (शा0आ0) के अधीन नियंत्रित होता है।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। करों एवं फीस के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवहन आयुक्त (प0आ0), उत्तर प्रदेश, द्वारा शासित एवं पर्यवेक्षित की जाती है, जिनकी सहायता मुख्यालय पर पाँच अपर परिवहन आयुक्तों द्वारा की जाती है।

क्षेत्र में छः[1] उप परिवहन आयुक्त (उ0प0आ0), 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारी[2] (स0प0अ0) तथा 75 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (स0स0प0अ0) (प्रशासन) हैं। स0प0अ0 परिवहन यानों से सम्बन्धित परमिटों के निर्गम एवं नियंत्रण के सम्पूर्ण कार्य का निर्वहन करते हैं। स0स0प0अ0 परिवहन यानों एवं गैर परिवहन यानों, दोनों से सम्बन्धित करों, फीस के निर्धारण एवं आरोपण के कार्य का निर्वहन करते हैं। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का सम्पूर्ण प्रशासनिक दायित्व सम्बन्धित स0प0अ0 के पास होता है।

राज्य में 114 प्रवर्तन दल हैं, प्रत्येक दल में एक स0स0प0अ0 (प्रवर्तन), एक पर्यवेक्षक एवं तीन प्रवर्तन सिपाही होते हैं। ये मुख्यालय से सम्बद्ध और जनपद स्तर पर तैनात किये गये हैं।

विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर यथा, **वाहन** को वाहनों के पंजीकरण, परमिट को जारी/नवीनीकृत करने, कर और फीस का आगणन एवं भुगतान करने, स्वस्थता प्रमाण पत्र को जारी/नवीनीकृत करने, चालान जारी करने एवं शास्ति की धनराशि का भुगतान करने की प्रक्रिया के स्वचालन हेतु अपनाया गया (अक्टूबर 2006) था। इस सॉफ्टवेयर में राजस्व के बकाये, बिना परमिट एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहनों की सूची आदि के प्रतिवेदन को भी उत्पन्न करने की सुविधा है। एक अन्य सॉफ्टवेयर यथा, **सारथी** (जनवरी 2013 में अपनाया गया), को ड्राइविग लाइसेंस के निर्गमन हेतु व वाहनों के पंजीयन व ड्राइविग लाइसेंसों के डाटा को राज्य पंजिका में संकलन हेतु किया गया है।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2018–19 के दौरान, परिवहन विभाग की 76 लेखापरीक्षण योग्य इकाईयों में से 21[3] इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 12,965 मामलों में सन्निहित ₹ 1,427.40 करोड़ के कर/शास्ति की न/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला, जैसा कि **सारणी–6.1** में प्रदर्शित किया गया है।

---

1 आगरा, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी।

2 आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बाँदा, बरेली, बस्ती, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी।

3 एक प्रमुख सचिव/परिवहन आयुक्त, 10 स0प0अ0 एवं 10 स0स0प0अ0।

सारणी–6.1

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	यात्री कर/अतिरिक्त कर व मालकर की कम वसूली	1,193	927.31
2	अन्य अनियमितताएं[4]	11,772	500.09
योग		**12,965**	**1,427.40**

इस अध्याय में ₹ 20.37 करोड़ की धनराशि की अनियमितताओं के 5,126 मामलों की व्याख्या की गयी है। विभाग ने 1,325 मामलों में निहित धनराशि ₹ 6.41 करोड़ को स्वीकार किया है, जिसमें से 550 मामलों में ₹ 1.05 करोड़ की वसूली को प्रतिवेदित किया है। इनमें से कुछ अनियमितताओं को विगत पाँच वर्षों के दौरान बार–बार प्रतिवेदित किया गया है जैसा कि **सारणी–6.2** में वर्णित है। इंगित की गई त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। **इसलिए यह जाँच करने के लिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सकने हेतु एक प्रणाली को स्थापित करने के लिए शासन/विभाग सभी इकाईयों का व्यापक पुनरीक्षण कर सकते हैं।**

सारणी–6.2

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षण की प्रकृति	2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		2017–18		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) बसों पर अतिरिक्त कर का आरोपित न किया जाना	248	19.20	464	30.36	805	35.69	210	1.95	393	2.61	2,120	89.81
राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण न किया जाना	1,973	3.45	105	0.18	440	0.77	–	–	–	–	2,518	4.40

संस्तुतिः

विभाग को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित न/कम उदग्रहण किये गये मामलों में अधिक धनराशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए।

6.3 शासकीय प्राप्तियों का गबन

शासकीय प्राप्तियों के जमा न किये जाने के कारण ₹ 9.48 लाख का गबन।

उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका[5] में प्रावधानित है कि कोषागार नियम[6] के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद में परिभाषित सभी धनराशियाँ, शासकीय कर्मचारी को अपनी शासकीय क्षमता के द्वारा प्राप्त या प्रस्तुत की गयी हों को, बिना किसी देरी के पूर्णरूप से कोषागार या बैंक में भुगतान किया जाना चाहिये एवं शासकीय खाते में सम्मिलित किया जाना चाहिये। वित्तीय हस्तपुस्तिका[7] अग्रेतर यह प्रावधानित करती है कि रोकड़ बही की जाँच करते समय, आहरण एवं वितरण अधिकारी (आ0वि0आ0) को रोकड़ बही की प्राप्ति साइड की इन्द्राज नकद प्राप्तियों को सम्बधित प्राप्तियों के प्रतिपर्णों से मिलान करें और सुनिश्चित करे कि उस दिन तक कार्यालय में प्राप्त की

[4] बिना स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र के वाहनों का संचालन, यू0पी0एस0आर0टी0सी0 बसों से अतिरिक्त कर के विलम्बित भुगतान पर अर्थदण्ड की वसूली न किया जाना, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर का आरोपण न किया जाना, दुर्घटना राहत निधि की स्थापना न किया जाना, शासकीय आदेशों के विरूद्व अनियमित भुगतान आदि।

[5] वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड–5 भाग–I का प्रस्तर 21।

[6] कोषागार नियम–7(1)।

[7] वित्तीय हस्तपुस्तिका खंडः–5 भाग–II के परिशिष्ट XXVI (शा0आ0 सं0 ए–1–1330/10–4(1)–70 दिनांक 17 मई 1979)।

गयी सभी नकद धनराशि को जिस दिन रोकड़ बही की जाँच की गयी हो में इंद्राज कर लिया गया है, और उसके समक्ष रसीद क्रमांक अंकित कर दिया गया है। आ0वि0आ0 को रसीदों के प्रतिपर्णों पर 'रोकड़ बही में अंकित' शब्द को अभिलिखित करना चाहिये। जब रसीद बुक पूर्णरूप से उपयोग कर ली जाय, तो उसकी जाँच कर यह सत्यापित किया जाय कि रसीद बुक की प्राप्त सभी प्रतिपर्णों का लेखाओं में इंद्राज कर लिया गया है।

कुछ निश्चित अपवाद के साथ, कोई भी गबन या शासकीय धनराशि की हानि, विभागीय राजस्व या प्राप्तियाँ, स्टाम्प, अफीम, स्टोर्स या अन्य सम्पत्ति, कोषागार या अन्य कार्यालय या विभाग में अन्वेषित की गयी हो जो महालेखाकार के लेखापरीक्षा के अंतर्गत आते है, महालेखाकार एवं शासन को तुरन्त ही विभाग के प्रमुख या संभाग के मण्डलायुक्त के माध्यम से प्रतिवेदित कर देना चाहिये, चाहे इस हानि की भरपाई जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा कर दी गयी हो।

लेखापरीक्षा ने स0स0प0अ0 (प्रशासन), रायबरेली के अभिलेखों[8] की नमूना जाँच (सितम्बर 2017 एवं दिसम्बर 2018 के मध्य) की और देखा (जनवरी 2019) कि निम्नांकित वर्णित **सारिणी 6.3**, की धनराशियाँ, लिपिकों द्वारा कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में प्राप्त की गयी तथा जिसे न तो रोकड़िया द्वारा संरक्षित सहायक रोकड़ बही/रोकड़ बही में अंकित किया गया और न ही कोषागार/बैंक में जमा किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि लिपिकों ने रोकड़िया को धनराशि प्राप्त करायी थी तथा उनके द्वारा संरक्षित पंजिका में रोकड़िया के हस्ताक्षर लिये गये थे। यद्यपि स0स0प0अ0 (प्रशासन), जो कि आ0वि0आ0 के उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, कोषागार स्क्रॉल से रोकड़ बही में अंकित राशियों की जाँच की गयी थी, वह पता करने में असफल रहे कि लिपिकों द्वारा प्राप्त की गयी धनराशियों को रोकड़ बही में अंकित नहीं किया गया और परिणामस्वरूप कोषागार/बैंक में जमा नहीं किया गया। जिसके कारण ₹ 9.48 लाख का गबन हो गया। विवरण **सारिणी –6.3** में दिया गया है।

सारणी 6.3

क्र0 सं0	कार्यालय में जमा धनराशि की तिथियाँ	रोकड़ अनुभाग द्वारा प्राप्तियों की धनराशि की तिथियाँ	धनराशि (₹ में)	प्राप्ति का विवरण/प्रकार
1	23–01–2018	23–01–2018	69,100	प्रवर्तन शाखा में जमा प्रशमन शुल्क
2	24–01–2018	24–01–2018	1,79,600	––तदैव––
3	25–01–2018	25–01–2018	42,450	––तदैव––
4	27–01–2018	अंकित नहीं	57,950	––तदैव––
5	29–01–2018	30–01–2018	56,100	––तदैव––
6	02–04–2018	02–04–2018	1,95,400	––तदैव––
7	16–05–2018	अंकित नहीं	1,91,500	––तदैव––
8	30–05–2018	अंकित नही	78,249	पटल पर हल्के निजी वाहनों के पंजीयन/कर/फीस के लिये जमा
9	01–06–2018	11–06–2018	41,200	प्रवर्तन शाखा में जमा प्रशमन शुल्क
10	07–06–2018	11–06–2018	36,500	––तदैव––
योग			**9,48,049**	

शासकीय प्राप्तियों के जमा न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 9.48 लाख का गबन स0स0प0अ0 (प्रशासन) की असफलता को दर्शाता है और अग्रेतर जाँच करने एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (फरवरी 2019)। उत्तर (जुलाई 2020) में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया और बताया कि ₹ 9.48 लाख राजस्व क्षति के सापेक्ष ₹ 10.78 लाख की वसूली को चालान के माध्यम

[8] मुख्य रोकड़ बही, सहायक रोबड़ बही, कोषागार चालान, व कोषागार मिलान शीटें।

से जमा कराया जा चुका है। विभाग ने आगे बताया कि गबन में सम्मिलित कर्मचारियों व अधिकारियों को निलम्बन के अधीन रखा गया है और उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही का अन्तिम निष्कर्ष प्रतीक्षित था (सितम्बर 2020)।

6.4 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित न किया जाना

निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित 557 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) बसों पर ₹ 4.98 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण न किया जाना।

राज्य परिवहन उपक्रम (रा0प0उ0) का कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 (28 अक्टूबर 2009 को यथा संशोधित) के अन्तर्गत, निर्धारित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। तथापि नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत संचालित रा0प0उ0 के वाहन अतिरिक्त कर के भुगतान से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा ने छः स0प0अ0 के अभिलेखों[9] की नमूना जाँच वर्ष 2018–19 के दौरान की, लेखापरीक्षा ने नगर निगम क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्दिष्ट मार्गों के साथ जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों के सूची की दुबारा जाँच की और यह देखा कि फरवरी 2017 एवं फरवरी 2019 की अवधि के मध्य में छः[10] राज्य परिवहन उपक्रम के अन्तर्गत 1,044 में से 557 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसें इन शहरों के निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित हो रहीं थीं, जिसके लिए वे ₹ 4.98 करोड़ के अतिरिक्त कर के भुगतान के दायी थे। सम्बन्धित स0प0अ0 ने इन बसों के मार्ग–सारणी की जाँच नहीं की, और इनके निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र जैसा कि नगर निगम द्वारा परिभाषित किया गया है, के बाहर संचालित होने पर संज्ञान लेने में विफल रहे। जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 4.98 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया, जैसा कि **सारणी–6.4** में वर्णित है।

सारणी–6.4

(₹ लाख में)

क्रम सं0	इकाई का नाम		रा0प0उ0 के अन्तर्गत बसों की संख्या	मामलों की संख्या जिसमें अनियमितता देखी गयी	आरोपणीय अतिरिक्त कर की अवधि	कुल अतिरिक्त कर
1	स0प0अ0	आगरा	170	36	02/17 से 08/18	33.52
2	स0प0अ0	कानपुर नगर	231	23	05/17 से 09/18	16.22
3	स0प0अ0	लखनऊ	260	179	07/17 से 11/18	139.60
4	स0प0अ0	मेरठ	126	104	02/18 से 01/19	82.94
5	स0प0अ0	प्रयागराज	127	113	02/17 से 09/18	115.50
6	स0प0अ0	वाराणसी	130	102	07/17 से 02/19	110.67
योग			**1,044**	**557**		**498.45**

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2018 एवं अप्रैल 2019 के मध्य)। उत्तर (जुलाई 2020) में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है और वसूली सुनिश्चित की जायेगी।

---

[9] वाहन डेटाबेस, मार्ग पत्रावलियाँ, नगर निगम की दर की सूची, आदि।

[10] आगरा मथुरा सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड, कानपुर सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड, लखनऊ सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड, मेरठ सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड, प्रयागराज सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड एवं वाराणसी सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड।

6.5 अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड का अनारोपण

राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा नियंत्रित व स्वामित्व वाली कोई भी सार्वजनिक सेवा यान उत्तर प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक संचालित नहीं किया जायेगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा सूचित कर के अलावा उसके सम्बंध में देय अतिरिक्त कर की अदायगी न कर दी गयी हो। उ0प्र0मो0वा0क0 नियमावली[11] के अंतर्गत, जहाँ कर या अतिरिक्त कर की अदायगी निर्दिष्ट अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है, तो देय कर/अतिरिक्त के पाँच प्रतिशत प्रति माह या उसके भाग के लिये, की दर से (लेकिन देय धनराशि से अधिक नहीं) अर्थदण्ड देय होगा। प्रमुख सचिव ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (उ0प्र0रा0स0प0नि0) को निर्देशित किया था (फरवरी 2006) कि संग्रहीत किया गया कुल देय अतिरिक्त कर सीधे ही कोषागार में जमा करेंगे और उ0प्र0रा0स0प0नि0 के मुख्यालय को मूल चालान तथा एक प्रति सम्बंधित स0प0अ0 को जमा करेंगे।

6.5.1 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों द्वारा अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड का अनारोपण

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर ₹ 9.48 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण।

लेखापरीक्षा ने स0प0अ0 लखनऊ के अभिलेखों[12] की नमूना जाँच की तथा देखा (दिसम्बर 2018) कि, लखनऊ शहर सेवा लिमिटेड लखनऊ द्वारा संचालित 138 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों के संम्बध में, अक्टूबर 2009 से जून 2013 तक की अवधि का ₹ 9.48 करोड़ का अतिरिक्त कर देय था। यह धनराशि 87 से 107 माहों के विलम्ब से भुगतान (31 अगस्त 2018) की गयी थी। विभाग ने इन 138 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों से अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड ₹ 9.48 करोड़ का आरोपण व वसूली नहीं किया।

6.5.2 उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों द्वारा अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों पर अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर ₹ 4.46 करोड़ का अर्थदण्ड का अनारोपण।

लेखापरीक्षा ने मई 2017 से फरवरी 2019 की अवधि में आठ स0प0अ0/स0स0प0अ0 के अभिलेखों[13] की नमूना जाँच की और देखा (अक्टूबर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) कि उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों के जाँच किये गये सभी 3,652 मामलों में, उ0प्र0रा0स0प0नि0 ने देय तिथि के उपरांत अतिरिक्त कर जमा किया था। विभाग एक माह से तीन माह की विलम्ब की अवधि हेतु उ0प्र0रा0स0प0नि0 के अन्तर्गत संचालित बसों पर अतिरिक्त कर के भुगतान पर अर्थदण्ड ₹ 4.46 करोड़ (जैसा कि **परिशिष्ट–XIX** में दर्शाया गया है) का आरोपण करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2018 एवं अप्रैल 2019 के मध्य)। उत्तर (जुलाई 2020) में, विभाग ने बताया कि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 की धारा 9 के अन्तर्गत अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड के देय तिथि के आगणन के लिये कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उ0प्र0रा0स0प0नि0 के सम्बंध में उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम 1997 की धारा 9(3) के अन्तर्गत, अर्थदण्ड के स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जा सकता।

---

[11] उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 6(1) के साथ नियम 9 व 24 पढ़ा जाय।

[12] वाहन डेटाबेस, मार्ग पत्रावलियाँ आदि।

[13] वाहन डेटाबेस, उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों का मासिक जमा स्क्रॉल, जमा चालान आदि।

विभाग का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 9(3), सपठित उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली, 1998 के नियम 24 में, कर/अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड के आरोपण किये जाने हेतु देय कर/अतिरिक्त कर के 5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से स्पष्ट प्रावधान है। उपर्युक्त वर्णित प्रावधान सार्वभौमिक रूप से लागू होता है और निगम के लिये कोई अपवाद का प्रावधान नहीं है। अग्रेतर, परिवहन आयुक्त ने विशेष रूप से उ0प्र0रा0स0प0नि0 को अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड के आगणन विधि को स्पष्ट करने हेतु समय–समय पर पत्र निर्गत किये थे, जो कि स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि यदि कर या अतिरिक्त कर प्रत्येक कलेण्डर माह के 15वीं तारीख के बाद भुगतान किया जाता है तो, उपर्युक्त वर्णित प्रावधान के अनुसार अर्थदण्ड का भुगतान देय कर/अतिरिक्त कर के पाँच प्रतिशत की दर से करना होगा।

संस्तुतिः

विभाग जे0एन0एन0यू0आर0एम0/उ0प्र0रा0स0प0नि0 के अन्तर्गत संचालित व्यतिक्रमी वाहनों से राजस्व संग्रहण के आवधिक समीक्षा की अनुश्रवण हेतु प्रणाली लागू कर सकता है और अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे।

6.6 राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण न किया जाना

राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण कराये बिना सड़क पर संचालित पाये गये 778 माल वाहनों से समेकित एवं प्राधिकार फीस की धनराशि ₹ 1.36 करोड़ की वसूली न किया जाना।

मो0वा0 अधिनियम[14] के अर्न्तगत एक अस्थायी परमिट के अतिरिक्त पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगी। के0मो0वा0 नियमावली[15] के अनुसार, राष्ट्रीय परमिट का प्राधिकार एक वर्ष के लिए है। परिवहन आयुक्त के आदेशों (फरवरी 2000) के अनुसार, सम्बन्धित प्राधिकारी परमिट धारक को प्राधिकार समाप्ति के 15 दिनों के भीतर नोटिस जारी करेगा और उससे स्पष्टीकरण की मांग करेगा कि क्यों न प्राधिकार का नवीकरण न कराये जाने के मामले में उनका परमिट रद्द कर दिया जाय तथा निर्धारित समय के भीतर स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर परमिट रद्द कर देगा। राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार हेतु समेकित फीस ₹ 16,500[16] वार्षिक के साथ आवेदन फीस की धनराशि ₹ 1,000 शासकीय खाते में जमा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने आठ स0प0अ0 के अभिलेखों[17] की नमूना जाँच (मई 2017 एवं जनवरी 2019 के मध्य) की और देखा कि राष्ट्रीय परमिट से आच्छादित 6,084 माल वाहनों में से 778 परमिट की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण कराये बिना, मार्गों पर संचालित (मई 2017 से जनवरी 2019) हो रहे थे। यह सभी सूचनाएं जैसे प्राधिकार समाप्ति की तिथि, भुगतान किया गया कर तथा राष्ट्रीय परमिट धारक वाहनों के अन्य विवरण वाहन डेटाबेस पर उपलब्ध थे। इसके बावजूद, विभाग द्वारा इन मामलों का पता नहीं लगाया गया। स0प0अ0 ने भी इन परमिट धारकों को नोटिस जारी करने व परमिट रद्द करने की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप, समेकित फीस एवं प्राधिकार फीस की धनराशि ₹ 1.36 करोड़ की वसूली नहीं की गई (**परिशिष्ट–XX**)।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2018 एवं अप्रैल 2019 के मध्य)। उत्तर (जुलाई 2020) में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण के 778 वाहनों में से 767 के ₹ 1.34 करोड़ धनराशि के लेखापरीक्षा द्वारा प्रतिवेदित मामलों को स्वीकार किया।

---

[14] मो0वा0 अधिनियम की धारा–81।

[15] के0मो0वा0 नियमावली का नियम 87(3)।

[16] सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भा0स0 के आदेश सं0 आर टी–16031/6/2010–टी दिनांक 02 अप्रैल 2012।

[17] राष्ट्रीय परिमिट वाहन का डेटाबेस, सम्बंधित पत्रावलियाँ आदि।

इनमें से विभाग द्वारा 549 वाहनों के मामले में, ₹ 94 लाख की वसूली प्रतिवेदित की गयी। अवशेष 218 वाहनों के मामलों में, निहित कर की धनराशि ₹ 40.32 लाख में, विभाग ने बताया कि वाहन मालिकों को वसूली नोटिस निर्गत किये जा चुके हैं।

तथापि, विभाग ने 11 मामलो में निहित धनराशि ₹ 1.92 लाख तर्कसंगत नहीं माना तथा बताया कि ये सभी वाहन मालिक राष्ट्रीय परमिट निरस्त कराकर सम्पूर्ण उ0प्र0 का परमिट लिये हुये थे और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन0ओ0सी0) लेकर अन्यत्र संचालित हो रहे थे। तथापि, इन 11 वाहनों के सम्बंध में कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

संस्तुतिः

विभाग राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार पर नजर रखने के लिये वाहन डेटाबेस का उपयोग करते हुये मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है।

(जयंत सिन्हा)
प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-II),
उत्तर प्रदेश

लखनऊ
दिनांक 18 जनवरी 2021

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 27 जनवरी JAN 2021

परिशिष्टियाँ

परिशिष्ट -I

आबकारी सामग्री के उपभोग की मात्रा छिपाने के कारण राजस्व एवं उस पर ब्याज की वसूली न होना

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 2.3)

आबकारी पदार्थ के प्रकार	वित्तीय वर्ष	इकाई	आ0वि0रि0 के अनुसार उपभोग	आबकारी विभाग के अनुसार उपभोग	अन्तर (स्तम्भ 4–स्तम्भ 5)	न्यूनतम प्रतिशत[1]	एफ0एस[2]0 की मात्रा (टी0आर0 एस0 का 88 प्रतिशत) (कुन्तल में) (स्तम्भ 6 x स्तम्भ 7/100 x 88/100)	अल्कोहल[3] की मात्रा ए0एल0 में शीरे एवं माल्ट के लिए [{(स्तम्भ 8 x 52.5) . शेष मदों के लिए {(स्तम्भ 6 x स्तम्भ 7/100)}]	अल्कोहल की मात्रा बी0एल[4]0 में (42.8 प्रतिशत वी/वी) (स्तम्भ 9/42.8 x 100)	अल्कोहल की मात्रा बी0एल0 में (42.8 प्रतिशत वी/वी) 0.4 प्रतिशत[5] *संचय छीजन की छूट के पश्चात* (स्तम्भ 10 x 99.6 प्रतिशत)	प्रतिफल शुल्क की दर बी0एल0 के अनुसार	सन्निहित आबकारी राजस्व (लाख ₹ में) (स्तम्भ 11 x स्तम्भ 12)	भुगतान की देय तिथि	30.06.20 तक बिलम्ब की अवधि माह में	30.06.20 तक देय ब्याज (लाख ₹ में) {(स्तम्भ 13x1.5 प्रतिशत) x स्तम्भ 15}	योग (लाख ₹ में) (स्तम्भ 13+ स्तम्भ 16)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
शीरा	2014–15	क्विटंल	970382	955960	14422	40.80	5178.07	271848.93	635161.05	632620.41	288	1821.95	31–03–2015	63	1721.74	3543.69
शीरा	2015–16	क्विटंल	1170100	1154520	15580	42.30	5799.50	304473.71	711387.17	708541.62	332	2352.36	31–03–2016	51	1799.55	4151.91
शीरा	2016–17	क्विटंल	1248841	1176292	72549	40.90	26111.84	1370871.39	3202970.55	3190158.67	400	12760.63	31–03–2017	39	7464.97	20225.61
माल्ट	2014–15	क्विटंल	25720	24762	958	57.60	485.64	25496.19	59570.54	59332.26	288	170.88	31–03–2015	63	161.48	332.36
माल्ट	2016–17	क्विटंल	96760	96758	2	57.60	0.91	47.90	111.92	111.47	400	0.45	31–03–2017	39	0.26	0.71
ईएनए/ग्रेन स्प्रिट	2013–14	बी/एल	39662275	28280745	11381530	94.00	आवश्यक नहीं	10698638.63	24996819.23	24896831.96	250	62242.08	31–03–2014	75	70022.34	132264.42
ईएनए/ग्रेन स्प्रिट	2014–15	बी/एल	35542661	35425165	117496	94.00	आवश्यक नहीं	110446.15	258051.74	257019.54	288	740.22	31–03–2015	63	699.5	1439.72
आर एस	2014–15	बी/एल	165591	164543	1048	93.00	आवश्यक नहीं	974.64	2277.20	2268.09	288	6.53	31–03–2014	75	7.35	13.88
ईएनए/ग्रेन स्प्रिट/आरएस	2015–16	बी/एल	33577543	33459382	118161	94.00	आवश्यक नहीं	111071.39	259512.59	258474.54	332	858.14	31–03–2016	51	656.47	1514.61
ईएनए/ग्रेन स्प्रिट/आरएस	2016–17	बी/एल	36399843	36319442	80401	94.00	आवश्यक नहीं	75576.62	176580.89	175874.57	400	703.5	31–03–2017	39	411.55	1115.04
माल्ट स्प्रिट	2014–15	बी/एल	37352	37187	165	61.00	आवश्यक नहीं	100.73	235.35	234.41	288	0.68	31–03–2015	63	0.64	1.31
माल्ट स्प्रिट	2015–16	बी/एल	21998	21861	137	65.00	आवश्यक नहीं	89.05	208.06	207.23	332	0.69	31–03–2016	51	0.53	1.21
योग			**148919066**	**137116617**	**11802449**			**12969635.33**	**30302886.28**	**30181674.74**		**81658.11**			**82946.38**	**164604.47**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

1 टी0आर0एस0/शीरे में विद्यमान अल्कोहल/माल्ट/ईएनए/ग्रेन स्प्रिट/आरएस/माल्ट स्प्रिट।

2 24 मई 1995 के आबकारी आयुक्त के परिपत्र के अनुसार कुल अपचायक शर्करा (टी0आर0एस0) में न्यूनतम 88 प्रतिशत किण्वीय शर्करा (एफ0एस0) मौजूद होता है।

3 उत्तर प्रदेश आबकारी मैनुअल के नियम 710 में प्रावधान है कि एक क्विटंल किण्वीय शर्करा में न्यूनतम 52.5 एल्कोहलिक लीटर (ए0एल0) अल्कोहल उत्पन्न होता है।

4 किसी भी प्रकार की कमियों पर प्रतिफल शुल्क बल्क लीटर (बी0एल0) में लागू होता है जिसकी तीव्रता 42.8 प्रतिशत वी/वी (आयतन दर आयतन) हो।

5 उत्तर प्रदेश आबकारी मैनुअल के नियम 813 में प्रावधान है कि शोधित आसव में किसी प्रकार की कमियों पर अधिकतम 0.4 प्रतिशत छीजन अनुमन्य है।

परिशिष्ट-II

दुकानों के व्यवस्थापन को निरस्त करने एवं बेसिक अनुज्ञापन शुल्क (बे0अ0शु0)/अनुज्ञापन शुल्क(अ0शु0) तथा प्रतिभूति जमा का समपहरण किये जाने में विफलता

(*सन्दर्भ प्रस्तर सं0 2.4*)

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
15 दिनों तक विलम्ब												
1	जि0आ0का0 आगरा	2018–19	देशी मदिरा	316	162	29	01 से 09	01 से 15	01 से 15	3192566	0	3192566
		2018–19	विदेशी मदिरा	224	142	31	03 से 09	06 से 13	03 से 13	4336500	0	4336500
		2018–19	बीयर	202	120	34	03 से 09	02 से 14	02 से 14	2282000	0	2282000
2	जि0आ0का0 अलीगढ़	2018–19	विदेशी मदिरा	102	48	02	06	09	06 से 09	648500	0	648500
		2018–19	बीयर	105	56	03	06	12	06 से 12	372000	0	372000
		2018–19	मॉडल शॉप	11	09	01	06	09	06 से 09	467000	0	467000
3	जि0आ0का0 इलाहाबाद	2018–19	देशी मदिरा	421	120	18	08 से 09	03 से 09	03 से 09	2974405	457000	3431405
		2018–19	विदेशी मदिरा	197	90	12	01 से 09	04 से 15	01 से 15	1487000	5000	1492000
		2018–19	बीयर	173	88	29	01 से 09	02 से 15	01 से 15	1270500	1500	1272000
4	जि0आ0का0 बरेली	2018–19	देशी मदिरा	357	69	06	01 से 09	05 से 09	01 से 09	486632	0	486632
		2018–19	विदेशी मदिरा	89	41	05	06 से 09	03 से 12	06 से 12	419000	0	419000
		2018–19	बीयर	71	21	01	04	10	04 से 10	8500	0	8500
		2018–19	मॉडल शॉप	09	06	01	09	09	09	177500	0	177500
5	जि0आ0का0 बुलन्दशहर	2018–19	देशी मदिरा	203	53	03	02 से 09	05 से 13	02 से 13	1540706	600000	2140706
		2018–19	विदेशी मदिरा	93	35	03	06 से 08	10 से 13	06 से 13	898000	0	898000
		2018–19	बीयर	102	38	02	06	05 से 09	05 से 09	144000	0	144000
6	जि0आ0का0 गाजीपुर	2018–19	देशी मदिरा	206	125	03	04 से 09	07 से 15	04 से 15	2085675	0	2085675
		2018–19	विदेशी मदिरा	82	42	09	01 से 09	07 से 15	01 से 15	3091000	0	3091000
		2018–19	बीयर	72	32	02	09	15	09 से 15	146000	0	146000

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
7	जि0आ0का0 गोरखपुर	2017–18	देशी मदिरा	280	61	01	14	12	12 से 14	305375	531006	836381
		2018–19	विदेशी मदिरा	115	27	01	13	07	07 से 13	290000	0	290000
		2018–19	बीयर	107	28	01	0	14	14	680000	0	680000
8	जि0आ0का0 मुजफ्फरनगर	2018–19	देशी मदिरा	161	59	04	01 से 09	07 से 11	01 से 11	829577	0	829577
		2018–19	विदेशी मदिरा	67	29	03	09	07 से 09	07 से 09	391000	0	391000
		2018–19	बीयर	63	22	04	05 से 09	04 से 08	04 से 08	238500	0	238500
9	जि0आ0का0 शाहजहाँपुर	2018–19	देशी मदिरा	188	35	02	03 से 06	13	03 से 13	36960	0	36960
		2018–19	विदेशी मदिरा	55	30	15	03 से 13	06 से 11	03 से 13	3320000	0	3320000
	योग			**4071**	**1588**	**225**			**01 से 15**	**32118896**	**1594506**	**33713402**
16 दिनों से 30 दिनों के मध्य विलम्ब												
*	जि0आ0का0 आगरा	2018–19	देशी मदिरा	0	0	07	08 से 09	16 से 30	30 तक	1052351	0	1052351
		2018–19	विदेशी मदिरा	0	0	05	08 से 09	16 से 28	28 तक	1095500	0	1095500
		2018–19	बीयर	0	0	03	06 से 09	16 से 28	28 तक	325000	0	325000
*	जि0आ0का0 अलीगढ़	2018–19	विदेशी मदिरा	0	0	05	08 से 09	23 से 30	30 तक	1217500	0	1217500
*	जि0आ0का0 इलाहाबाद	2018–19	देशी मदिरा	0	0	06	08 से 09	02 से 25	25 तक	1322194	0	1322194
		2018–19	विदेशी मदिरा	0	0	17	01 से 09	16 से 24	24 तक	1041500	0	1041500
		2018–19	बीयर	0	0	11	05 से 09	16 से 29	29 तक	309000	0	309000
*	जि0आ0का0 बरेली	2018–19	देशी मदिरा	0	0	06	09	20	20 तक	179795	0	179795
		2018–19	बीयर	0	0	01	08	27	27 तक	39000	0	39000
*	जि0आ0का0 बुलन्दशहर	2018–19	देशी मदिरा	0	0	02	02 से 08	16 से 18	18 तक	320747	0	320747
		2018–19	विदेशी मदिरा	0	0	02	08 से 09	10 से 16	16 तक	432500	0	432500
		2018–19	बीयर	0	0	01	08	22	22 तक	30500	0	30500
*	जि0आ0का0 गाजीपुर	2018–19	देशी मदिरा	0	0	05	03 से 09	22 से 30	30 तक	1534438	200000	1734438
		2018–19	विदेशी मदिरा	0	0	05	01 से 09	21 से 30	30 तक	512500	0	512500
		2018–19	बीयर	0	0	11	01 से 09	22 से 30	30 तक	1126500	0	1126500

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
*	जि0आ0का0 गोरखपुर	2017–18	देशी मदिरा	0	0	02	17 से 20	12 से 17	20 तक	0	278800	278800
		2018–19	देशी मदिरा	280	49	03	16 से 27	22 से 30	30 तक	350919	0	350919
		2018–19	विदेशी मदिरा	0	0	05	14 से 22	12 से 30	30 तक	1618000	0	1618000
		2018–19	बीयर	0	0	05	13 से 28	15 से 25	28 तक	308500	0	308500
		2018–19	मॉडल शॉप	12	12	03	18 से 30	16 से 24	30 तक	837000	0	837000
*	जि0आ0का0 मुजफ्फरनगर	2018–19	देशी मदिरा	0	0	05	09	04 से 24	24 तक	988546	0	988546
		2018–19	बीयर	0	0	01	09	04 से 24	24 तक	74000	0	74000
10	जि0आ0का0 सहारनपुर	2018–19	देशी मदिरा	153	125	01	04	22	22 तक	19959	0	19959
*	जि0आ0का0 शाहजहाँपुर	2018–19	देशी मदिरा	0	0	04	06 से 09	18 से 29	29 तक	497750	0	497750
		2018–19	विदेशी मदिरा	0	0	02	09	16 से 22	22 तक	128500	0	128500
योग				**445**	**186**	**118**			**30** तक	**15362199**	**478800**	**15840999**
30 दिनों से अधिक विलम्ब												
*	जि0आ0का0 आगरा	2018–19	देशी मदिरा	0	0	08	08 से 179	06 से 158	179 तक	2075169	0	2075169
		2018–19	विदेशी मदिरा	0	0	04	07 से 09	71 से 171	171 तक	220000	0	220000
		2018–19	बीयर	0	0	03	06 से 08	41 से 98	98 तक	252000	0	252000
*	जि0आ0का0 अलीगढ़	2018–19	देशी मदिरा	224	58	03	08	31 से 58	58 तक	429406	0	429406
		2018–19	विदेशी मदिरा	0	0	05	08	31 से 60	60 तक	1517000	0	1517000
		2018–19	बीयर	0	0	04	08	33 से 46	46 तक	241500	0	241500
		2018–19	मॉडल शॉप	0	0	01	08	31	31 तक	467000	0	467000
*	जि0आ0का0 इलाहाबाद	2017–18	देशी मदिरा	421	86	55	09 से 272	02 से 274	274 तक	9182175	42510070	51692245
		2018–19	देशी मदिरा	0	0	09	01 से 275	07 से 126	275 तक	2568624	457000	3025624
		2018–19	विदेशी मदिरा	0	0	01	08	65	65 तक	38000	0	38000
		2018–19	बीयर	0	0	07	01 से 09	56 से 139	139 तक	429500	0	429500

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	इकाई का नाम	वर्ष	दुकानों का प्रकार	दुकानों की संख्या	जाँच की गयी दुकानों की संख्या	दुकानों की संख्या जिसमें आपत्ति पायी गयी	बे0अ0शु0/अ0शु0 के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की अवधि दिनों में	बे0अ0शु0/अ0शु0 एवं प्रतिभूति जमा के विलम्ब से जमा की सम्पूर्ण अवधि दिनों में	सम्पहृत किये जाने योग्य बेसिक अनुज्ञापन शुल्क/अनुज्ञापन शुल्क	सम्पहृत किये जाने योग्य प्रतिभूति जमा	सम्पहृत किये जाने योग्य सम्पूर्ण धनराशि
*	जि0आ0का0 बरेली	2018–19	देशी मदिरा	0	0	04	09 से 46	20 से 120	120 तक	967206	0	967206
		2018–19	विदेशी मदिरा	0	0	02	01 से 09	38 से 71	71 तक	620500	0	620500
		2018–19	मॉडल शॉप	0	0	01	04	66	66 तक	177500	0	177500
*	जि0आ0का0 बुलन्दशहर	2018–19	देशी मदिरा	0	0	01	0 से 0	0 से 51	51 तक	3316320	0	3316320
		2018–19	बीयर	0	0	01	08 से 28	31	31 तक	7000	0	7000
*	जि0आ0का0 गाजीपुर	2017–18	देशी मदिरा	205	55	15	05 से 49	105 से 138	138 तक	1096000	18818263	19914263
		2018–19	देशी मदिरा	0	0	10	01 से 09	09 से 142	142 तक	3263201	0	3263201
		2018–19	विदेशी मदिरा	0	0	01	06	114	114 तक	499950	0	499950
		2018–19	बीयर	0	0	04	01 से 09	15 से 142	142 तक	38500	0	38500
*	जि0आ0का0 गोरखपुर	2017–18	देशी मदिरा	0	0	07	17 से 214	12 से 131	214 तक	0	4885626	4885626
		2018–19	देशी मदिरा	0	0	15	14 से 34	07 से 151	151 तक	2290882	0	2290882
		2018–19	बीयर	0	0	05	35	17 से 24	35 तक	227000	0	227000
		2018–19	मॉडल शॉप	0	0	05	18 से 37	17 से 154	154 तक	1472500	0	1472500
*	जि0आ0का0 मुजफ्फरनगर	2018–19	देशी मदिरा	0	0	05	06 से 09	04 से 42	42 तक	1788393	0	1788393
*	जि0आ0का0 सहारनपुर	2018–19	देशी मदिरा	0	0	05	02 से 92	33 से 61	92 तक	1276961	60268	1337229
*	जि0आ0का0 शाहजहाँपुर	2018–19	देशी मदिरा	0	0	14	01 से 150	10 से 219	219 तक	1404796	0	1404796
		2018–19	विदेशी मदिरा	0	0	01	03	37	37 तक	334500	0	334500
		2018–19	मॉडल शॉप	01	01	01	03	169	169 तक	467000	0	467000
योग				**851**	**200**	**197**			**275** तक	**36668583**	**66731227**	**103399810**
महायोग				**5367**	**1974**	**540**	**1** से **275**	**1** से **274**	**1** से **275**	**84149678**	**68804533**	**152954211**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–III

आबकारी नीति 2018–19 में विसंगति के कारण अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क की हानि

(*संदर्भ प्रस्तर सं0 2.5*)

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	ब्राण्ड का नाम	भा0नि0वि0म0 की श्रेणी	के द्वारा प्रेक्षण	धारिता एम0एल0 में	ई0डी0पी0 (प्रति बोतल)	प्रतिफल शुल्क (प्रति बोतल)	थोक विक्रेता का मार्जिन	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	एम0आर0पी0 बिना राउन्ड किये (6+7+8+9)	एम0आर0पी0 जो कि अगले दस रूपये में राउन्ड किया गया	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (11–10)	शुद्ध प्रतिफल शुल्क (7+12)	प्रतिफल शुल्क का कम आरोपण (प्रति 180 एम0एल0 बोतल)	प्रेषित मात्रा बोतलों में	कम आरोपित अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (14X15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	मैकडावेल्स नं0 1 प्लैटीनम डिलक्स व्हिस्की	रेगुलर	विभाग	750	141.30	377.28	7.96	89.13	615.67	620	4.33	381.61			
				180	36.08	90.55	1.91	21.39	149.93	150	0.07	90.62			
			लेखापरीक्षा	180	**34.63**	90.55	1.91	21.39	**148.48**	150	**1.52**	**92.07**	**1.45**	**11,84,784**	**17,17,937**
2	मैकडावेल्स नं0 1 सिलेक्ट व्हिस्की	मीडियम	विभाग	750	82.69	327.81	6.32	76.54	493.36	500	6.64	334.45			
				180	21.42	78.67	1.52	18.37	119.98	120	0.02	78.69			
			लेखापरीक्षा	180	**20.57**	78.67	1.52	18.37	**119.12**	120	**0.88**	**79.55**	**0.86**	**2,00,29,872**	**1,72,25,690**
3	रॉयल चैलेन्ज क्लासिक प्रीमियम व्हिस्की	मीडियम	विभाग	750	122.57	360.51	7.43	84.51	575.02	580	4.98	365.48			
				180	31.39	86.52	1.78	20.28	139.97	140	0.03	86.55			
			लेखापरीक्षा	180	**30.14**	86.52	1.78	20.28	**138.73**	140	**1.27**	**87.80**	**1.24**	**1,07,24,352**	**1,32,98,196**
4	सिग्नेचर रेयर ऐज्ड व्हिस्की	रेगुलर	विभाग	750	189.47	417.26	9.31	93.95	709.99	710	0.01	417.27			
				180	48.12	100.14	2.23	22.55	173.04	180	6.96	107.10			
			लेखापरीक्षा	180	**46.19**	100.14	2.23	22.55	**171.12**	180	**8.88**	**109.03**	**1.92**	**4,39,632**	**8,44,093**

(धनराशि ₹ में)

क्रम संख्या	ब्राण्ड का नाम	भा0नि0वि0 म0 की श्रेणी	के द्वारा प्रेक्षण	धारिता एम0एल0 में	ई0डी0पी0 (प्रति बोतल)	प्रतिफल शुल्क (प्रति बोतल)	थोक विक्रेता का मार्जिन	फुटकर विक्रेता का मार्जिन	एम0आर0पी0 बिना राउन्ड किये (6+7+8+9)	एम0आर0पी0 जो कि अगले दस रूपये में राउन्ड किया गया	अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (11–10)	शुद्ध प्रतिफल शुल्क (7+12)	प्रतिफल शुल्क का कम आरोपण (प्रति 180 एम0एल0 बोतल)	प्रेषित मात्रा बोतलों में	कम आरोपित अतिरिक्त प्रतिफल शुल्क (14X15)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	सिग्नेचर प्रीमियम ग्रेन व्हिस्की	रेगुलर	विभाग	750	234.40	454.55	10.56	98.44	797.95	800	2.05	456.60			
				180	59.35	109.09	2.53	23.63	194.60	200	5.40	114.49			
			लेखापरीक्षा	180	**56.98**	109.09	2.53	23.63	**192.22**	200	**7.78**	**116.87**	**2.37**	**8,33,664**	**19,75,784**
6	एन्टीक्युटी ब्लू अल्ट्रा प्रीमियम व्हिस्की	रेगुलर	विभाग	750	250.00	467.50	11.00	100.00	828.50	830	1.50	469.00			
				180	63.25	112.20	2.64	24.00	202.09	210	7.91	120.11			
			लेखापरीक्षा	180	**60.72**	112.20	2.64	24.00	**199.56**	210	**10.44**	**122.64**	**2.53**	**14,01,648**	**35,46,169**
7	कैप्टन मार्गन सेलेक्ट–दी ओरिजनल रम	मीडियम	विभाग	750	122.57	360.51	7.43	84.51	575.02	580	4.98	365.48			
				180	31.39	86.52	1.78	20.28	139.97	140	0.03	86.55			
			लेखापरीक्षा	180	**30.14**	86.52	1.78	20.28	**138.73**	140	**1.27**	**87.80**	**1.24**	**12,13,824**	**15,05,142**
योग													**0.86 से 2.53**	**3,58,27,776**	**4,01,13,012**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

नोट– (1) आबकारी नीति के अनुसार, 180 एम0एल0 बोतल के ई0डी0पी0 की गणना 750 एम0एल0 बोतल के ई0डी0पी0 में ₹ तीन जोड़ने के पश्चात की जाती है।

(2) प्रतिफल शुल्क (प्रति 750 एम0एल0 बोतल) – रेगुलर – ₹ 260 + ई0डी0पी0 का 83 प्रतिशत
मीडियम – ₹ 260+ ई0डी0पी0 का 82 प्रतिशत

(3) थोक विक्रेता का मार्जिन – रेगुलर/मीडियम – ₹ 4 + ई0डी0पी0 का 2.80 प्रतिशत

(4) फुटकर विक्रेता का मार्जिन – रेगुलर – ₹ 75 + ई0डी0पी0 का 10 प्रतिशत
मीडियम – ₹ 60 + ई0डी0पी0 का 20 प्रतिशत

परिशिष्ट–IV
कर की गलत दर का लगाया जाना
(*सन्दर्भ प्रस्तर सं0 3.4*)

(₹ लाख में)

क्र सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	वस्तुओं का मूल्य	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
1	डि0क0 खण्ड 19 वा0क0 आगरा	1	2015–16 (नवम्बर 2017)	हैलोजन लैम्प्स	36.07	14	5	3.25
2	ज्वा0क0(का0स0) I वा0क0 गाजियाबाद	1	2014–15 (अप्रैल 2017)	पुराने प्लांट व मशीनरी, आफिस इक्यूपमेंट, फर्नीचर एवं फिक्सचर	172.83	5	0	8.64
3	डि0क0 खण्ड 1 वा0क0 गाजियाबाद	1	2015–16 (मार्च 2018)	ए0सी0रिमोट, आडियो वीडियो लीड	34.54	14	5	3.11
4	डि0क0 खण्ड 5 वा0क0 गाजियाबाद	1	2014–15 (फरवरी 2018)	मेटल लेबल	31.51	14	5	2.84
		1	2014–15 (मई 2017)	पोल्ट्री इक्विपमेंन्ट	30.15	14	5	2.71
		1	2014–15 (नवम्बर 2017)	एडहेसिव	1576.28	14	5	141.87
5	डि0क0 खण्ड 18 वा0क0 गाजियाबाद	1	2014–15 (मार्च 2018)	वुड	31.27	14	5	2.81
		1	2013–14 (मार्च 2018)	डीजल इंजन पार्ट्स	20.24	14	5	1.82
			2014–15 (मार्च 2018)	डीजल इंजन पार्ट्स	17.37	14	5	1.56
6	डि0क0 खण्ड 29 वा0क0 कानपुर	1	2014–15 (जुलाई 2017)	पुराने वेहिकिल्स	24.69	5	0	1.23
			2015–16 (सितम्बर 2017)	पुराने वेहिकिल्स	37.11	5	0	1.86
7	डि0क0 खण्ड 12 वा0क0 लखनऊ	1	2014–15 (जनवरी 2018)	मार्केटिंग मैटेरियल प्लानर, स्कूल बैग, सी0डी0, डी0वी0डी0	88.49	5	0	4.42
8	डि0क0 खण्ड 21 वा0क0 लखनऊ	1	2014–15 (दिसम्बर 2017)	मोबाइल एसेसरीज	32.98	14	5	2.97

(₹ लाख में)

क्र सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम	वस्तुओं का मूल्य	आरोपणीय कर की दर (प्रतिशत)	आरोपित कर की दर (प्रतिशत)	कम आरोपित कर
9	ज्वा0क0(का0स0) वा0क0 मुजफ्फरनगर	1	2014–15 (मार्च 2018)	डस्ट टोबेको, निकोटिन गम, टेल्कम पाउडर	144.79	14	5	13.03
10	डि0क0 खण्ड 8 वा0क0 वाराणसी	1	2014–15 (मार्च 2018)	ई–रिक्शा	16.67	14	5	1.50
			2015–16 (मार्च 2018)	ई–रिक्शा	12.15	14.5	5	1.15
योग		**13**			**2307.14**			**194.77**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट-V

फार्म 'सी' के विरूद्ध क्रय किये गये माल पर अनियमित रियायत की अनुमन्यता

(*सन्दर्भ प्रस्तर सं0 3.5*)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह व वर्ष)	वस्तु का नाम जो पंजीयन प्रमाणपत्र से आच्छादित नहीं है	क्रय की धनराशि	कर की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय अर्थदण्ड की दर (प्रतिशत)	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि0क0 खण्ड 7 वा0क0 इलाहाबाद	1	2011–12 (जुलाई 2014)	टायर एण्ड ट्यूब	20.07	13.5	20.25	4.06
2	ज्वा0क0(का0स0) वा0क0 रेंज बी जी0बी0 नगर	1	2014–15 (अगस्त 2017)	एम0 एस0 आफिस	18.59	5	7.5	1.39
			2015–16 (फरवरी 2018)	स्पिलिट ए0सी0, सी0सी0टी0वी0, टावर ए0सी0, मोबाइल टर्मिनल	17.76	14	21	3.73
		1	2014–15 (मई 2017)	एड्हेसिव, बैटरी	23.60	14	21	4.96
			2015–16 (नवम्बर 2017)	एड्हेसिव	1.41	14.5	21.75	0.31
3	डि0क0 खण्ड 2 वा0क0 जी0 बी0 नगर	1	2014–15 (फरवरी 2018)	बिल्डिंग मैटेरियल	16.23	5	7.5	1.22
4	डि0क0 खण्ड 9 वा0क0 गाजियाबाद	1	2014–15 (अगस्त 2017)	पेवर	20.53	14	21	4.31
5	डि0क0 खण्ड 5 वा0क0 कानपुर	1	2014–15 (दिसम्बर 2017)	प्लाईवुड	13.00	14	21	2.73
6	डि0कमि0 खण्ड 18 लखनऊ	1	2014–15 (मार्च 2018)	63 के॰वी॰ए॰ टी॰/एफ॰, इलेक्ट्रिकल आइटम्स, एच॰बी॰एल॰ सेल 110वी॰–200ए॰एच॰ बैटरी सेट, एक्साइड निर्मित बैटरी	757.90	14	21	159.16
				हैंडहेल्ड कम्प्यूटर्स (सी॰एम॰आर॰आई॰), टी॰ वी॰एन॰ 02 3पी॰एच॰ 110 वी॰ 1ए॰, 145 के॰वी॰ 40के॰ए॰1250ए॰,एस॰एफ॰6, सर्किट ब्रेकर, एस॰एफ॰–6 गैस, मीटर्स, 33 के॰वी॰ सी॰टी॰, 120के॰वी॰ लाइटिंग ऐरेस्टर	334.70	5	7.5	25.10
7	ज्वा0क0(का0स0) वा0क0 मुजफ्फरनगर	1	2013–14 (सितम्बर 2017)	फ्यूल डिवाइस, गैसीफायर, एयर कन्डीशनर, कूलिंग टावर	70.32	14	21	14.77
8	डि0क0 खण्ड 1 वा0क0 नोएडा	1	2014–15 (फरवरी 2018)	ग्रेन्युलर एक्टिवेटड कार्बन	23.33	5	7.5	1.75
				ग्लास फार कैलिब्रेशन, रेन हुड और स्क्वायर डक्ट	2.14	14	21	0.45
9	डि0कमि0 खण्ड 14 वा0क0 नोएडा	1	2014–15 (मार्च 2017)	कम्प्यूटर चेयर्स,फिक्सचर्स, सिक्योरिटी सिस्टम्स, डी जी सेट्स और ए॰एच॰यू॰	112.54	14	21	23.63
योग		**10**			**1432.12**			**247.57**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट-VI
व्यापारियों को अननुमन्य आई0टी0सी0 की अनुमन्यता
(*सन्दर्भ प्रस्तर सं0 3.6*)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	आई0टी0सी0 की धनराशि की अनियमित अनुमन्यता	अननुमन्यता का कारण	ब्याज की अवधि (दिन)	आरोपणीय ब्याज
1	ज्वा0क0 (का0स0) वा0क0 आगरा	1	2015–16 (मई 2017)	146.16	व्यापारी द्वारा की गयी खरीद सत्यापित नहीं हुई	01.10.2015 से 05.03.2019 (1252)	75.20
2	डि0क0 वा0क0 सिकन्दराबाद बुलन्दशहर	1	2014–15 (फरवरी 2018)	7.01	करमुक्त माल की खरीद पर आई0टी0सी0 का दावा किया	01.10.2014 से 22.02.2019 (1606)	4.63
3	डि0क0 खण्ड 4 वा0क0 गाजियाबाद	1	2014–15 (मार्च 2018)	75.84	विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम था	01.10.2014 से 10.10.2018 (1471)	45.85
4	डि0क0 खण्ड 9 वा0क0 गाजियाबाद	1	2014–15 (मार्च 2018)	0.74	करमुक्त माल के निर्माण पर आई0टी0सी0 का दावा किया	01.10.2014 से 02.03.2019 (1614)	0.49
5	डि0क0 खण्ड 15 वा0क0 गाजियाबाद	1	2014–15 (फरवरी 2018)	6.87	आई0टी0सी0 का अधिक दावा	01.10.2014 से 29.03.2019 (1641)	4.63
6	डि0क0 खण्ड 17 वा0क0 गाजियाबाद	1	2013–14 (नवम्बर 2016)	1.33	करमुक्त माल के निर्माण पर आई0टी0सी0 का दावा किया	01.10.2013 से 24.10.2018 (1850)	1.01
			2014–15 (फरवरी 2018)	1.61	करमुक्त माल के निर्माण पर आई0टी0सी0 का दावा किया	01.10.2014 से 24.10.2018 (1485)	0.98
7	ज्वा0क0 (का0स0) वा0क0 झांसी	1	2014–15 (मार्च 2018)	5.05	आई0टी0सी0 का अधिक दावा	01.10.2014 से 15.11.2018 (1507)	3.13
8	डि0क0 खण्ड 28 वा0क0 कानपुर	1	2014–15 (जनवरी 2018)	3.68	विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम था	01.10.2014 से 22.09.2018 (1453)	2.20
9	डि0क0 खण्ड 1 वा0क0 लखनऊ	1	2014–15 (मार्च 2018)	1.99	आई0टी0सी0 का अधिक दावा	01.10.2014 से 04.10.2018 (1465)	1.20
10	डि0क0 खण्ड 2 वा0क0 लखनऊ	1	2014–15 (मई 2017)	1.49	विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम था	01.10.2014 से 08.02.2019 (1592)	0.97
			2015–16 (मार्च 2018)	1.39	विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम था	01.10.2015 से 08.02.2019 (1227)	0.70

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	आई0टी0सी0 की धनराशि की अनियमित अनुमन्यता	अननुमन्यता का कारण	ब्याज की अवधि (दिन)	आरोपणीय ब्याज
11	डि0क0 खण्ड 9 वा0क0 लखनऊ	1	2014–15 (फरवरी 2018)	1.87	करमुक्त माल के निर्माण पर आई0टी0सी0 का दावा किया	01.10.2014 से 17.10.2018 (1478)	1.14
12	डि0क0 खण्ड 22 वा0क0 लखनऊ	1	2014–15 (मार्च 2018)	3.59	पूँजीगत माल पर दावाकृत आई0टी0सी0 का उसी वर्ष में समायोजन किया	01.10.2014 से 28.03.2019 (1640)	2.42
13	ज्वा0क0(का0स0) वा0क0 मुजफ्फरनगर	1	2014–15 (दिसम्बर 2017)	5.86	अधिक दर से आई0टी0सी0 का दावा किया	01.10.2014 से 15.12.2018 (1537)	3.70
14	डि0क0 खण्ड 2 वा0क0 नोएडा	1	2013–14 (मई 2017)	3.91	करमुक्त माल के निर्माण पर आई0टी0सी0 का दावा किया	01.10.2013 से 05.02.2019 (1954)	3.14
			2014–15 (जनवरी 2018)	1.38	करमुक्त माल के निर्माण पर आई0टी0सी0 का दावा किया	01.10.2014 से 05.02.2019 (1589)	0.90
15	डि0क0 खण्ड 3 वा0क0 नोएडा	1	2014–15 (जनवरी 2018)	12.00	अग्रेनीत आई0टी0सी0 का अधिक दावा किया	01.10.2014 से 20.02.2019 (1604)	7.91
16	डि0क0 खण्ड 2 वा0क0 रायबरेली	1	2014–15 (फरवरी 2018)	1.63	साइकिल पार्ट्स के अन्तिम रहतिये पर आर0आई0टी0सी0 नहीं की गयी	27.09.2014 से 03.10.2018 (1468)	0.98
17	ज्वा0क0 (का0स0) II वा0क0 वाराणसी (सोनभद्र)	1	2014–15 (जनवरी 2018)	2.42	पूँजीगत माल पर दावाकृत आई0टी0सी0 का उसी वर्ष में समायोजन किया	01.10.2014 से 21.02.2019 (1605)	1.60
18	डि0क0 खण्ड 8 वा0क0 वाराणसी	1	2014–15 (मार्च 2018)	1.86	आई0टी0सी0 का अधिक दावा	01.10.2014 से 25.03.2019 (1637)	1.25
योग		**18**		**287.68**			**164.03**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–VII
स्रोत पर काटे गये कर का विलम्ब से जमा किया जाना
(संदर्भ प्रस्तर सं0 3.7)

(₹ लाख में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	व्यापारियों की संख्या	कर निर्धारण वर्ष (कर निर्धारण का माह एवं वर्ष)	कर की धनराशि	विलम्ब की अवधि (दिनों में)	आरोपणीय अर्थदण्ड
1	डि0क0 खण्ड 1 वा0क0 इलाहाबाद	1	2014–15 (फरवरी 2018)	1.74	05	3.48
2	डि0क0 खण्ड 3 वा0क0 इलाहाबाद	1	2015–16 (जनवरी 2018)	1.28	06	2.56
3	डि0क0 खण्ड 1 वा0क0 अलीगढ़	1	2014–15 (फरवरी 2018)	5.57	06 से 56	11.14
		1	2014–15 (मार्च 2018)	407.41	05 से 72	814.82
4	डि0क0 खण्ड 3 वा0क0 बुलन्दशहर	1	2013–14 (फरवरी 2017)	13.92	05 से 50	27.84
5	डि0क0 खण्ड 12 वा0क0 गाजियाबाद	1	2014–15 (मार्च 2018)	40.47	05 से 09	80.94
6	डि0क0 खण्ड 15 वा0क0 गाजियाबाद	1	2014–15 (मार्च 2018)	2.92	19 से 25	5.84
7	डि0क0 खण्ड 16 वा0क0 गाजियाबाद	1	2014–15 (जून 2017)	61.67	07 से 35	123.34
		1	2014–15 (मार्च 2018)	6.02	25 से 56	12.04
		1	2014–15 (जनवरी 2018)	3.78	35	7.56
8	डि0क0 खण्ड 19 वा0क0 गाजियाबाद	1	2014–15 (मार्च 2018)	5.11	26 से 60	10.22
		1	2014–15 (मार्च 2018)	2.23	09	4.46
9	डि0क0 खण्ड 22 वा0क0 कानपुर	1	2014–15 (जुलाई 2017)	6.06	07 से 10	12.12
10	डि0क0 खण्ड 14 वा0क0 लखनऊ	1	2014–15 (मार्च 2018)	2.94	08 से 169	5.88
11	डि0क0 खण्ड 18 वा0क0 लखनऊ	1	2014–15 (मार्च 2018)	33.46	09 से 301	66.92
		1	2014–15 (दिसम्बर 2017)	28.85	72 से 102	57.70
12	डि0क0 खण्ड 20 वा0क0 लखनऊ	1	2014–15 (मार्च 2018)	11.13	06 से 147	22.26
		1	2014–15 (अक्टूबर 2017)	3.99	120 से 212	7.98
		1	2014–15 (नवम्बर 2017)	15.48	09 से 41	30.96
13	डि0क0 खण्ड 7 वा0क0 मेरठ	1	2014–15 (मार्च 2018)	45.93	08 से 36	91.86
14	डि0क0 खण्ड 10 वा0क0 मेरठ	1	2014–15 (जनवरी 2018)	1.30	09	2.60
		1	2014–15 (दिसम्बर 2017)	3.75	10 से 15	7.50
		1	2013–14 (अक्टूबर 2016)	19.63	08	39.26
15	डि0क0 खण्ड 10 वा0क0 नोएडा	1	2014–15 (मार्च 2018)	3.85	08	7.70
16	डि0क0 खण्ड 14 वा0क0 नोएडा	1	2014–15 (अक्टूबर 2017)	86.03	61	172.06
योग		**25**		**814.52**		**1,629.04**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–VIII

स्टाम्प शुल्क को ₹ पाँच लाख तक सीमित करने के कारण स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण

(*सन्दर्भ प्रस्तर सं0 4.4*)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबन्धक–उ0नि0)	जनपद का नाम	जाँच किये गये विलेखों की सं0	विलेखों की सं0 जिनमें आपत्ति पायी गयी	विलेख का प्रकार	विलेख सं0 एवं निष्पादन की तिथि	ऋण की धनराशि	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क (0.5 प्रतिशत की दर से)	अदा स्टाम्प शुल्क	स्टाम्प शुल्क का अन्तर
1	ग्रेटर नोयडा	जी0 बी0 नगर	670	01	बन्धक विलेख	34827 / 23.10.18	800000000	4000000	500000	3500000
				01		32956 / 03.10.18	650000000	3250000	500000	2750000
2	नोयडा–1		440	07	बन्धक विलेख	6254 / 07.09.17	1200000000	6000000	500500	5499500
						4737 / 13.07.17	1705000000	8525000	500500	8024500
						5308 / 31.07.17	1750000000	8750000	1000000	7750000
						4225 / 27.06.17	2900000000	14500000	500000	14000000
						6597 / 22.09.17	900000000	4500000	500000	4000000
						3496 / 01.05.18	1821500030	9107500	500500	8607000
						3497 / 01.05.18	1821500030	9107500	500500	8607000
3	नोयडा–2		590	07	बन्धक विलेख	2759 / 18.04.18	350000000	1750000	500500	1249500
						2758 / 18.04.18	300000000	1500000	500500	999500
						668 / 03.02.18	570000000	2850000	500000	2350000
						858 / 15.02.18	440000000	2200000	500200	1699800
						3010 / 01.05.18	1821500030	9107500	500500	8607000
						7436 / 10.11.17	500000000	2500000	500300	1999700
						7512 / 15.11.17	1514007696	7570038	500000	7070038
4	नोयडा–3		770	01	बन्धक विलेख	4967 / 08.10.18	400000000	2000000	500000	1500000
योग			**2470**	**17**			**19443507786**	**97217538**	**9004000**	**88213538**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–IX
आवासीय भूमि का कृषि दर से मूल्यांकन
(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 4.5)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबन्धक–उ0नि0)	जनपद का नाम	जाँच किये गये विलेखों की सं0	विलेखों की सं0 जिनमें आपत्ति पायी गयी	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं0/खसरा सं0 से पूर्व में निष्पादित विलेख संख्या तथा निष्पादित तिथि	दोनों विलेखों के निष्पादन में अन्तर दिनों में	गाटा/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबन्धन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबन्धन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	अन्तर
1	सदर–2	आगरा	470	1	57/02.01.19	9843/29.12.17	369	26	1038	1506000	5000	5190000	5190000	7	363300	20000	383300	105500	20000	125500	257800
2	सदर–3		230	1	1652/22.02.19	9108/23.01.18	395	408	2766	5214000	6500	17979000	17979000	6 व 7	1248530	20000	1268530	355000	20000	375000	893530
			270	1	8185/18.09.18	230/11.01.18	250	585	2000	3200000	5300	10600000	10600000	6 व 7	732000	20000	752000	214000	20000	234000	518000
3	सदर–2	अलीगढ़	388	1	8019/29.12.17	13881/19.12.12	1836	10	557.4	1732000	18000	10033200	10033200	7	702324	20000	722324	116000	20000	136000	586324
4	सदर–3		390	1	3121/17.06.17	505/13.02.17	123	91 मि.	1390	3944000	8000	11120000	11120000	6 व 7	768400	20000	788400	266200	20000	286200	502200
			400	1	3218/23.06.17	763/02.03.17	113	70	1305	2610000	7000	9135000	9135000	7	639450	20000	659450	182800	20000	202800	456650
5	फूलपुर	इलाहाबाद	2607	1	2357/13.03.18	1029/13.02.17	394	1506/1507/1510/1511/1514/1518/1519/1521/1522/1523/1524/1509/1516/1517/1520	6840	7730000	6000	41040000	41040000	6 व 7	2862800	20000	2882800	531100	20000	551100	2331700
			0	1	7627/14.08.18	1796/1797/1798/21.03.17	511	1119 मि.	6676	5989000	6000	40056000	40056000	7	2803920	20000	2823920	419300	20000	439300	2384620
			0	1	8854/21.12.17	7224/13.10.17	69	152	2622	3886000	7000	18354000	18354000	5	917700	20000	937700	195000	20000	215000	722700
			0	1	7771/28.08.18	7224/13.10.17	319	152	1710	3300000	7000	11970000	11970000	5	598500	20000	618500	165000	20000	185000	433500
			0	1	8215/28.08.18	6620, 6621/17.07.18	397	653 मि., 654 मि.,	1008	4291000	9500	9576000	9576000	6 व 7	660320	20000	680320	290500	20000	310500	369820

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबन्धक–उ0नि0)	जनपद का नाम	जाँच किये गये विलेखों की सं0	विलेखों की सं0 जिनमें आपत्ति पायी गयी	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं0/खसरा सं0 से पूर्व में निष्पादित विलेख संख्या तथा निष्पादित तिथि	दोनों विलेखों के निष्पादन में अन्तर दिनों में	गाटा/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबन्धन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबन्धन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	अन्तर
6	सदर–1		290	1	4338/10.10.17	5945/25.10.16	350	885	2966	3060000	5300	15719800	15719800	6 व 7	1090386	20000	1110386	204200	20000	224200	886186
			295	1	4840/13.09.18	2791/26.05.16	502	377	3775	1977125	3060	11551500	11551500	6 व 7	798605	20000	818605	138500	20000	158500	660105
			280	1	4093/03.07.18	4703/16.11.17	229	339/339 के	1713.60	1615830	3740	6408864	6408864	6 व 7	438620	20000	458620.48	113500	20000	133500	325120.48
7	सदर–2		307	1	4992/02.11.17	7322/09.09.16	419	892	4400	7742000	4900	21560000	21560000	7	1509200	20000	1529200	428673	20000	448673	1080527
			397	1	1721/24.03.18	5102/5103/ 5104/16.06.16 2664/03.07.17	281	562 मि.	2500	5640000	4700	11750000	11750000	7	822500	20000	842500	394800	20000	414800	427700
8	सदर	आजमगढ़	1105	1	2218/12.04.17	3145/24.05.16 1880/24.03.17	19	435	1360.20	3925000	6000	8161200	8161200	7	571284	20000	591284	274750	20000	294750	296534
9	सदर	बाराबंकी	1460	1	10628/05.06.18	10672/23.01.17	518	363 मि.	9000	7238000	2700	24300000	24300000	5	1215000	20000	1235000	365000	20000	385000	850000
10	सदर–1	बरेली	732	1	695/17.01.19	3607/28.03.18	326	306	4673	8426000	5000	23365000	23365000	7	1635550	20000	1655550	590000	20000	610000	1045550
			550	1	11783/26.10.18	832/24.07.18	94	991, 994 व 995	1399	4120000	5000	6995000	6995000	7	489650	20000	509650	238400	20000	258400	251250
11	सदर	बस्ती	972	1	6471/24.11.17	5981/03.11.17 6179/13.11.17	21, 11	70ए व 70बी	1403.30	1684000	8000	11226400	11226400	5	561320	20000	581320	84200	20000	104200	477120
12	दादरी	जी.बी.नगर	360	1	12528/26.06.18	16504/17.10.16	252	336	1568	3136000	6000	9408000	9408000	5	470400	20000	490400	156800	20000	176800	313600
13	ग्रेटर नोयडा		440	1	20693/13.07.17	4261/07.02.14	1252	117बी, 117एन	8430	10882000	5800	48894000	48894000	5	2444700	20000	2464700	544100	20000	564100	1900600
			390	1	11959/09.05.17	22286/10.08.16	282	458	6323	8200000	5000	31615000	31615000	7	2213050	20000	2233050	575200	20000	595200	1637850
			300	1	19141/30.06.17	2846/06.02.15	875	779 मि.	1505	2095000	12500	18812500	18812500	5	940625	20000	960625	105000	20000	125000	835625

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबन्धक–उ0नि0)	जनपद का नाम	जाँच किये गये विलेखों की सं0	विलेखों की सं0 जिनमें आपत्ति पायी गयी	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं0/खसरा सं0 से पूर्व में निष्पादित विलेख संख्या तथा निष्पादित तिथि	दोनों विलेखों के निष्पादन में अन्तर दिनों में	गाटा/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबन्धन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबन्धन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	अन्तर
14	नोयडा–1		359	1	4531/02.06.18	2676/04.04.18	59	879/2	5060	13500000	13000	65780000	65780000	5	3289000	20000	3309000	675000	20000	695000	2614000
			385	1	4528/02.06.18	2676/04.04.18	59	879/2	2320	6200000	13000	30160000	30160000	4 व 5	1498000	20000	1518000	300100	20000	320100	1197900
			390	1	4530/02.06.18	2676/04.04.18	59	879/2	1686	4452000	13000	21918000	21918000	5	1095900	20000	1115900	222600	20000	242600	873300
			400	1	4529/02.06.18	2676/04.04.18	59	879/2	1054	2800000	13000	13702000	13702000	5	685100	20000	705100	140100	20000	160100	545000
15	सदर–1	गाजियाबाद	240	1	3878/29.06.17	1185/23.02.16	495	264 मि.	2488	8111000	8000	19904000	19904000	7	1393280	20000	1413280	568000	20000	588000	825280
			370	1	3875/29.06.17	1185/23.02.16	495	264 मि.	1500	4890000	8000	12000000	12000000	7	840000	20000	860000	342500	20000	362500	497500
			340	1	801/21.02.2017	4802/29.07.15	573	293 मि.	2658	5445000	4600	12226800	12226800	6 व 7	845876	20000	865876	371200	20000	391200	474676
			300	1	800/21.02.2017	4802/29.07.15	573	293 मि.	1772	3630000	4600	8151200	8151200	6 व 7	560584	20000	580584	244100	20000	264100	316484
16	सदर–2		618	1	2954/07.04.17	11494/24.10.16	165	1114 मि.	2300	8280000	7500	17250000	17250000	7	1207500	20000	1227500	579600	20000	599600	627900
			0	1	6168/30.06.17	11494/24.10.16	249	1114 मि.	1630	5868000	7500	12225000	12225000	7	855750	20000	875750	410800	20000	430800	444950
			0	1	7575/11.08.17	3486/24.04.17	109	108 मि.	1169	3500000	8000	9352000	9352000	7	654640	20000	674640	245000	20000	265000	409640
			0	1	7579/11.08.17	3486/24.04.17	109	108 मि.	1168	3500000	8000	9344000	9344000	7	654080	20000	674080	245100	20000	265100	408980
17	सदर–3		290	1	4462/28.07.17	6170/24.08.16	336	963, 963 मि.	1264	1898000	5500	6952000	6952000	7	486640	20000	506640	133000	20000	153000	353640
18	सदर–5		290	1	1987/20.03.18	2302/10.05.16	314	296	3320	3950000	4800	15936000	14265600	7	998592	20000	1018592	92000	20000	112000	906592
			310	1	107/06.01.2017	4267/03.08.15	522	398	1475	1328000	8200	12095000	12095000	7	846650	20000	866650	93000	20000	113000	753650
			240	1	5572/26.09.17	5569/26.09.17	0	1135 मि.	668.26	4277000	16500	11026290	11026300	7	771841	20000	791841	300000	20000	320000	471841
19	सदर	गोण्डा	2256	1	3306/21.04.17	13004/19.10.16	184	382	1460	741000	8000	11680000	11680000	4 व 5	574000	20000	594000	29650	14820	44470	549530
			0	1	7417/03.08.17	7223/31.07.17	3	272	1150	1380000	5200	5980000	5980000	7	418600	20000	438600	96600	20000	116600	322000
			0	1	10883/21.11.17	10481/09.11.17	12	397	2020	647000	3700	7474000	7474000	4 व 5	363700	20000	383700	26000	12940	38940	344760
			2256	1	11515/12.12.17	10110/27.10.17	46	361	1690	484000	3850	6506500	6506500	5	325325	20000	345325	24200	9680	33880	311445

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबन्धक–उ0नि0)	जनपद का नाम	जाँच किये गये विलेखों की सं0	विलेखों की सं0 जिनमें आपत्ति पायी गयी	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं0/खसरा सं0 से पूर्व में निष्पादित विलेख संख्या तथा निष्पादित तिथि	दोनों विलेखों के निष्पादन में अन्तर दिनों में	गाटा/खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबन्धन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबन्धन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	अन्तर
20	सदर–1	गोरखपुर	375	1	197/09.01.2019	158/09.01.18	366	318बी, 1114जी	4270	4228000	7150	30530500	30530500	5	1526525	20000	1546525	211600	20000	231600	1314925
			375	1	8703/26.09.18	8492/18.09.18	8	539	2510	3389000	8000	20080000	20080000	5	1004000	20000	1024000	170000	20000	190000	834000
21	सदर–2		372	1	9290/07.08.18	7420/28.06.18	40	372	2220	4995000	11000	24420000	24420000	7	1709400	20000	1729400	349700	20000	369700	1359700
			390	1	13399/26.11.18	12572/02.11.18	24	765 मि.	930	4278000	11000	10230000	10230000	7	716100	20000	736100	299500	20000	319500	416600
			375	1	4694/03.05.18	3589/04.04.18	29	872 मि.	1178	8129000	11000	12958000	12958000	7	907060	20000	927060	569100	20000	589100	337960
22	सदर	जौनपुर	1976	1	4773/13.06.18	4588/07.06.18	6	110	2500	6625000	7200	18000000	18000000	7	1260000	20000	1280000	464000	20000	484000	796000
23	सदर–2	कानपुर नगर	1005	1	2298/17.04.18	2037/06.04.18	11	93	1790	6239000	9500	17005000	17005000	7	1190350	20000	1210350	437000	20000	457000	753350
			0	1	3777/12.06.18	997/20.02.18	112	499 झ	3100	3761000	4200	13020000	13020000	7	911400	20000	931400	240250	20000	260250	671150
			0	1	1953/03.04.18	997/20.02.18	42	499 झ	1550	1870000	4200	6510000	6510000	7	455700	20000	475700	119440	20000	139440	336260
24	सदर–3		883	1	10992/27.07.18	10462/18.07.18	9	1548	2060	7880000	14000	28840000	28840000	7	2018800	20000	2038800	551600	20000	571600	1467200
			0	1	17865/18.12.18	14454/15.10.18	64	717	2150	9200000	10000	21500000	21500000	7	1505000	20000	1525000	386760	20000	406760	1118240
			0	1	5443/17.04.18	3088/28.02.18	48	629 मि0	2150	7134000	10000	21500000	21500000	7	1505000	20000	1525000	500000	20000	520000	1005000
			0	1	11737/10.08.18	11291/03.08.18	7	170/998	1160	4791000	12500	14500000	14500000	7	1015000	20000	1035000	158430	20000	178430	856570
			0	1	5665/21.04.18	1576/01.02.18	80	202	3590	4883000	3000	10770000	10770000	7	753900	20000	773900	342000	20000	362000	411900
25	सदर–1	लखनऊ	330	1	14245/25.09.17	16660/31.08.16	400	497, 498	14290	5716000	1800	25722000	25722000	7	1800540	20000	1820540	400500	20000	420500	1400040
26	सदर–4		270	1	9876/11.09.17	2158/09.03.17	186	34 मि.	1580	1896000	5200	8216000	8216000	7	575120	20000	595120	133000	20000	153000	442120
27	सदर–5		400	1	9416/16.12.17	1972/07.04.17	253	1413	2037	15308940	9900	20166300	20166300	7	1411641	20000	1431641	1072700	20000	1092700	338941
28	सदर–1	मथुरा	724	1	3656/14.03.18	9495/18.08.17	208	1140	2766	4150000	4800	13276800	13276800	7	929376	20000	949376	207700	20000	227700	721676
			820	1	17413/15.12.18	6380/11.05.16	948	372	1200	1236000	4500	5400000	5400000	6 व 7	368000	20000	388000	76520	20000	96520	291480

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबन्धक–उ0नि0)	जनपद का नाम	जाँच किये गये विलेखों की सं0	विलेखों की सं0 जिनमें आपत्ति पायी गयी	विलेख संख्या एवं निष्पादन तिथि	समान गाटा सं0/खसरा सं0 से पूर्व में निष्पादित विलेख संख्या तथा निष्पादित तिथि	दोनों विलेखों के निष्पादन में अन्तर दिनों में	गाटा/ खसरा संख्या	विक्रीत भूमि (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित किया गया था	दर जिस पर सम्पत्ति का मूल्यांकन वांछित था (वर्ग मी0 में)	सम्पत्ति का मूल्य जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	सम्पत्ति का मूल्य जो कि अगले एक हजार में पूर्णांकित जिस पर स्टाम्प शुल्क आरोपित होना था	स्टाम्प शुल्क की लागू दर	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	देय निबन्धन फीस	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क	अदा निबन्धन फीस	अदा स्टाम्प शुल्क एवं निबन्धन फीस	अन्तर
29	सदर–2		1423	1	6769/15.06.18	8945/25.09.17	263	366	6070	13669000	6000	36420000	36420000	7	2549400	20000	2569400	673500	20000	693500	1875900
			0	1	4832/30.05.17	730/28.01.17	122	375	7590	16100000	5000	37950000	37950000	7	2656500	20000	2676500	1127000	20000	1147000	1529500
30	सदर	मऊ	1624	1	1567/13.03.18	1514/08.03.18	5	14	1701	5089000	5500	9355500	9355500	7	654885	20000	674885	356230	20000	376230	298655
			0	1	5293/02.11.17	3559/28.07.17	97	1646	2690	2154000	4000	10760000	10760000	5	538000	20000	558000	107700	20000	127700	430300
			0	1	1677/20.04.17	782/22.02.17	57	1757	2214	1994000	4000	8856000	8856000	5	442800	20000	462800	99700	20000	119700	343100
31	सदर–1	मेरठ	411	1	7655/18.08.18	2899/23.03.18	148	246	2010	3528000	7300	14673000	14673000	7	1027110	20000	1047110	247000	20000	267000	780110
32	सदर–3		388	1	7496/01.09.17	7871/15.07.16	413	823	2147	3006000	3900	8373300	8373300	7	586131	20000	606131	200500	20000	220500	385631
33	सदर–2	मुरादाबाद	1276	1	6185/28.07.18	6114/27.07.18	1	832	980	749000	4500	4410000	4410000	6 व 7	298700	20000	318700	45000	14980	59980	258720
34	सदर–1	वाराणसी	854	1	3576/17.06.17	5415/25.07.16	227	1046	3520	9970000	6500	22880000	22880000	7	1601600	20000	1621600	698000	20000	718000	903600
35	सदर–4		325	1	4180/03.11.17	4087/30.10.17	4	682	3180	11517000	8000	25440000	25440000	7	1780800	20000	1800800	806200	20000	826200	974600
			370	1	3683/27.09.2017	731/10.02.16	505	128	1500	5930000	6500	9750000	9750000	7	682500	20000	702500	415100	20000	435100	267400
योग			**36643**	**75**					**203413.76**	**377438895**			**1254325264**				**81744530**			**25130223**	**56614307**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–X

पट्टा के सेवाकर/मा0से0क0 राशि पर स्टाम्प शुल्क आरोपित न किया जाना

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 4.6.1)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबन्धक–उ0नि0)	जनपद का नाम	जाँच किये गये विलेखों की संख्या	विलेखों की सं0 जिनमें आपत्ति पायी गयी	विलेख सं0/ निष्पादन तिथि	पट्टे की अवधि	किराये की दर	कुल प्रतिफल	आरोपणीय सेवाकर 14 प्रतिशत की दर से/ मा0से0क0 18 प्रतिशत की दर से	स्टाम्प शुल्क आगणन हेतु मूल्य	वापसी योग्य ब्याज रहित प्रतिभूति जमा	स्टाम्प शुल्क आगणन हेतु कुल मूल्य	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	अदा स्टाम्प शुल्क	अन्तर
1	सदर–1	आगरा	310	1	1868/11.06.18	21	1294565 प्रति माह एवं तीन वर्ष में 15 प्रतिशत की वृद्धि	515760912	92836964	173885106	7767390	181652496	7266120	6263000	1003120
			212	1	2362/17.07.18	5	प्रथम तीन वर्षो के लिए 1258880 एवं चौथे व पाँचवे वर्ष के लिए 1409918 प्रति माह	79157712	14248388	56043660	2244000	58287660	2331520	1944100	387420
			224	1	40/04.01.18	9	750000 प्रति माह एवं प्रत्येक तीन वर्ष में 15 प्रतिशत की वृद्धि	93757500	16876350	49170600	3000000	52170600	2086840	1787000	299840
2	सदर–3		310	1	0113/04.01.19	21	540000 प्रति माह एवं प्रत्येक तीन वर्ष में 15 प्रतिशत की वृद्धि	215138556	38724940	72532428	0	72532428	2901297	2459000	442297
3	सदर–1	इलाहाबाद	270	1	3987/25.09.17	12	1436300 प्रति माह एवं प्रत्येक तीन वर्ष में 15 प्रतिशत की वृद्धि	258191487	46474468	126944150	4308900	131253050	5250122	4303500	946622
4	सदर–2	बरेली	696	1	4077/20.04.18	4	1270784 प्रति माह निर्धारित एवं प्रत्येक वर्ष में 859648 की वृद्धि	129955892	19823780	97466919	3924480	101391399	4055656	3461300	594356
5	मोदीनगर	गाजियाबाद	560	1	2845/12.04.17	1	240000 प्रति वर्ष	2880000	403200	3283200	0	3283200	131328	115200	16128
				1	2846/12.04.17	1	240000 प्रति वर्ष	2880000	403200	3283200	0	3283200	131328	115200	16128
				1	2847/12.04.17	1	144000 प्रति वर्ष	1728000	241920	1969920	0	1969920	78797	69120	9677
				1	5913/12.07.17	5	300000 प्रति वर्ष	18000000	3240000	12744000	0	12744000	509760	432000	77760
				1	5914/12.07.17	5	300000 प्रति वर्ष	18000000	3240000	12744000	0	12744000	509760	432000	77760
				1	7434/29.08.17	9	300000 प्रति माह	39616200	7130916	20776496	0	20776496	831060	725000	106060

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबन्धक–उ0नि0)	जनपद का नाम	जाँच किये गये विलेखों की संख्या	विलेखों की सं0 जिनमें आपत्ति पायी गयी	विलेख सं0/ निष्पादन तिथि	पट्टे की अवधि	किराये की दर	कुल प्रतिफल	आरोपणीय सेवाकर 14 प्रतिशत की दर से/ मा0से0क0 18 प्रतिशत की दर से	स्टाम्प शुल्क आगणन हेतु मूल्य	वापसी योग्य ब्याज रहित प्रतिभूति जमा	स्टाम्प शुल्क आगणन हेतु कुल मूल्य	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	अदा स्टाम्प शुल्क	अन्तर
							प्रत्येक तीन वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ								
				1	7679/05.09.17	5	1050000 प्रति माह	63000000	11340000	44604000	6300000	50904000	2036160	1764000	272160
				1	2755/06.03.18	6	1407100 प्रति माह एक वर्ष के बाद प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	114851664	20673300	90349976	3150000	93499976	3740000	3189000	551000
6	सदर–2	गोरखपुर	410	1	0228/08.01.19	10	798160 प्रति माह निर्धारित	95779200	17240256	45207784	0	45207784	1808311	1532600	275711
7	मोहनलाल गंज	लखनऊ	300	1	1608/30.01.18	6	2639750 प्रति माह प्रत्येक तीन वर्ष में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	204316668	36777000	160729098	23757750	184486848	7379474	6430000	949474
			300	1	1609/30.01.18	6	2729300 प्रति माह प्रत्येक तीन वर्ष में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	211247820	38024608	166118620	24563700	190682320	7627293	6648000	979293
8	सदर–1		300	1	12140/08.06.18	9	1001846 प्रति माह प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	132563040	23861347	69521948	6011073	75533021	3021321	2357000	664321
			330	1	11778/02.06.18	5	1082830 प्रति माह प्रत्येक तीन वर्ष में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	69768000	12558240	49395744	2165660	51561404	2062456	1653000	409456
			330	1	14641/09.07.18	9	590000 प्रति माह प्रत्येक तीन वर्ष में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	73755900	13276062	38680872	1500000	40180872	1607235	1311000	296235
			311	1	14228/03.07.18	3	668800 प्रति माह प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	25300704	4554127	29854830	2006400	31861230	1274449	1012200	262249

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबन्धक–उ0नि0)	जनपद का नाम	जाँच किये गये विलेखों की संख्या	विलेखों की सं0 जिनमें आपत्ति पायी गयी	विलेख सं0/ निष्पादन तिथि	पट्टे की अवधि	किराये की दर	कुल प्रतिफल	आरोपणीय सेवाकर 14 प्रतिशत की दर से/ मा0से0क0 18 प्रतिशत की दर से	स्टाम्प शुल्क आगणन हेतु मूल्य	वापसी योग्य ब्याज रहित प्रतिभूति जमा	स्टाम्प शुल्क आगणन हेतु कुल मूल्य	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	अदा स्टाम्प शुल्क	अन्तर
			310	1	14640/09.07.18	20	1200000 प्रति माह प्रत्येक तीन वर्ष में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	407422260	73336007	120189565	4800000	124989565	4999583	4075000	924583
9	सदर–2		298	1	6193/23.04.18	10	1750000 प्रति माह प्रत्येक दो वर्ष में 12 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	266819592	48027527	125938848	6202135	132140983	5285639	4009700	1275939
			310	1	12332/11.10.17	9	603360 प्रति माह प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	79835856	14370454	41869472	7240320	49109792	1964392	1420000	544392
			300	1	10344/03.07.18	9	696025 प्रति माह प्रत्येक तीन वर्ष में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	87010092	15661817	45631960	1575000	47206960	1888278	1547000	341278
			325	1	4143/20.03.18	10	392356 प्रति माह प्रत्येक वर्ष में 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	75037740	13506793	35417812	2931708	38349520	1533980	1276000	257980
10	सदर–3		410	1	5793/28.09.18	18	1574580 प्रति माह प्रत्येक तीन वर्ष में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	496204560	89316820	162644825	9447480	172092305	6883692	5514000	1369692
			394	1	2443/23.04.18	10	प्रथम दो वर्षो के लिए 1550000 प्रति माह, अगले तीन वर्षो के लिए 1736000 प्रति माह, अगले तीन वर्षो के लिए 1944320 प्रति माह एवं अन्तिम दो वर्षो के लिए 2177638 प्रति माह	221954832	39951870	104762680	2700000	107462680	4298507	3551400	747107

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम (उप निबन्धक–उ0नि0)	जनपद का नाम	जाँच किये गये विलेखों की संख्या	विलेखों की सं0 जिनमें आपत्ति पायी गयी	विलेख सं0/ निष्पादन तिथि	पट्टे की अवधि	किराये की दर	कुल प्रतिफल	आरोपणीय सेवाकर 14 प्रतिशत की दर से/ मा0से0क0 18 प्रतिशत की दर से	स्टाम्प शुल्क आगणन हेतु मूल्य	वापसी योग्य ब्याज रहित प्रतिभूति जमा	स्टाम्प शुल्क आगणन हेतु कुल मूल्य	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क	अदा स्टाम्प शुल्क	अन्तर
11	सदर–4		332	1	9881/11.09.17	9	766054 प्रति माह प्रत्येक तीन वर्ष में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	95764392	17237590	50223104	4596324	54819428	2192777	1886500	306277
12	सदर–3	वाराणसी	395	1	1302/11.08.17	29	280000 प्रति माह प्रत्येक तीन वर्ष में 15 प्रतिशत की वृद्धि के साथ	192841416	34711455	47079900	0	47079900	1883196	1596000	287196
योग			**7937**	**30**				**4288539995**	**768069399**	**2059064717**	**127260612**	**2189257037**	**87570331**	**72878820**	**14691511**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XI

खनन पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण (स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग)

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 4.6.2–प्रथम बुलेट)

(धनराशि ₹ में)

क्र0सं0	इकाई का नाम (उप निबन्धक–उ0नि0)	जनपद का नाम	जाँच किए गये विलेखों की सं0	विलेखों की सं0 जिनमें आपत्ति पायी गयी	विलेख सं0 / निष्पादन तिथि	पाँच वर्ष में देय रॉयल्टी	पाँच वर्ष में जि0ख0फा0 को देय अंशदान की धनराशि	रॉयल्टी एवं जि0ख0फा0 के अंशदान की कुल धनराशि	स्टाम्प शुल्क की गणना के लिये अगले हजार में पूर्णांकित	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क (2 प्रतिशत / 4 प्रतिशत की दर से)	भगुतान किया गया स्टाम्प शुल्क	स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण
1	सदर–3	आगरा	270	01	5244 / 20.06.18	50398824	5039882	55438706	55439000	2217560	2015960	201600
2	सदर–2	इलाहाबाद	415	01	261 / 18.01.18	201468300	20146830	221615130	221616000	8864640	5164910	3699730
3	नोयडा–3	जी0बी0 नगर	810	01	2364 / 17.05.18	498150519	49815052	547965571	547966000	10959320	9963100	996220
4	सदर–5	गाजियाबाद	300	01	889 / 02.02.18	1045097882	104509788	1149607670	1149608000	22992160	12541180	10450980
5	सदर–1	गोरखपुर	810	01	2434 / 23.03.18	126680825	12668083	139348908	139349000	2786980	2533620	253360
6	सदर–2		660	01	3308 / 26.03.18	100123640	10012364	110136004	110137000	2202740	2022980	179760
7	सदर–1	मुरादाबाद	1276	01	6235 / 05.04.18	251043866	25104387	276148253	276149000	11045960	10298800	747160
योग			**4541**	**07**		**2272963856**	**227296386**	**2500260242**	**2500264000**	**61069360**	**44540550**	**16528810**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XII

खनन पट्टा विलेखों पर स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण (खनन विभाग)

(सन्दर्भ प्रस्तर सं0 4.6.2–द्वितीय बुलेट)

(धनराशि ₹ में)

क्रम सं0	इकाई का नाम	कुल पट्टा विलेखों की सं0	नमूना जाँच किये गये पट्टों की सं0	पायी गयी आपत्तियों की संख्या	पाँच वर्षों में देय योग्य कुल रायल्टी	पाँच वर्षों में जि0ख0फा0 को देय अंशदान की कुल धनराशि	रायल्टी एवं जि0ख0फा0 के अंशदान की कुल धनराशि	स्टाम्प शुल्क की गणना के लिये अगले हजार में पूर्णांकित	आरोपणीय स्टाम्प शुल्क (2 प्रतिशत/4 प्रतिशत की दर से)	भगुतान किया गया स्टाम्प शुल्क	स्टाम्प शुल्क का कम आरोपण
1	जि0खा0का0 आगरा	12	12	04	246283397	24628340	270911737	270913000	10836520	8689280	2147240
2	जि0खा0का0 बागपत	05	05	05	2848647982	284864798	3133512780	3133525000	111004520	100913320	10091200
3	जि0खा0का0 बाँदा	29	01	01	2051313600	205131360	2256444960	2256445000	45128900	41026400	4102500
4	जि0खा0का0 इटावा	01	01	01	250913859	25091386	276005245	276006000	11040240	10036560	1003680
5	जि0खा0का0 फिरोजाबाद	04	04	04	287997227	28799723	316796950	316799000	7837340	7124330	713010
6	जि0खा0का0 झाँसी	13	13	13	8770012786	877001279	9647014065	9647021000	192940420	175400510	17539910
7	जि0खा0का0 महोबा	104	46	11	1194306924	119430692	1313737616	1313744000	26274880	23891160	2383720
8	जि0खा0का0 मिर्जापुर	16	05	05	324180810	32418081	356598891	356602000	7132040	6485080	646960
9	जि0खा0का0 सोनभद्र	43	12	05	5581097653	558109765	6139207418	6139210000	202663380	192458320	10205060
योग		**227**	**99**	**49**	**21554754238**	**2155475424**	**23710229662**	**23710265000**	**614858240**	**566024960**	**48833280**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों के आधार पर उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XIII

जिला खनिज फाउन्डेशन न्यास (जि0ख0फा0न्या0) के निर्माण के संबंध में संवैधानिक प्रावधानों का अनुपालन न किया जाना

(संदर्भ प्रस्तर सं0 5.3)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	2017–18		2018–19		योग	
		जमा धनराशि	व्यय किया गया	जमा धनराशि	व्यय किया गया	जमा धनराशि	व्यय किया गया
1	आगरा	6937462	0	790955	2887000	7728417	2887000
2	अलीगढ़	1883159	0	2022545	1864940	3905704	1864940
3	इलाहाबाद	32588859	0	65300696	0	97889555	0
4	अम्बेडकरनगर	23232486	2600000	9162044	0	32394530	2600000
5	अमेठी	2758665	0	264873	1200000	3023538	1200000
6	अमरोहा	90642	0	5100321	0	5190963	0
7	औरैया	5382261	0	3518916	0	8901176	0
8	आजमगढ़	3892952	0	11554969	5401997	15447921	5401997
9	बदायूँ	5276407	0	2308783	0	7585190	0
10	बागपत	3294616	0	10051316	98400	13345932	98400
11	बहराइच	11532156	0	9053451	1812000	20585607	1812000
12	बलिया	1269461	0	3359024	2947000	4628485	2947000
13	बलरामपुर	2953357	0	2940727	1373000	5894084	1373000
14	बाँदा	54928782	0	64679504	11982220	119608286	11982220
15	बाराबंकी	9199378	0	4797002	0	13996380	0
16	बरेली	1642581	0	3399980	0	5042561	0
17	बस्ती	7843523	0	11530494	1508120	19374017	1508120
18	बिजनौर	2721166	0	3258802	0	5979968	0
19	बुलन्दशहर	8447812	1500000	8062773	3200000	16510585	4700000
20	चन्दौली	1032640	0	7265703	2214000	8298343	2214000
21	चित्रकूट	17288616	0	37602080	552000	54890696	552000
22	देवरिया	951627	0	1531904	0	2483531	0
23	एटा	325293	0	485950	0	811243	0
24	इटावा	2489952	0	3508923	0	5998875	0
25	फैज़ाबाद	15086371	0	3226567	1692089	18312938	1692089

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	2017–18		2018–19		योग	
		जमा धनराशि	व्यय किया गया	जमा धनराशि	व्यय किया गया	जमा धनराशि	व्यय किया गया
26	फर्रूखाबाद	5066218	708	1851629	1577899	6917847	1578607
27	फतेहपुर	9167051	0	26591872	7200009	35758923	7200009
28	फिरोज़ाबाद	1748764	0	1267114	129500	3015878	129500
29	गौतम बुद्ध नगर	23971651	0	15938267	2376000	39909918	2376000
30	गाजियाबाद	14501379	0	6956232	8556349	21457611	8556349
31	गाजीपुर	1602765	0	3218176	0	4820941	0
32	गोण्डा	4931686	0	6009241	0	10940927	0
33	गोरखपुर	5473645	0	6902173	4956000	12375818	4956000
34	हमीरपुर	5779113	0	104534905	1100000	110314018	1100000
35	हापुड़	3352197	0	1376229	102250	4728426	102250
36	हरदोई	8213071	0	5434379	0	13647450	0
37	हाथरस	1419652	0	1355131	102600	2774783	102600
38	जालौन	3498619	0	70730034	9358693	74228653	9358693
39	जौनपुर	3524287	0	5184663	0	8708950	0
40	झाँसी	59086353	0	62677223	25757000	121763576	25757000
41	कन्नौज	4094925	0	4189833	0	8284758	0
42	कानुपर देहात	14460986	0	16723438	7822000	31184424	7822000
43	कानपुर नगर	9857897	0	3195068	1187000	13052965	1187000
44	कासगंज	5326656	0	932172	3747525	6258828	3747525
45	कौशाम्बी	12829326	0	31929852	7700000	44759178	7700000
46	कुशीनगर	2135034	0	2257331	0	4392365	0
47	लखीमपुर खीरी	2753104	0	3126784	0	5879888	0
48	ललितपुर	6505504	1195000	7810494	8608480	14315998	9803480
49	लखनऊ	9448613	0	4561926	0	14010539	0
50	महाराजगंज	3120361	0	1221397	500000	4341758	500000
51	महोबा	127457309	0	169252457	65930600	296709766	65930600
52	मैनपुरी	894346	120000	777693	0	1672039	120000
53	मथुरा	4942795	0	1493678	2300527	6436473	2300527

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	2017–18		2018–19		योग	
		जमा धनराशि	व्यय किया गया	जमा धनराशि	व्यय किया गया	जमा धनराशि	व्यय किया गया
54	मऊ	0	0	503000	0	503000	0
55	मेरठ	2626550	0	809783	0	3436333	0
56	मिर्जापुर	27249109	0	51692053	18137760	78941162	18137760
57	मुरादाबाद	2706357	700000	1572668	1000000	4279025	1700000
58	मुजफ्फरनगर	2225102	0	2375337	0	4600439	0
59	पीलीभीत	432946	0	5833803	0	6266749	0
60	प्रतापगढ़	1807463	0	3089249	0	4896712	0
61	रायबरेली	3789698	96120	3136122	0	6925820	96120
62	रामपुर	5330370	0	3413960	0	8744330	0
63	सहारनपुर	7724508	0	5212544	5516000	12937052	5516000
64	सम्भल	1779671	0	2722622	0	4502293	0
65	संत कबीर नगर	4707407	0	11714448	0	16421855	0
66	संत रविदास नगर	3799230	0	4166104	767250	7965334	767250
67	शाहजहाँपुर	8711687	0	6465943	0	15177630	0
68	शामली	11493742	0	7181134	1002537	18674876	1002537
69	श्रावस्ती	2914694	929	4242898	4733041	7157592	4733970
70	सिद्धार्थनगर	1956328	0	7555957	3750000	9512285	3750000
71	सीतापुर	7690694	0	11287726	3641000	18978420	3641000
72	सोनभद्र–कोयला	2311684452	0	0	0	2311684452	0
	लाइम स्टोन	167333520	0	45224696	0	212558216	0
	उप खनिज	33299956	0	90571309	930956318	123871265	930956318
73	सुल्तानपुर	5429360	0	958949	0	6388309	0
74	उन्नाव	5398170	0	3259583	0	8657753	0
75	वाराणसी	8833113	0	1336168	0	10169281	0
योग		**3207137656**	**6212757**	**1116603748**	**1167249104**	**4323741404**	**1173461861**

स्रोतः निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार।

परिशिष्ट–XIV

अवैध खनन के लिये अर्थदण्ड से संबन्धित नियमों में संशोधन करने में राज्य सरकार की विफलता

(संदर्भ प्रस्तर सं0 5.4)

(₹ करोड़ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	पट्टाधारक का नाम	पट्टे का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	पट्टा अवधि (पाँच वर्ष)	नीलामी दर (₹ प्रति घ0मी0)	प्रतिवर्ष उत्खनन के लिये मात्रा (घ0मी0 में)	एक वर्ष में भुगतान योग्य नीलामी की धनराशि (6*7)	पट्टा अवधि के दौरान भुगतान योग्य नीलामी की कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	जि0खा0का0 झाँसी	मै0 शरद इण्टरप्राइजेज	8.90	19.02.18 से 18.02.23	497	90,000	4.47	27.31
2	जि0खा0का0 झाँसी	मै0 बेतवा ट्रेडिंग कम्पनी	20.29	08.02.18 से 07.02.23	1,011	2,03,000	20.52	125.30
3	जि0खा0का0 झाँसी	मै0 ए डी एग्रो फूड्स प्रा0लि0	20.23	19.02.18 से 18.02.23	576	3,04,000	17.51	106.90
4	जि0खा0का0 झाँसी	आर एस आई स्टोन वर्ल्ड लि0	21.04	19.02.18 से 18.02.23	513	2,11,000	10.82	66.08
5	जि0खा0का0 झाँसी	राइजिंग इण्डिया	14.16	20.02.18 से 19.02.23	1,101	85,000	9.36	57.13
6	जि0खा0का0 झाँसी	विक्रम कान्स्ट्रक्शन	24.28	19.03.18 से 18.03.23	1,002	1,95,000	19.54	119.29
7	जि0खा0का0 झाँसी	वरदान कान्स्ट्रक्शन	12.14	15.05.18 से 14.05.23	532	1,83,000	9.74	59.44
8	जि0खा0का0 झाँसी	आशीष यादव	12.14	04.04.18 से 03.04.23	324	1,83,000	5.93	36.20
9	जि0खा0का0 झाँसी	कुबेरनामा मार्बल प्रा0लि0	14.16	14.05.18 से 13.05.23	911	71,000	6.47	39.49
10	जि0खा0का0 झाँसी	शैलेन्द्र यादव	8.09	07.04.18 से 06.04.23	1,000	1,22,000	12.20	74.48
11	जि0खा0का0 झाँसी	मयंक तोमर	12.14	07.04.18 से 06.04.23	1,127	1,22,000	13.75	83.94
12	जि0खा0का0 सोनभद्र	अखिलेश पॉल	12.14	23.03.18 से 22.02.23	1,068	2,43,000	25.95	158.45
13	जि0खा0का0 सोनभद्र	प्रवीन कुमार	12.14	02.04.18 से 01.04.23	1,067	2,43,000	25.93	158.29
14	जि0खा0का0 सोनभद्र	सूरज बिल्डर्स	11.33	03.04.18 से 02.04.23	1,367	2,26,800	31.00	189.28

स्रोतः लेखापरीक्षा इकाई द्वारा उपलब्ध सूचना के अनुसार।

नोटः पट्टा विलेख के अनुसार नीलामी की धनराशि मे पिछले वर्ष से दस प्रतिशत की वृद्धि आगामी वर्ष में होगी।

परिशिष्ट–XV

परिवहन प्रपत्र के बिना निष्पादित किये गये कार्यों के लिये ठेकेदारों से खनिज का मूल्य नहीं वसूला गया

(संदर्भ प्रस्तर सं0 5.5)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	कुल प्रकरणों की सं0	नमूना जाँच किये गये प्रकरणों की सं0	पायी गयी आपत्तियों की संख्या	रॉयल्टी की अवधि	भगुतान की गयी रॉयल्टी	खनिज का देय मूल्य
1	जि0खा0का0 आगरा	79	79	76	03/16 से 08/18	2,09,49,097	10,47,45,485
2	जि0खा0का0 अलीगढ़	65	65	4	03/18 से 06/18	72,79,512	3,63,97,560
3	जि0खा0का0 इलाहाबाद	18	18	18	04/18 से 11/18	82,61,224	4,13,06,120
4	जि0खा0का0 बागपत	139	139	139	09/16 से 09/18	73,53,187	3,67,65,935
5	जि0खा0का0 बाँदा	65	3	3	06/17 से 11/17	23,06,834	1,15,34,170
6	जि0खा0का0 बरेली	36	36	36	11/15 से 01/19	38,89,516	1,94,47,580
7	जि0खा0का0 इटावा	170	170	28	05/16 से 11/17	15,80,328	79,01,640
8	जि0खा0का0 फिरोजाबाद	47	47	34	10/15 से 07/17	1,14,84,834	5,74,24,170
9	जि0खा0का0 जी0बी0नगर	58	58	58	01/17 से 08/18	2,56,53,336	12,82,66,680
10	जि0खा0का0 गाजियाबाद	74	74	73	11/15 से 08/18	2,19,13,591	10,95,67,955
11	जि0खा0का0 कन्नौज	48	48	48	02/16 से 05/18	1,13,26,113	5,66,30,565
12	जि0खा0का0 ललितपुर	32	32	32	04/17 से 12/18	66,88,884	3,34,44,420
13	जि0खा0का0 लखनऊ	174	174	172	06/16 से 12/18	2,94,55,463	14,72,77,315
14	जि0खा0का0 महोबा	32	32	14	05/18 से 12/18	18,71,720	93,58,600
15	जि0खा0का0 मैनपुरी	54	54	2	06/17 और 12/17	18,58,493	92,92,465
16	जि0खा0का0 मिर्जापुर	87	87	41	03/18 से 12/18	1,58,69,341	7,93,46,705
17	जि0खा0का0 सोनभद्र	14	14	14	02/16 से 05/18	2,94,83,567	14,74,17,835
18	जि0खा0का0 उन्नाव	112	112	112	08/16 से 10/18	2,64,76,771	13,23,83,855
योग		**1,304**	**1,242**	**904**	**10/15 से 01/19**	**23,37,01,811**	**1,16,85,09,055**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XVI

ईट भट्ठा स्वामियों से रॉयल्टी एवं अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क की वसूली नहीं किया जाना

(संदर्भ प्रस्तर सं0 5.8)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	ईंट भट्ठा की श्रेणी	ईंट भट्ठो की कुल सं0	नमूना जाँच के मामलों की सं0	पायी गयी आपत्तियों की संख्या	रॉयल्टी की अवधि	मिट्टी पर देय रॉयल्टी	पलोथन मिट्टी पर देय रॉयल्टी	कुल देय रॉयल्टी	देय अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क	जि0ख0फा0न्या0 में अंशदान किये जाने हेतु	कुल देय रॉयल्टी, अनुज्ञा प्रार्थना–पत्र शुल्क एवं जि0ख0फा0न्या0
1	जि0खा0का0 आगरा	अ	58	58	23	2015–16 एवं 2017–18	3717900	467910	4185810	46000	418581	4650391
2	जि0खा0का0 इलाहाबाद	ब	560	138	32	2017–18	3585600	358560	3944160	64000	394416	4402576
					56	2017–18 (जि0ख0फा0)	0	0	0	0	716364	716364
3	जि0खा0का0 बागपत	अ	202	202	34	2016–17 एवं 2017–18	7819200	781920	8601120	96000	860112	9557232
4	जि0खा0का0 बरेली	अ	205	90	8	2015–16	1306800	261360	1568160	16000	156816	1740976
			205	95	10	2016–17	2818800	281880	3100680	36000	310068	3446748
			250	103	20	2017–18	3186000	318600	3504600	40000	350460	3895060
					51	2017–18 (जि0ख0फा0)	0	0	0	0	907038	907038
5	जि0खा0का0 इटावा	अ	121	48	25	2017–18	4220100	422010	4642110	50000	464211	5156321
6	जि0खा0का0 फिरोजाबाद	अ	140	140	15	2017–18	2405700	240570	2646270	30000	264627	2940897
7	जि0खा0का0 जी0बी0नगर	अ	61	61	55	2017–18	8761500	876150	9637650	110000	963765	10711415
8	जि0खा0का0 गाजियाबाद	अ	160	160	67	2017–18	10905300	1090530	11995830	134000	1199583	13329413
9	जि0खा0का0 कन्नौज	ब	242	105	25	2015–16, 2016–17 एवं 2017–18	5194800	630450	5825250	84000	582525	6491775
10	जि0खा0का0 मिर्जापुर	स	352	127	50	2017–18	4584600	458460	5043060	100000	504306	5647366
					40	2017–18 (जि0ख0फा0)	0	0	0	0	399168	399168
11	जि0खा0का0 मैनपुरी	अ	177	45	18	2016–17 एवं 2017–18	2867400	286740	3154140	36000	315414	3505554
12	जि0खा0का0 उन्नाव	ब	393	161	41	2015–16, 2016–17 एवं 2017–18	5434300	556120	5990420	90000	599042	6679462
योग			**3126**	**1533**	**570**		**66808000**	**7031260**	**73839260**	**932000**	**9406496**	**84177756**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XVII
विलम्बित भुगतान पर ब्याज प्रभार्य न किया जाना (पट्टा)
(संदर्भ प्रस्तर सं0 5.9 प्रथम बुलेट)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	कुल प्रकरणों की सं0	नमूना जाँच किये गये प्रकरणों की सं0	पायी गयी आपत्तियों की संख्या	देय एवं जमा धनराशि	अवधि जिसमें भुगतान के लिये धनराशि देय थी	देय धनराशि के जमा की अवधि	विलम्ब दिनों में	देय ब्याज	भुगतान किया हुआ ब्याज	आरोपणीय ब्याज
1	जि0खा0का0 इलाहाबाद	33	27	05	3,85,25,000	04/18	06/18	73 से 90	15,28,210	0	15,28,210
2	जि0खा0का0 बागपत	05	05	03	7,50,58,654	04/18	05/18 से 06/18	52 से 79	27,71,150	0	27,71,150
3	जि0खा0का0 इटावा	01	01	01	1,02,74,765	07/18	08/18 से 10/18	39 से 92	2,57,069	0	2,57,069
4	जि0खा0का0 फिरोजाबाद	04	04	04	83,61,677	01/15 से 07/18	05/15 से 08/18	38 से 568	6,03,519	0	6,03,519
5	जि0खा0का0 जी0बी0 नगर	23	10	02	1,19,74,060	06/18	08/18	50 से 63	3,49,081	0	3,49,081
6	जि0खा0का0 जालौन	06	06	02	22,75,500	10/11 से 10/16	10/15 से 11/16	15 से 1491	7,71,927	27,588	7,44,339
7	जि0खा0का0 झाँसी	27	07	03	10,95,60,125	05/11 से 07/18	11/15 से 09/18	19 से 1621	31,46,093	0	31,46,093
8	जि0खा0का0 कन्नौज	05	05	05	2,07,69,000	03/18 से 10/18	01/18 से 07/18	32 से 92	5,55,968	0	5,55,968
9	जि0खा0का0 ललितपुर	08	05	05	47,71,260	04/18 से 10/18	06/18 से 02/19	72 से 212	3,00,354	0	3,00,354
10	जि0खा0का0 मिर्जापुर	16	10	05	59,25,000	07/18 से 10/18	10/18 से 01/19	92 से 106	3,18,070	0	3,18,070
11	जि0खा0का0 सोनभद्र	04	04	03	49,27,57,300	04/18 से 01/19	05/18 से 02/19	20 से 121	1,72,45,736	0	1,72,45,736
योग		**132**	**84**	**38**	**78,02,52,341**	**05/11 से 01/19**	**05/15 से 02/19**	**15 से 1621**	**2,78,47,177**	**27,588**	**2,78,19,589**

स्रोत : लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XVIII

विलम्बित भुगतान पर ब्याज प्रभार्य न किया जाना (ईंट भट्ठा)

(संदर्भ प्रस्तर सं0 5.9 द्वितीय बुलेट)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम	कुल प्रकरणों की सं0	नमूना जाँच किये गये प्रकरणों की सं0	पायी गयी आपत्तियों की संख्या	जमा किया हुआ रॉयल्टी, पलोथन एवं प्रार्थना–पत्र शुल्क	अवधि जिसमें भुगतान के लिये धनराशि देय थी	देय धनराशि के जमा की अवधि	विलम्ब (दिनों में)	देय ब्याज	भुगतान किया हुआ ब्याज	आरोपणीय ब्याज
1	जि0खा0का0 इलाहाबाद	560	97	21	26,28,870	2017–18	04/18 से 12/18	186 से 429	4,28,464	0	4,28,464
		560	100	61	80,50,280	2015–16	01/17 से 02/18	463 से 876	32,97,924	0	32,97,924
		560	100	65	82,05,150	2016–17	04/17 से 03/18	184 से 537	17,10,910	0	17,10,910
2	जि0खा0का0 बागपत	385	48	29	50,50,570	2016–17 एवं 2017–18	07/17 से 09/18	282 से 389	9,94,264	0	9,94,264
3	जि0खा0का0 बरेली	225	78	23	39,69,370	2016–17 एवं 2017–18	04/17 से 12/18	184 से 447	7,16,279	1,05,128	6,11,151
4	जि0खा0का0 फिरोजाबाद	140	32	11	19,92,460	2016–17 एवं 2017–18	06/17 से 09/18	240 से 416	3,62,345	74,746	2,87,599
5	जि0खा0का0 गाजियाबाद	160	67	31	57,09,050	2015–16 एवं 2017–18	04/16 से 09/18	188 से 777	9,77,191	99,344	8,77,847
6	जि0खा0का0 कन्नौज	242	105	21	31,21,030	2013–14, 2016–17 एवं 2017–18	10/17 से 10/18	227 से 1897	7,28,210	3,62,121	3,66,089
7	जि0खा0का0 उन्नाव	195	83	19	25,47,920	2015–16, 2016–17 एवं 2017–18	04/17 से 07/18	188 से 762	4,39,192	0	4,39,192
योग		**3027**	**710**	**281**	**4,12,74,700**	**2013–14 एवं 2015–16 से 17–18**	**04/16 से 12/18**	**184 से 1897**	**96,54,779**	**6,41,339**	**90,13,440**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XIX

उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों द्वारा अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड का अनारोपण

(संदर्भ प्रस्तर सं0 6.5.2)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम		लेखापरीक्षा दल द्वारा जाँच की गयी पत्रावलियों की संख्या	प्रकरणों की संख्या जिसमे आपत्ति पायी गयी	अवधि (अतिरिक्त कर पर आरोपणीय अर्थदण्ड)	जमा में विलम्ब (माहों में)	अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर कुल अर्थदण्ड की धनराशि
1	स0प0अ0	इलाहाबाद	745	745	07/17 से 06/18	1 से 3	78,11,279
2	स0प0अ0	बरेली	661	661	11/17 से 01/18	1	16,12,800
3	स0स0प0अ0	इटावा	136	136	10/17 से 10/18	1 से 2	14,37,810
4	स0स0प0अ0	हरदोई	338	338	05/17 से 12/18	1	44,29,893
5	स0प0अ0	मुरादाबाद	734	734	02/18 से 01/19	1	64,82,605
6	स0स0प0अ0	रायबरेली	455	455	08/17 से 07/18	2 से 3	1,31,83,748
7	स0स0प0अ0	उन्नाव	57	57	10/17 से 11/18	1	6,87,953
8	स0प0अ0	वाराणसी	526	526	08/17 से 02/19	1	89,82,193
योग			**3,652**	**3,652**			**4,46,28,281**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

परिशिष्ट–XX
राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण न किया जाना
(*संदर्भ प्रस्तर सं0 6.6*)

(धनराशि ₹ में)

क्र0 सं0	इकाई का नाम		राष्ट्रीय परमिट से आच्छादित वाहनों की कुल सं0	लेखापरीक्षा दल द्वारा जाँच किये गये वाहनों की संख्या	माल वाहनों की संख्या जिनमें आपत्ति पायी गयी	प्राधिकार के अवसान की अवधि	समेकित फीस	प्राधिकार फीस	कुल फीस	कुल राजस्व
1	स0प0अ0	आगरा	40,025	425	34	12/17 से 07/18	16,500	1,000	17,500	5,95,000
2	स0प0अ0	इलाहाबाद	6,080	600	27	07/17 से 08/18	16,500	1,000	17,500	4,72,500
3	स0प0अ0	बरेली	5,602	300	43	06/17 से 10/18	16,500	1,000	17,500	7,52,500
4	स0प0अ0	गाजियाबाद	5,970	1,500	164	08/17 से 06/18	16,500	1,000	17,500	28,70,000
5	स0प0अ0	गोरखपुर	8,305	1,030	61	05/18 से 11/18	16,500	1,000	17,500	10,67,500
6	स0प0अ0	कानपुर नगर	14,966	800	270	05/17 से 07/18	16,500	1,000	17,500	47,25,000
7	स0प0अ0	मेरठ	10,914	846	102	02/18 से 01/19	16,500	1,000	17,500	17,85,000
8	स0प0अ0	वाराणसी	12,051	583	77	05/17 से 07/18	16,500	1,000	17,500	13,47,500
योग			**1,03,913**	**6,084**	**778**					**1,36,15,000**

स्रोतः लेखापरीक्षा परिणामों पर आधारित उपलब्ध सूचना।

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in